



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01012025-259838
CG-DL-E-01012025-259838

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 729]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 31, 2024/पौष 10, 1946

No. 729]

NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 31, 2024/PAUSHA 10, 1946

खान मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 2024

सा.का.नि. 791(अ).—केन्द्रीय सरकार, अपतट क्षेत्र खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2002 (2003 का 17) की धारा 35 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात:-

अध्याय 1

प्रारंभिक

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम अपतट क्षेत्र खनिज संरक्षण और विकास नियम, 2024 है।
(2) ये नियम राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- प्रयोज्यता— धारा 3 की उपधारा (1) के अनुसार, ये नियम खनिज तेलों और उनसे संबंधित हाइड्रोकार्बन के सिवाय अपतट क्षेत्रों में सभी खनिजों को लागू होंगे।

3. परिभाषाएं— (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो—

- (क) "खान का परित्याग" से किसी खान, चाहे वह पूरी या उसके भाग, का अंतिम रूप से बंद होना है, जब खान या उसके भाग के भीतर खनिज भंडार पूरी तरह से निकाल लिया गया हो या जब उसमें उत्पादन संक्रिया अलाभकारी हो गयी हो अभिप्रेत है;
- (ख) "अधिनियम" से अपतट क्षेत्र खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2002 (2003 का 17) अभिप्रेत है;
- (ग) "प्राधिकृत अधिकारी" से अभिप्रेत है—
- (i) भारतीय खान ब्यूरो का कोई अधिकारी, जिसे भारतीय खान ब्यूरो के महानियंत्रक द्वारा लिखित रूप में प्राधिकृत किया गया हो अभिप्रेत है; या
 - (ii) इन नियमों के अधीन कार्य करने के लिए प्रशासनिक प्राधिकारी द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी अभिप्रेत है; या
 - (iii) परमाणु खनिज, गवेषण और अनुसंधान निदेशालय का एक अधिकारी, जिसे निदेशक, परमाणु खनिज गवेषण और अनुसंधान निदेशालय द्वारा लिखित रूप में, परमाणु खनिजों के संबंध में प्रारंभिक मूल्य के बराबर या उससे अधिक ग्रेड वाले खनिजों के संबंध में इन नियमों के अधीन कार्य करने के लिए अधिकृत किया गया हो अभिप्रेत है;
- (घ) "सज्जीकरण" से अनचाहे घटकों को हटाकर वांछित उत्पाद की गुणवत्ता, शुद्धता या परख ग्रेड को उन्नत करने के प्रयोजन से खनिजों या अयस्कों का प्रसंस्करण अभिप्रेत है;
- (ङ) "मुख्य खान नियंत्रक" से भारतीय खान ब्यूरो के मुख्य खान नियंत्रक अभिप्रेत है;
- (च) "समर्थ प्राधिकारी" से खोज संबंधी योजना की दशा में नियम 5 में तथा उत्पादन योजना की दशा में नियम 14 में निर्दिष्ट समर्थ प्राधिकारी अभिप्रेत है;
- (छ) "महानियंत्रक" से भारतीय खान ब्यूरो के महानियंत्रक अभिप्रेत है;
- (ज) "खान नियंत्रक" से भारतीय खान ब्यूरो के खान नियंत्रक अभिप्रेत है;
- (झ) "कोर" से बोरहोल की ड्रिलिंग या उप-सतह कोरिंग के दौरान अभिप्राप्त उप-सतह चट्टानों या खनिज युक्त तलछट के नमूने से अभिप्रेत है;
- (ञ) "विकास" से खनिजों या खनिज युक्त तलछट के उत्पादन की तैयारी के रूप में अधिभार या अनुत्पादक या अपशिष्ट पदार्थों को हटाना अभिप्रेत है;
- (ट) "पर्यावरण" और "पर्यावरण प्रदूषण" के वही अर्थ होंगे जो पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 2 के (क) और (ग) में क्रमशः उनके लिए निर्दिष्ट हैं;
- (ठ) "खान को अंतिम रूप से बंद करना" से किसी खान या उसके भाग में उत्पादन संक्रियाओं के कारण प्रभावित समुद्र तल के प्राकृतिक पुनर्वास को समर्थ करने के लिए उठाए गए कदम और उपाय अभिप्रेत है, जो किसी खान या उसके भाग में उत्पादन संक्रियाओं या प्रसंस्करण संक्रियाओं की समाप्ति से शुरू होता है;
- (ड) "खान को अंतिम रूप से बंद करने की योजना" से किसी खान या उसके किसी भाग में उत्पादन संक्रियाओं और खनिज प्रसंस्करण संक्रियाओं की समाप्ति के पश्चात् उत्पादन संक्रियाओं के

कारण प्रभावित समुद्रतल के प्राकृतिक पुनर्वास को समर्थ करने और उसे बंद करने के प्रयोजन के लिए एक योजना अभिप्रेत है, जिसे भारतीय खान ब्यूरो या परमाणु खनिज गवेषण और अनुसंधान निदेशालय के निदेशक द्वारा परमाणु खनिजों के संबंध में प्रारंभिक मूल्य के बराबर या उससे अधिक ग्रेड वाले खनिजों के लिए जारी किए गए मानक रूप विधान और मार्गदर्शक सिद्धांतों में विनिर्दिष्ट रीति में तैयार किया गया है;

- (ढ) "प्ररूप" से अनुसूची में निर्धारित प्ररूप अभिप्रेत है;
- (ण) "भूविज्ञानी" से किसी संक्रिया संबंधी अधिकार के धारक द्वारा इन नियमों के अधीन भूविज्ञानी के कर्तव्यों का पालन करने के लिए नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है;
- (त) "खनन इंजीनियर" से किसी संक्रिया संबंधी अधिकार के धारक द्वारा इन नियमों के अधीन खनन इंजीनियर के कर्तव्यों का पालन करने के लिए नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है;
- (थ) "खनिज अस्वीकृत" में उल्लिखित सभी सामग्रियां शामिल हैं जो उपयोगी सामग्री नहीं हैं, जिन्हें ग्रेड या आकार के आधार पर अस्वीकृत किया जा सकता है;
- (द) "उत्पादन योजना" से नियम 15 में निर्दिष्ट योजना अभिप्रेत है;
- (ध) "खान बंद करने की प्रगतिशील योजना" से किसी खान या उसके किसी भाग में उत्पादन संक्रियाओं के कारण प्रभावित समुद्रतल के प्राकृतिक पुनर्वास को समर्थ करने और सुरक्षात्मक उपाय प्रदान करने के प्रयोजनार्थ एक प्रगतिशील योजना अभिप्रेत है, जिसे भारतीय खान ब्यूरो या परमाणु खनिज गवेषण और अनुसंधान निदेशालय के निदेशक द्वारा, परमाणु खनिजों के संबंध में प्रारंभिक मूल्य के बराबर या उससे अधिक ग्रेड वाले खनिजों के लिए, जारी मानक रूपविधान और मार्गदर्शक सिद्धांतों में विनिर्दिष्ट रीति में तैयार किया गया है;
- (न) "क्षेत्रीय नियंत्रक" से भारतीय खान ब्यूरो के क्षेत्रीय खान नियंत्रक अभिप्रेत है;
- (प) "अनुसूची" से इन नियमों से संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है;
- (फ) "धारा" से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है;
- (ब) "अस्थायी रूप से बंद करना" से किसी खान या उसके किसी भाग में उत्पादन संक्रियाओं का योजनाबद्ध या अयोजनाबद्ध निलंबन अभिप्रेत है और जहां संक्रिया एक सौ बीस दिन से पहले पुनः शुरू होने की संभावना नहीं है; और
- (भ) "वर्ष" से अप्रैल के पहली दिन से प्रारम्भ होकर आगामी वर्ष के मार्च के इकतीसवें दिन समाप्त होने वाली बारह मास की अवधि अभिप्रेत है।

(2) इसमें प्रयुक्त किन्तु परिभाषित न किए गए शब्दों और अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों में उन्हें दिया गया है।

4. **परमाणु खनिज खोज संबंधी और अनुसंधान निदेशालय की शक्तियां और कार्य**— इन नियमों में, जहां कहीं भी भारतीय खान ब्यूरो या उसके अधिकारियों की कोई शक्ति, कार्य या जिम्मेदारी विनिर्दिष्ट की जाती है या भारतीय खान ब्यूरो या उसके अधिकारियों को कोई सूचना प्रस्तुत की जानी होती है, उसे परमाणु खनिज खोज संबंधी और अनुसंधान निदेशालय या उसके अधिकारियों की शक्ति, कार्य या जिम्मेदारी के रूप में समझा जाएगा या परमाणु खनिजों के संबंध में प्रारंभिक मूल्य के बराबर या उससे अधिक ग्रेड वाले खनिजों के लिए उक्त निदेशालय या उसके अधिकारियों को निम्नलिखित रीति से सूचना प्रस्तुत करने की अपेक्षा के रूप में समझा जाएगा, अर्थातः—

- (क) भारतीय खान ब्यूरो के प्रति किसी संदर्भ को परमाणु खनिज खोज संबंधी और अनुसंधान निदेशालय के प्रति संदर्भ माना जाएगा;
- (ख) महानियंत्रक या मुख्य खान नियंत्रक या खान नियंत्रक या क्षेत्रीय नियंत्रक या भारतीय खान ब्यूरो के प्राधिकृत अधिकारी के प्रति कोई संदर्भ, खोज संबंधी और अनुसंधान के लिए परमाणु खनिज निदेशालय के यथास्थिति, निदेशक या, प्राधिकृत अधिकारी के प्रति संदर्भ माना जाएगा।

अध्याय 2

आवीक्षण और खोज संबंधी संक्रिया

5. **खोज संबंधी योजना के संबंध में समर्थ प्राधिकारी**— महानियंत्रक या महानियंत्रक द्वारा लिखित रूप में प्राधिकृत भारतीय खान ब्यूरो का कोई अधिकारी खोज संबंधी योजना के अनुमोदन और उपांतरण के संबंध में निर्णय लेने के लिए समर्थ प्राधिकारी होगा।
6. **खोज संबंधी योजना**— (1) संयुक्त अनुज्ञप्ति अनुदत्त करने के लिए चयनित, अधिमान्य बोलीदाता, सरकार या सरकारी कंपनी या निगम, आशय पत्र या धारा 8 के अधीन अधिसूचना की तारीख से नब्बे दिन की अवधि के भीतर, यथास्थिति, महानियंत्रक और क्षेत्रीय नियंत्रक या भारतीय खान ब्यूरो के प्राधिकृत अधिकारी को खोज संबंधी योजना प्रस्तुत करेगा, जिसमें वह रीति दर्शाई जाएगी जिससे वह संयुक्त अनुज्ञप्ति के अधीन आने वाले क्षेत्र में खोज संबंधी संक्रिया करने का प्रस्ताव करता है।
- (2) किसी अनुज्ञप्ति धारक द्वारा कोई भी खोज संबंधी संक्रिया, खोज संबंधी योजना के अनुसार ही किया जाएगा, जिसे नियम 5 में निर्दिष्ट अधिकारियों द्वारा अनुमोदित किया गया हो।
- (3) खोज संबंधी योजना भारतीय खान ब्यूरो द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट रूपविधान में तैयार की जाएगी।
- (4) खोज संबंधी योजना में निम्नलिखित शामिल होंगे:—
- (क) अनुज्ञप्ति क्षेत्र का अक्षांश और देशांतर में विवरण;
- (ख) योजना का पैमाना और भूवैज्ञानिक मानचित्रण का क्षेत्र;
- (ग) प्रस्तावित खोज संबंधी कार्यक्रम का विवरण;
- (घ) खोज संबंधी संक्रियाओं की एक अस्थायी समय-सीमा और वार्षिक योजना, जिसमें खोज संबंधी संक्रियाओं की उपलब्धियां शामिल हैं;
- (ङ) उपयोग किये जाने वाले जलयानों, उपकरणों, प्रतिष्ठानों, इंजनों, मशीनों और उपकरणों की विशिष्टियां; और
- (च) नियम 5 में निर्दिष्ट समर्थ प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट खोज संबंधी संक्रियाओं का कोई अन्य विवरण।
7. **खोज संबंधी योजना की तैयारी**— प्रत्येक खोज संबंधी योजना, यथास्थिति, निम्नलिखित अर्हता और अनुभव रखने वाले व्यक्ति द्वारा तैयार या उपांतरित की जाएगी:—
- (क) भूविज्ञान या अनुप्रयुक्त भूविज्ञान या भूभौतिकी या समुद्री भूविज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि या किसी केंद्रीय अधिनियम, प्रांतीय अधिनियम या राज्य अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त कोई समतुल्य अर्हता, जिसमें विश्वविद्यालय

अनुदान आयोग अधिनियम 1956 (1956 का 3) की धारा 4 के अधीन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त कोई संस्था या भारत के बाहर किसी विश्वविद्यालय या संस्था द्वारा प्रदत्त और भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई समतुल्य अर्हता शामिल है; तथा

(ख) डिग्री प्राप्त करने के बाद समुद्री खनिज खोज के क्षेत्र में पर्यवेक्षी क्षमता में काम करने का पांच वर्ष का वृत्ति अनुभव।

8. **खोज संबंधी योजना के अनुमोदन की प्रक्रिया—** (1) खोज संबंधी योजना नियम 5 में विनिर्दिष्ट अधिकारी को प्रस्तुत की जाएगी।

(2) नियम 6 के उप-नियम (1) के अधीन अनुमोदन के लिए प्रस्तुत प्रत्येक खोज संबंधी योजना के साथ ऐसी फीस होगी, जैसी भारतीय खान ब्यूरो द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएगी।

(3) नियम 5 में निर्दिष्ट समर्थ प्राधिकारी खोज संबंधी योजना के अनुमोदन के लिए आवेदन का निपटान ऐसे आवेदन की प्राप्ति की तारीख से साठ दिन की अवधि के भीतर करेगा:

परंतुकि कि साठ दिन की उक्त अवधि केवल तभी लागू होगी जब खोज संबंधी योजना सभी प्रकार से पूर्ण हो, और खोज संबंधी योजना को अनुमोदन के लिए प्रारंभिक रूप से प्रस्तुत करने के पश्चात् समक्ष प्राधिकारी द्वारा बाद में सुझाए गए किसी भी उपांतरण के मामले में, उक्त अवधि उस तारीख से लागू होगी, जिसमें ऐसे उपांतरण किए गए हैं और समर्थ प्राधिकारी को नए सिरे से प्रस्तुत किए गए हैं।

(4) नियम 5 में निर्दिष्ट समर्थ प्राधिकारी लिखित आदेश द्वारा किसी भी समय नियम 6 के उप-नियम (1) के अधीन प्रस्तुत खोज संबंधी योजना में उपांतरण का निदेश दे सकेगा या ऐसी योजना में ऐसी शर्तें लगा सकेगा, जिन्हें वह आवश्यक समझे।

9. **खोज संबंधी योजना में उपांतरण—** (1) नियम 6 के उप-नियम (1) के अधीन प्रस्तुत खोज संबंधी योजना को अनुज्ञप्ति धारक द्वारा यथास्थिति, भूवैज्ञानिक कारणों से या खोज संबंधी क्षमता में दक्षता बढ़ाने के लिए या ऐसे अनुज्ञप्ति धारक द्वारा लिखित रूप में विनिर्दिष्ट किए जाने वाले किसी अन्य कारण से या नियम 5 में निर्दिष्ट समर्थ प्राधिकारी द्वारा निदेशित, खोज संबंधी संक्रियाओं के जारी रहने के दौरान किसी भी समय उपांतरित किया जा सकता है।

(2) उप-नियम (1) के अधीन किया गया कोई भी उपांतरण नियम 5 में निर्दिष्ट समर्थ प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के अधीन होगा और नियम 8 में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार निपटाया जाएगा।

(3) नियम 5 में निर्दिष्ट समर्थ प्राधिकारी द्वारा खोज संबंधी योजना में उपांतरण के किसी प्रस्ताव पर संयुक्त अनुज्ञप्ति की खोज अनुज्ञप्ति की समाप्ति से छह मास पूर्व की तारीख के पश्चात विचार नहीं किया जाएगा।

10. **खोज संबंधी संक्रिया खोज संबंधी योजना के अनुसार किए जाएंगे—** प्रत्येक संयुक्त अनुज्ञप्ति धारक, अनुमोदित खोज संबंधी योजना के अनुसार या नियम 9 के अधीन उपबंधित अनुसार या समक्ष प्राधिकारी द्वारा निदेशित ऐसे उपांतरणों के साथ, यदि कोई हो, खोज संबंधी संक्रिया करेगा।

11. **आवीक्षण और खोज संबंधी संक्रियाओं के बारे में सूचना—** प्रत्येक संयुक्त अनुज्ञप्ति धारक को पहली अनुसूची के प्ररूप-क में निम्नलिखित को सूचना भेजनी होगी:—

(क) क्षेत्रीय नियंत्रक, प्रशासनिक प्राधिकारी, भारतीय खान ब्यूरो के प्राधिकृत अधिकारी, तथा नौसेना मुख्यालय

(नौसेना खुफिया निदेशालय), रक्षा मंत्रालय को खोज संबंधी संक्रियाओं और आवीक्षण संक्रियाओं के प्रारंभ होने के बारे में कम से कम दो मास पहले सूचित किया जाना चाहिए।

(ख) भारत सरकार के मुख्य हाइड्रोग्राफर को नेविगेशनल चार्ट पर प्रकाशन करने तथा आवीक्षण संक्रियाओं और खोज संबंधी संक्रियाओं को आरंभ करने से कम से कम पंद्रह दिन पहले समुद्र में नाविकों और स्थानीय मछुआरों की सुरक्षा के लिए नौसंचालन क्षेत्र को चेतावनी जारी करने के लिए पत्र।

12. **खोज संबंधी संक्रियाओं का निरीक्षण—** (1) संयुक्त अनुज्ञप्ति धारक किसी भी प्राधिकृत अधिकारी को किसी भी समय उसके द्वारा रखे गए लेखों की जांच करने की अनुमति देगा और प्राधिकृत अधिकारी को ऐसी सूचना और विवरणियां उपलब्ध कराएगा, जिनकी प्राधिकृत अधिकारी अपेक्षा करे।

(2) संयुक्त अनुज्ञप्ति धारक किसी भी प्राधिकृत अधिकारी को उसके द्वारा किए गए किसी भी खोज संबंधी संक्रिया का निरीक्षण करने की अनुमति देगा, जिसमें खोज संबंधी संक्रियाओं के दौरान तैयार किए गए मानचित्र, खंड, प्रोफाइल, कोर लॉग और नमूने शामिल हैं।

13. **संयुक्त अनुज्ञप्ति धारक या किसी अन्य प्राधिकृत अभिकरण द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली रिपोर्ट—** (1) संयुक्त अनुज्ञप्ति का प्रत्येक धारक, यथास्थिति, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, प्रशासनिक प्राधिकारी, भारतीय खान ब्यूरो के प्राधिकृत अधिकारी, क्षेत्रीय नियंत्रक और किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी को, निम्नलिखित रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा:—

(क) वर्ष की समाप्ति के पश्चात् साठ दिनों के भीतर पहली अनुसूची के प्ररूप-ख में अद्यतन वार्षिक प्रगति के साथ वार्षिक रिपोर्ट;

(ख) तिमाही समाप्ति के पश्चात् तीस दिनों के भीतर पहली अनुसूची के प्ररूप-ख में अद्यतन तिमाही प्रगति;

(ग) अपतटीय क्षेत्र (खनिज संसाधनों की विद्यमानता) नियम, 2024 के नियम 4 के अधीन तैयार भूवैज्ञानिक रिपोर्ट के रूप में खोज संबंधी संक्रियाओं के परिणाम की व्याख्या करने वाली अंतिम रिपोर्ट; खोज संबंधी संक्रियाओं के पूरा होने के पश्चात् छह मास के भीतर, यदि लागू हो, तो उत्पादन पट्टा अनुदत्त करने के लिए उपयुक्त क्षेत्र की पहचान करना।

(2) उप-नियम (1) के अधीन रिपोर्टिंग का रूपविधान भारतीय खान ब्यूरो द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाएगा।

(3) धारा 5 की उपधारा (1) के परन्तुक के अधीन प्राधिकृत प्रत्येक अभिकरण भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, प्रशासनिक प्राधिकारी, भारतीय खान ब्यूरो के प्राधिकृत अधिकारी और क्षेत्रीय नियंत्रक को पहली अनुसूची के प्ररूप-ख में वार्षिक प्रगति अद्यतन सहित वार्षिक रिपोर्ट इस प्रकार प्रस्तुत करेगा कि वह ऐसी अभिकरण द्वारा आवीक्षण संक्रियाओं या खोज संबंधी संक्रियाओं के प्रारंभ की तारीख से प्रत्येक बारह मास की समाप्ति के पश्चात् साठ दिन के भीतर उसके पास पहुंच जाए।

(4) आवीक्षण संक्रिया या खोज संबंधी संक्रिया को परित्याग करने की दशा में पहली अनुसूची के प्ररूप-ख के साथ रिपोर्ट ऐसे परित्याग की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर प्रस्तुत की जाएगी और रिपोर्ट की एक प्रति भारत सरकार के मुख्य हाइड्रोग्राफर को भेजी जाएगी।

(5) उप-नियम (1) के अधीन रिपोर्ट प्रस्तुत करते समय, अनुज्ञप्ति धारक यह विनिर्दिष्ट कर सकेगा कि उसके द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट और डाटा का संपूर्ण भाग या उसका कोई भाग गोपनीय रखा जाएगा, और उप-नियम (1) में विनिर्दिष्ट प्राप्तकर्ता, प्रस्तुत रिपोर्ट और डाटा के ऐसे भागों को गोपनीय रखेंगे, जैसा वे उचित समझें:

परंतु, केन्द्रीय सरकार को ऐसी गोपनीय रिपोर्टों और डाटा को अपने प्रयोजनों के लिए स्वतंत्र रूप से उपयोग करने का अधिकार होगा:

परंतुकि कि यदि अनुज्ञप्ति धारक धारा 12 की उपधारा (6) में निर्धारित समय अवधि के भीतर उत्पादन पट्टे के लिए आवेदन करने में विफल रहता है, या यदि अनुज्ञप्ति धारक द्वारा प्रस्तुत उत्पादन पट्टे के लिए आवेदन केन्द्रीय सरकार या प्रशासनिक प्राधिकारी द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है, या संयुक्त अनुज्ञप्ति के निरस्तीकरण या समाप्ति पर, या अपतट क्षेत्र खनिज (नीलामी) नियम, 2024 के नियम 18 के उपनियम (7) के पहले परंतुक के अनुसार संक्रिया का परित्याग या अतिरिक्त क्षेत्र का समर्पण कर दिया जाता है, तो उक्त अनुज्ञप्ति धारक द्वारा प्रस्तुत सभी रिपोर्ट और डाटा केन्द्रीय सरकार की एकमात्र संपत्ति बन जाएंगे।

अध्याय 3

उत्पादन संक्रिया

14. **उत्पादन योजना के संबंध में समर्थ प्राधिकारी**— महानियंत्रक या महानियंत्रक द्वारा लिखित रूप में प्राधिकृत भारतीय खान ब्यूरो का कोई अधिकारी उत्पादन योजना के अनुमोदन, पुनर्विलोकन और उपांतरण तथा खान को अंतिम रूप से बंद करने की योजना के संबंध में निर्णय लेने के लिए समर्थ प्राधिकारी होगा।
15. **उत्पादन योजना**— (1) कोई भी उत्पादन संक्रिया नहीं की जाएगी, सिवाय उस उत्पादन योजना के, जिसे नियम 14 में निर्दिष्ट समर्थ प्राधिकारी द्वारा तथा नियम 16,17 और 18 के अनुसार अनुमोदित, उपांतरित या पुनर्विलोकित किया गया हो।
 - (2) उत्पादन योजना में निम्नलिखित शामिल होंगे, अर्थात्:—
 - (क) पट्टा क्षेत्र की योजना जिसमें खनिज क्षेत्र, स्थान या स्थानों की प्रकृति और सीमा को दर्शाया गया हो, जहां आवेदक या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा एकत्रित डाटा के आधार पर उत्पादन संक्रिया किए जाने का प्रस्ताव है;
 - (ख) पट्टा क्षेत्र के भूविज्ञान और अश्म विज्ञान (लिथोलॉजी) का ब्यौरा जिसमें क्षेत्र के खनिज संसाधन और भंडार शामिल हैं;
 - (ग) प्रस्तावित खोज संबंधी और उत्पादन कार्यक्रम का विवरण;
 - (घ) निकाले गए खनिजों के मापन या वजन की प्रणाली, रॉयल्टी की गणना, पट्टा क्षेत्र से निकासी का स्थान और भारत में उतराई या निकासी का बंदरगाह, जहां खनिजों को लाया जाएगा, का ब्यौरा, यदि कोई हो;
 - (ङ) उत्पादन की विधि, उत्खनन, ड्रिलिंग, ड्रेजिंग, अपशिष्ट और खनिज अस्वीकृतों का रखरखाव, खनिज का उपयोग और खनिजों का सज्जीकरण, साइट-सेवाएं, नियोजन-संभावना को दर्शाते हुए उत्पादन संक्रिया के तरीके का विवरण;
 - (च) उत्पादन संक्रियाओं की एक अस्थायी अनुसूची और पांच वर्षों के लिए वर्ष दर वर्ष उत्पादन संक्रियाओं की योजना;
 - (छ) खान अपशिष्ट के संचयन और उसके निपटान और परिरोध की रीति और ढंग के बारे में एक अस्थायी अनुमान;

- (ज) खनिज प्रसंस्करण और खनिज उन्नयन की रीति, यदि कोई हो, जिसमें टेलिंग निपटान का ढंग भी शामिल है;
- (झ) खान बंद करने की प्रगतिशील योजना;
- (ञ) आधारभूत सूचना, समाघात आकलन और शमन उपायों को दर्शाने वाली पर्यावरण प्रबंधन योजना और;
- (ट) कोई अन्य विषय जिसे केन्द्रीय सरकार या भारतीय खान ब्यूरो आवेदक से उत्पादन योजना में उपलब्ध कराने की अपेक्षा कर सकता है।
- (3) इस संबंध में भारतीय खान ब्यूरो द्वारा तैयार मैनुअल के अनुसार उत्पादन योजना बनाई जाएगी।

16. उत्पादन योजना की तैयारी— (1) प्रत्येक उत्पादन योजना, यथास्थिति, निम्नलिखित अर्हता और अनुभव रखने वाले व्यक्ति द्वारा तैयार या उपांतरित की जाएगी:

- (क) खनन इंजीनियरिंग में डिग्री या भूविज्ञान या अनुप्रयुक्त भूविज्ञान या भूभौतिकी या समुद्री भूविज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री या किसी केंद्रीय अधिनियम, प्रांतीय अधिनियम या राज्य अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की गई कोई समतुल्य अर्हता, जिसमें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 (1956 का 3) की धारा 4 के अधीन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त कोई भी संस्था या भारत के बाहर किसी भी विश्वविद्यालय या संस्था द्वारा अनुदत्त की गई और भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई समतुल्य अर्हता शामिल है; और
- (ख) डिग्री अभिप्राप्त करने के पश्चात् खनन के क्षेत्र में पर्यवेक्षी क्षमता में काम करने का पांच वर्ष का वृत्तिक अनुभव।
- (2) पट्टेदार का यह दायित्व होगा कि वह यह सुनिश्चित करे कि उत्पादन योजना भारतीय खान ब्यूरो द्वारा इस संबंध में तैयार किए गए मैनुअल के अनुसार तैयार की जाए।

17. उत्पादन योजना के अनुमोदन की प्रक्रिया— (1) उत्पादन योजना नियम 14 में निर्दिष्ट समर्थ प्राधिकारी को प्रस्तुत की जाएगी।

- (2) उप-नियम (1) के अधीन अनुमोदन के लिए प्रस्तुत प्रत्येक उत्पादन योजना के साथ ऐसी फीस की जाएगी, जैसा कि भारतीय खान ब्यूरो द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाएगा।
- (3) नियम 14 में निर्दिष्ट समर्थ प्राधिकारी उत्पादन योजना के अनुमोदन के लिए आवेदन का निपटान ऐसे आवेदन की प्राप्ति की तारीख से नब्बे दिन की अवधि के भीतर करेगा:

परंतुकि कि नब्बे दिनों की उक्त अवधि केवल तभी लागू होगी जब उत्पादन योजना सभी प्रकार से पूर्ण हो, और उत्पादन योजना के अनुमोदन के लिए प्रारंभिक प्रस्तुतीकरण के पश्चात समर्थ प्राधिकारी द्वारा बाद में सुझाए गए किसी उपांतरण की दशा में, उक्त अवधि उस तारीख से लागू होगी जिसमें ऐसे उपांतरण किए गए हों और समर्थ प्राधिकारी को नए सिरे से प्रस्तुत किए गए हों।

- (4) नियम 14 में निर्दिष्ट समर्थ प्राधिकारी लिखित आदेश द्वारा किसी भी समय उत्पादन योजना में परिवर्तन करने का निर्देश दे सकता है या उत्पादन योजना में ऐसी शर्तें लगा सकता है, जिन्हें वह आवश्यक समझे।

- 18. उत्पादन योजना का उपांतरण और पुनर्विलोकन—** (1) एक बार अनुमोदित उत्पादन योजना, विधिवत निष्पादित उत्पादन पट्टा विलेख के निष्पादन की तारीख से प्रारंभ होकर प्रत्येक पांच वर्ष के अंतराल पर पुनर्विलोकन और अद्यतन के अधीन होगी।
- (2) उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक पांच वर्ष की अवधि की समाप्ति से कम से कम एक सौ बीस दिन पूर्व, पट्टेदार, नियम 16 के अनुसार तैयार की गई पश्चातवर्ती पांच वर्षों की अवधि के लिए उत्पादन संक्रियाओं के लिए उत्पादन योजना प्रस्तुत करेगा, जिसका निपटान नियम 17 के अनुसार किया जाएगा।
- (3) उत्पादन पट्टे का धारक अनुमोदित उत्पादन योजना में जिन्हें वह उचित समझता हो, कारबार वातावरण में परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए या उत्पादन क्षमता में दक्षता बढ़ाने के लिए या सुरक्षित और वैज्ञानिक खनन, खनिजों के संरक्षण, पर्यावरण की सुरक्षा या भूवैज्ञानिक कारणों से पट्टे की अवधि के दौरान या उत्पादन पट्टे के धारक द्वारा लिखित रूप में विनिर्दिष्ट किसी अन्य कारण से ऐसे उपांतरणों की मांग कर सकता है।
- (4) उत्पादन योजना में उपांतरण कि दशा में, नियम 16 और नियम 17 के उपबंध यथावश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे।
- 19. उत्पादन पट्टे के अधीन उत्पादन संक्रिया—** यदि उत्पादन संक्रिया अनुमोदित उत्पादन योजना के अनुसार नहीं किए जाते हैं या उत्पादन योजना में अंतर्विष्ट कोई सूचना गलत, भ्रामक या इन नियमों सहित लागू विधियों का अनुपालन न करने वाली पाई जाती है, तो समर्थ प्राधिकारी आदेश द्वारा सभी या किसी भी उत्पादन संक्रिया को निलंबित कर सकता है और केवल ऐसी संक्रिया को जारी रखने की अनुमति दे सकता है, जो पट्टा क्षेत्र में ऐसी संक्रियाओं से प्रभावित समुद्र तल के प्राकृतिक पुनर्वास को समर्थ करने के लिए आवश्यक हैं, जिसमें अनुमोदित उत्पादन योजना या उपांतरित उत्पादन योजना के अधीन परिकल्पित ऐसे संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किए जाने वाले कोई भी उपाय शामिल हैं:
- परंतु कि पट्टेदार को उल्लंघन के बारे में लिखित रूप में सूचित किया जाएगा और यदि उल्लंघन पैंतालीस दिनों की अवधि के भीतर ठीक नहीं किया जाता है, तो कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा जिसमें कारण पूछा जाएगा कि उत्पादन संक्रियाओं को निलंबित क्यों न कर दिया जाए और, इसके अतिरिक्त, यदि तीस दिनों की अवधि के भीतर कोई संतोषजनक उत्तर प्राप्त नहीं होता है, तो उत्पादन संक्रियाओं को निलंबित कर दिया जाएगा:
- परंतु यह और कि समर्थ प्राधिकारी इस संबंध में बताए गए उल्लंघन को सुधार कर अनुपालन के पश्चात् निलंबन को रद्द कर सकता है।
- 20. उत्पादन संक्रियाओं का निरीक्षण—** (1) उत्पादन पट्टे का धारक किसी भी प्राधिकृत अधिकारी को किसी भी समय उसके द्वारा रखे गए लेखा ब्यौरे की जांच करने की अनुमति देगा और प्राधिकृत अधिकारी को ऐसी सूचना और विवरणियां उपलब्ध कराएगा, जिनकी प्राधिकृत अधिकारी अपेक्षा करे।
- (2) उत्पादन पट्टे का धारक किसी भी प्राधिकृत अधिकारी को उसके द्वारा किए जाने वाले किसी भी उत्पादन संक्रिया का निरीक्षण करने की अनुमति देगा, जिसमें उत्पादन संक्रियाओं के दौरान उत्पन्न कोर लॉग और नमूने भी शामिल हैं।

21. **खोज संबंधी संक्रियाएं और उत्पादन संक्रियाएं—** (1) खोज संबंधी संक्रियाएं और उत्पादन संक्रियाएं इस प्रकार की जाएंगी जिससे खनिज भंडारों का व्यवस्थित विकास, खनिजों का संरक्षण और समुद्री पर्यावरण की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।

(2) संयुक्त अनुज्ञप्ति धारक अपतट क्षेत्र (खनिज संसाधनों की विद्यमानता) नियम, 2024 में दिए गए मानदंडों के अनुसार खोज करेगा:

परंतु परमाणु खनिजों के संबंध में खोज संबंधी सन्नियम, खोज संबंधी और अनुसंधान के लिए परमाणु खनिज निदेशालय द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएंगे।

(3) उत्पादन पट्टे का धारक, उत्पादन पट्टे के अधीन सम्पूर्ण संभावित खनिजयुक्त क्षेत्र पर विस्तृत गवेषण [(जी1 स्तर)] यथास्थिति, अपतट क्षेत्र (खनिज संसाधनों की विद्यमानता) नियम, 2024 या परमाणु खनिजों के संबंध में प्रारंभिक मूल्य के बराबर या उससे अधिक ग्रेड वाले खनिजों के संबंध में धारा 35 के अधीन बनाये गए नियमों में विनिर्दिष्ट रीति में, ऐसे उत्पादन पट्टे के निष्पादन के पश्चात खान खुलने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के भीतर करेगा।

(4) उप-नियम (3) के अधीन किए गए खोज के लिए, उत्पादन पट्टा धारक खोज संक्रिया पूरा होने के तीन मास के भीतर, अपतट क्षेत्र (खनिज संसाधनों की विद्यमानता) नियम, 2024 में विनिर्दिष्ट रीति में तैयार भूवैज्ञानिक अध्ययन रिपोर्ट प्रशासनिक प्राधिकारी और भारतीय खान ब्यूरो को प्रस्तुत करेगा।

(5) प्रशासनिक प्राधिकारी इस नियम के अधीन प्रस्तुत भूवैज्ञानिक अध्ययन रिपोर्ट का सत्यापन हेतु तकनीकी लेखा-परीक्षण करेगा और यदि पट्टेदार इस प्रकार विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करने में असफल रहता है, तो प्रशासनिक प्राधिकारी पट्टेदार को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् अनुपालन लागू करने के लिए ऐसी कार्यवाई कर सकेगा, जैसा वह उचित समझे।

(6) अपतट क्षेत्र (खनिज संसाधनों की विद्यमानता) नियम, 2024 की पहली अनुसूची के भाग 3 के अनुसार, नियमित अंतराल पर, अधिमानतः मीटर वार या उससे कम, पूरे खनिज भाग के लिए ड्रिल कोर का नमूना लिया जाएगा और सभी नमूनों के लिए प्रमुख रेडिकल का रासायनिक विश्लेषण किया जाएगा।

(7) खनिज संसाधनों का आकलन समय-समय पर किए गए खोज के आधार पर किया जाएगा तथा संसाधनों का आकलन खनिज के प्रारंभिक मूल्य तक किया जाएगा, जैसा कि भारतीय खान ब्यूरो द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जा सकता है तथा अद्यतन संसाधनों को पांच वर्ष के अंतराल पर उत्पादन योजना के पुनर्विलोकन में प्रस्तुत किया जाएगा।

(8) भारतीय खान ब्यूरो पणधारियों के परामर्श से समय-समय पर खनिजों के प्रारंभिक मूल्यों का पुनर्विलोकन करेगा।

22. **मशीनरी और संयंत्र—** (1) उत्पादन पट्टे का धारक प्रत्येक जलयान, सर्वेक्षण उपस्कर, नमूना उपस्कर, ड्रेजर, लाभकारी संयंत्र, मशीनरी के संबंध में अपने प्रबंधक या खनन इंजीनियर द्वारा सम्यक्तः प्रमाणित लॉग बुक बनाए रखेगा, जिसमें तारीखवार, सर्वेक्षण लाइनों सहित सर्वेक्षण स्थान, नमूना स्थान, मौसम की स्थिति, समुद्र की स्थिति, काम किए गए घंटों का लेखा-जोखा, काम न किए गए घंटे, काम न करने के कारण, ईंधन या ऊर्जा और स्नेहक की खपत और संबंधित कार्य समयावधि के दौरान मशीन का आउटपुट दिखाया जाएगा।

(2) उप-नियम (1) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक मशीन, जलयान, उपस्कर और संयंत्र की संक्रिया का सारांश प्रत्येक मास के अंत में लॉग बुक में दर्ज किया जाएगा, जिसमें ऐसी मशीन, जलयान, उपस्कर और संयंत्र की

उपलब्धता का प्रतिशत और उपयोग का प्रतिशत, औसत प्रति घंटा निष्पादन और प्रति घंटा औसत ईंधन या ऊर्जा खपत दर्शाई जाएगी।

- (3) लॉग बुक इलेक्ट्रॉनिक रूप में या हार्ड कॉपी में रखी जाएगी तथा भारतीय खान ब्यूरो के प्राधिकृत अधिकारी को मांगने पर उपलब्ध कराई जाएगी।

23. खान में उत्पादन संक्रियाओं के प्रारंभ की सूचना— उत्पादन पट्टे का प्रत्येक धारक पहली अनुसूची के प्ररूप-ग में निम्नलिखित को सूचना भेजेगा:—

- (क) यथास्थिति, एक प्रशासनिक प्राधिकारी, भारतीय खान ब्यूरो का प्राधिकृत अधिकारी, नौसेना मुख्यालय (नौसेना खुफिया निदेशालय), रक्षा मंत्रालय के प्राधिकृत अधिकारी और भारत सरकार के मुख्य हाइड्रोग्राफर, को खान में उत्पादन संक्रिया के प्रारंभ होने से कम से कम दो मास पहले प्रस्तुत करना होगा, जिसके साथ अनुमोदित उत्पादन योजना की एक प्रति संलग्न होगी।
- (ख) भारत सरकार के मुख्य हाइड्रोग्राफर को नौवहन चार्ट पर प्रकाशन करने तथा उत्पादन संक्रिया शुरू करने से कम से कम पंद्रह दिन पहले समुद्र में नाविकों और स्थानीय मछुआरों की सुरक्षा के लिए नौसंचालन क्षेत्र को चेतावनी जारी करने के लिए पत्र लिखा जाएगा।

24. खानों का परित्याग—(1) उत्पादन पट्टे का धारक, उत्पादन पट्टे की अवधि के दौरान भारतीय खान ब्यूरो के प्राधिकृत अधिकारी की लिखित पूर्व अनुमति के बिना खान का परित्याग नहीं करेगा।

- (2) उत्पादन पट्टे का धारक भारतीय खान ब्यूरो के प्राधिकृत अधिकारी को पहली अनुसूची के प्ररूप-घ में खान को छोड़ने के अपने इरादे की सूचना भेजेगा, जो ऐसी परित्याग की अपेक्षित तारीख से कम से कम नब्बे दिन पूर्व उन तक पहुंच जाए, जिसके साथ नियम 30 में विनिर्दिष्ट पैमाने पर मानचित्र, खंड और प्रोफाइल संलग्न होंगे, जिसमें सूचना प्रस्तुत करने के समय तक खान में किए गए संक्रिया को सटीक रूप से दर्शाया जाएगा, जिसमें परित्यक्त खान या उसके भाग, उसके पहुंच मार्गों और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए परिकल्पित उपाय शामिल होंगे:

परंतु कि भारतीय खान ब्यूरो का प्राधिकृत अधिकारी मानचित्रों, खंडों और प्रोफाइलों को किसी अन्य उपयुक्त पैमाने पर तैयार करने की अपेक्षा कर सकेगा।

- (3) भारतीय खान ब्यूरो का प्राधिकृत अधिकारी, प्रस्तावित परित्याग तारीख से पूर्व लिखित आदेश द्वारा परित्याग को प्रतिषिद्ध कर सकता है या आदेश में विनिर्दिष्ट शर्तों के साथ परित्याग की अनुमति दे सकता है।
- (4) उत्पादन पट्टे का धारक तब तक किसी खान का परित्याग नहीं करेगा जब तक कि समर्थ प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित खान को अंतिम रूप से बंद करने की योजना कार्यान्वित नहीं कर दी जाती है, और इस प्रयोजन के लिए, पट्टेदार को भारतीय खान ब्यूरो के प्राधिकृत अधिकारी से इस आशय का प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा कि पट्टेदार ने खान को अंतिम रूप से बंद करने की योजना के अनुसार या समर्थ प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित ऐसे उपांतरणों के साथ उत्पादन संक्रियाओं से प्रभावित समुद्रतल के प्राकृतिक पुनर्वास को समर्थ करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा लिए हैं, जिनमें केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किए जाने वाले उपाय भी शामिल हैं।
- (5) उत्पादन पट्टे का धारक, उत्पादन पट्टे के पट्टा क्षेत्र में उत्पादन संक्रियाओं से प्रभावित समुद्रतल के प्राकृतिक पुनर्वास को समर्थ बनाने के लिए, सुरक्षात्मक उपायों के लिए तथा सभी आवश्यक कदम उठाने

के लिए प्रशासनिक प्राधिकारी द्वारा किए गए निष्पादन सुरक्षा के अतिरिक्त किसी भी व्यय का संदाय करने के लिए उत्तरदायी बना रहेगा, जिसके अधीन समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाने वाले उपाय भी शामिल हैं।

- 25. खान को अंतिम रूप से बंद करने की योजना प्रस्तुत करना—** (1) प्रत्येक उत्पादन पट्टा धारक भारतीय खान ब्यूरो द्वारा समय-समय पर तैयार किए गए मार्गदर्शक सिद्धांतों और रूपविधान के अनुसार खान को अंतिम रूप से बंद करने की योजना तैयार करने के लिए कदम उठाएगा।
- (2) उत्पादन पट्टे के धारक को प्रस्तावित खान को अंतिम रूप से बंद करने या उत्पादन पट्टे के सम्पूर्ण या आंशिक क्षेत्र को समर्पित करने से दो वर्ष पूर्व अनुमोदन के लिए समर्थ प्राधिकारी को खान को अंतिम रूप से बंद करने की योजना प्रस्तुत करनी होगी, जिसके साथ भारतीय खान ब्यूरो द्वारा विनिर्दिष्ट फीस भी देना होगा।
- (3) समर्थ प्राधिकारी खान को अंतिम रूप से बंद करने की योजना की स्वीकृति या अस्वीकृति की सूचना उत्पादन पट्टे के धारक को उसकी प्राप्ति की तारीख से नब्बे दिनों के भीतर देगा।
- (4) उप-नियम (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर खान को अंतिम रूप से बंद करने की योजना प्रस्तुत न करने पर निष्पादन सुरक्षा जब्त कर ली जाएगी।
- 26. खान को अंतिम रूप से बंद करने की योजना में उपांतरण—** (1) अनुमोदित खान को अंतिम रूप से बंद करने की योजना में उपांतरणों की ईप्सा के इच्छुक उत्पादन पट्टा धारक को, आशयित उपांतरणों को निर्धारित करते हुए तथा ऐसे उपांतरणों के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुमोदन के लिए समर्थ प्राधिकारी को प्रस्तुत करना होगा।
- (2) समर्थ प्राधिकारी उपनियम (1) के अधीन प्रस्तुत उपांतरणों को अनुमोदित कर सकता है या ऐसे परिवर्तनों के साथ अनुमोदित कर सकता है, जिन्हें वह उचित समझे।
- 27. उत्पादन पट्टा धारक का उत्तरदायित्व—** उत्पादन पट्टा धारक का उत्तरदायित्व होगा कि वह अनुमोदित अंतिम खान बंदी योजना के अनुसार या समर्थ प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित ऐसे उपांतरणों के साथ, उत्पादन संक्रियाओं से प्रभावित समुद्र तल के प्राकृतिक पुनर्वास को समर्थ करने के लिए सभी आवश्यक कदम या उपाय करे, जिनमें केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किए जा सकने वाले उपाय भी शामिल हैं।
- 28. खानों में कार्य के अस्थायी रूप से बंद होने की सूचना तथा पट्टेदारों के दायित्व—** (1) धारा 7 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, उत्पादन पट्टा धारक भारतीय खान ब्यूरो के प्राधिकृत अधिकारी, प्रशासनिक प्राधिकारी के और भारत सरकार के मुख्य हाइड्रोग्राफर को पहली अनुसूची के प्ररूप-ड में सूचना भेजेगा, जब खान या उसके किसी भाग में उत्पादन या खनिज प्रसंस्करण संक्रियाएं नब्बे दिन से अधिक अवधि के लिए बंद कर दी जाती हैं, ताकि वह उन्हें ऐसे अस्थायी बंद होने की तारीख से एक सौ बीस दिन के भीतर पहुंच जाए।
- (2) जहां उत्पादन पट्टे के धारक के नियंत्रण से परे किसी प्राकृतिक आपदा के परिणामस्वरूप या किसी प्रवृत्त विधि के अधीन स्थापित किसी कानूनी प्राधिकरण या किसी अधिकरण या न्यायालय द्वारा जारी किसी आदेश या निदेशों के अनुपालन में बंद किया जाता है, वहां पहली अनुसूची के प्ररूप-ड में इस तरह के बंद होने की तारीख से पंद्रह दिनों की अवधि के भीतर भारतीय खान ब्यूरो के प्राधिकृत अधिकारी को एक नोटिस प्रस्तुत किया जाएगा।

(3) किसी खान या उसके किसी भाग के अस्थायी रूप से बंद होने के दौरान, उत्पादन पट्टा धारक का उत्तरदायित्व होगा कि वह—

- (क) अनाधिकृत प्रवेश को निर्बंधित करने के लिए युक्तियुक्त प्रतिवेधात्मक उपायों का अनुपालन करना;
- (ख) विद्युत और यांत्रिक प्रतिष्ठानों, कार्यकलापों और अन्य सभी संरचनाओं के संभावित खतरनाक स्रोतों के लिए सुरक्षात्मक उपाय उपबंध करना;
- (ग) यह सुनिश्चित करना कि सभी दूषित अपशिष्टों को नियंत्रित किया जाए और सभी भौतिक, रासायनिक, जैविक मॉनीटरी कार्यक्रम जारी रहे।

29. **खान को पुनः खोलने की सूचना**— उत्पादन पट्टे का धारक, अस्थायी रूप से बंद किए जाने के पश्चात् खान को पुनः खोलने से कम से कम तीस दिन पहले, प्रशासनिक प्राधिकारी, भारतीय खान ब्यूरो के प्राधिकृत अधिकारी, नौसेना मुख्यालय (नौसेना खुफिया निदेशालय), रक्षा मंत्रालय और भारत सरकार के मुख्य हाइड्रोग्राफर को पहली अनुसूची के प्ररूप-ग में सूचना भेजेगा।

अध्याय 4

मानचित्र, अनुभाग और प्रोफाइल

30. **मानचित्रों, अनुभागों और प्रोफाइलों के बारे में सामान्य अपेक्षाएँ**— (1) इन नियमों के उपबंधों के अनुसार तैयार या प्रस्तुत प्रत्येक मानचित्र, अनुभाग या प्रोफाइल में—

- (क) खान और उत्पादन पट्टा धारक का नाम दर्शाएं तथा वह प्रयोजन बताएं जिसके लिए मानचित्र, अनुभाग या प्रोफाइल तैयार की गई है;
- (ख) सही उत्तर या चुंबकीय मध्याह्न रेखा और अवलोकन की तारीख दर्शाएं;
- (ग) मानचित्र का एक पैमाना दिखाएं जो कम से कम पच्चीस सेंटीमीटर लंबा और उपयुक्त रूप से उप-विभाजित हो;
- (घ) जब तक कि अन्यथा उपबंधित न हो, एक पैमाने पर होगा जिसका प्रतिनिधि कारक होगा—
 - (i) 1:1,000 या उससे कम, यदि पट्टा क्षेत्र में छह मानक ब्लॉक हों; तथा
 - (ii) 1:5,000 या उससे कम, यदि पट्टा क्षेत्र में छह से अधिक मानक ब्लॉक हों:

परन्तु समर्थ प्राधिकारी लिखित आदेश द्वारा तथा उसमें विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए मानचित्रों को किसी अन्य उपयुक्त पैमाने पर तैयार करने की अनुमति दे सकेगा या अपेक्षा कर सकेगा;

- (ङ) भारतीय खान ब्यूरो द्वारा विनिर्दिष्ट रूपविधान में डिजिटल रूप से तैयार किया जाएगा।
- (2) मानचित्र, खंड और प्रोफाइल त्रुटि की ऐसी सीमाओं के भीतर सटीक होंगे जैसा महानियंत्रक सामान्य या विशेष आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करें।

- (3) इन नियमों के अधीन अपेक्षित मानचित्र, खंड और प्रोफाइल को अद्यतन रखा जाएगा तथा उस वर्ष से संबंधित विभिन्न गतिविधियों के लिए अनुमोदित उत्पादन योजना का संबंधित प्रस्ताव भी तीन मास के भीतर दर्शाया जाएगा।

31. मानचित्रों, खंडों और प्रोफाइलों के प्रकार— (1) उत्पादन पट्टे का धारक डिजिटल रूप से तैयार किए गए निम्नलिखित मानचित्र, खंड और प्रोफाइल रखेगा, अर्थात्:—

- (क) एक मानचित्र जिसमें मार्कर बॉयज़ (यदि तैनात हैं) का स्थान और संख्या, उसके अक्षांश और देशांतर मान, उत्पादन पट्टे की सीमाओं के भीतर समुद्र तल की प्रत्येक आकृति संबंधी विशेषता, दूरसंचार केबल, विद्युत संचरण लाइन, अपतट पवन टरबाइन जनरेटर, अपतट विद्युत सबस्टेशन, तेल प्लेटफार्म या पाइपलाइन, पानी के नीचे के पुरातात्विक स्थल, डंप और डंपिंग क्षेत्र, समुद्री अभयारण्य, मानक ब्लॉकों का निपटान, रॉक आउटक्रॉप और उत्पादन पट्टे में दर्शाए गए अन्य कामकाज हों;

- (ख) उत्पादन पट्टे के क्षेत्र का भूवैज्ञानिक मानचित्र जिसमें दर्शाया गया है—

- (i) एक मीटर से कम अंतराल पर गहराई समोच्च के साथ बैथिमेट्रिक मानचित्र;
- (ii) नमूने का स्थान, तलछट वितरण, खोज संबंधी गड्ढे, ड्रेज लाइनें, कोरिंग या ड्रिल कोर और खोज संबंधी या उत्पादन संक्रियाओं के लिए बनाए गए अन्य उद्घाटन;
- (iii) अपतट क्षेत्र (खनिज संसाधनों की विद्यमानता) नियम, 2024 में यथा विनिर्दिष्ट गवेषण स्तर जैसे कि जी1, जी2, जी3 और जी4;
- (iv) खनिज वितरण मानचित्र;
- (v) भूकंपीय सर्वेक्षण या उप-तल प्रोफाइलर सर्वेक्षण के आधार पर विभिन्न तलछट परतों को दर्शाने के लिए 1:500 पैमाने या बड़े पैमाने पर ऊर्ध्वाधर पैमाने पर उप-तल भाग;
- (vi) कोर नमूनों और/या ड्रिल कोर के आधार पर खनिज सामग्री के साथ तलछट संबंधी या लिथोलॉजिकल भिन्नता दिखाने वाले भाग;
- (vii) एक मीटर अंतराल तलछट मोटाई पर ग्रेड के साथ मानक ब्लॉक-वार खनिज आकलन।

- (2) नियम 31 के उप-नियम (1) के खंड (ख) के अधीन विनिर्दिष्ट मानचित्रों में प्रस्तावित ड्रेज लाइनों को बिन्दुबद्ध रेखाओं के रूप में और पूर्ण की गई ड्रेज लाइनों को स्तरवार निश्चित रेखाओं के रूप में दर्शाया जाएगा;

- (3) प्रत्येक खनिज भंडार का कार्य-क्षेत्र अलग मानचित्र पर दर्शाया जाएगा:

परन्तु जहां पट्टा क्षेत्र की सम्पूर्ण सीमा को उसी मानचित्र पर दर्शाना संभव न हो, वहां किसी अन्य उपयुक्त पैमाने पर ऐसी सीमाएं तथा कार्य क्षेत्र की रूपरेखा दर्शाने वाला एक अतिरिक्त मुख्य मानचित्र भी रखा जाएगा।

- (4) उत्पादन पट्टाधारक को निम्नलिखित को रखना होगा, अर्थात्:—

- (क) 1:50,000 के पैमाने पर एक प्रमुख योजना जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:

- (i) उत्पादन पट्टे की सीमा तथा उसके दस किलोमीटर के भीतर स्थित समीपवर्ती क्षेत्र को दर्शाने वाला मानचित्र;
- (ii) तटरेखा और तटीय भूमि चिह्न, जिनके अन्तराल में पाँच मीटर से अधिक दूरी न हो;
- (iii) ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व के स्थान;
- (iv) संरक्षित क्षेत्र, जिसके अधीन समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, समुद्री अभयारण्य या कोई अन्य क्षेत्र शामिल है, जैसा कि केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है;
- (v) दूरसंचार केबल, अपतट पवन टरबाइन जनरेटर, अपतट बिजली सबस्टेशन, अपतट तेल प्लेटफार्म या पाइपलाइन, पानी के नीचे के पुरातात्विक स्थल, रक्षा प्रतिष्ठान या कोई निकटवर्ती बंदरगाह क्षेत्र;
- (vi) नौवहन के प्रयोजनों के लिए मान्यता प्राप्त समुद्री मार्ग; और
- (vii) कोई अन्य सुसंगत विशेषताएं;

परंतु कि जहां बैथिमीट्री चार्ट को निर्बंधित के रूप में वर्गीकृत किया गया है, वहां उपखंड (i) से (vii) में निर्दिष्ट विवरण उपलब्ध सीमा तक मुख्य योजना में शामिल किए जाएंगे;

- (ख) उत्पादन पट्टे के क्षेत्र की पर्यावरण योजना, जिसमें पट्टा क्षेत्र की सीमा के सौ मीटर के भीतर के आसपास के क्षेत्र को 1: 5,000 पैमाने पर, निम्नलिखित को शामिल किया गया है:
 - (i) उत्पादन पट्टे की सीमा को दर्शाने वाला मानचित्र;
 - (ii) पांच मीटर के अंतराल पर समोच्च रेखाएं;
 - (iii) उपरोक्त खंड (क) के उपखंड (iii) और (iv) में इंगित सभी विशेषताएं;
 - (iv) खान संक्रियाओं द्वारा अधिगृहित क्षेत्र, डंप द्वारा आच्छादित क्षेत्र तथा डंप की ऊंचाई, स्थायी प्रतिष्ठान (यदि कोई हो), प्रसंस्करण संयंत्र;
 - (v) वह क्षेत्र जिसके लिए उत्पादन संक्रियाओं से प्रभावित समुद्र तल के प्राकृतिक पुनर्वास को समर्थ करने के लिए कदम और उपाय किए गए हैं;
 - (vi) कोई अन्य सुसंगत विशेषताएँ.
- (5) समर्थ प्राधिकारी लिखित आदेश द्वारा इन नियमों के अधीन रखे जाने वाले मानचित्रों, खंडों और प्रोफाइलों पर ऐसे अतिरिक्त ब्यौरे दर्शाने की अपेक्षा कर सकेगा या ऐसे ब्यौरे दर्शाने वाले मानचित्रों, खंडों और प्रोफाइलों को ऐसे पैमाने पर और ऐसे समय के भीतर तैयार करने और बनाए रखने की अपेक्षा कर सकेगा जैसा वह आदेश में विनिर्दिष्ट करे।
- (6) समर्थ प्राधिकारी लिखित आदेश द्वारा उत्पादन पट्टे के धारक से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह उसे ऐसे समय के भीतर ऐसे मानचित्र, खंड और रूपरेखा उपलब्ध कराए जैसा कि वह आदेश में विनिर्दिष्ट करे।

32. **मानचित्रों, खंडों और प्रोफाइलों की प्रतियां प्रस्तुत की जाएंगी—** उत्पादन पट्टे का धारक प्रत्येक वर्ष 30 जून को या उससे पहले भारतीय खान ब्यूरो के अधिकृत अधिकारी को मानचित्रों, खंडों और प्रोफाइलों की प्रतियां प्रस्तुत करेगा। प्रशासनिक प्राधिकारी को और भारत सरकार के मुख्य हाइड्रोग्राफर, को इन नियमों के नियम 31 के अधीन बनाए गए भूवैज्ञानिक मानचित्रों, खंडों और प्रोफाइलों की मुद्रित प्रति के साथ-साथ डिजिटल प्रति, वार्षिक विवरणी के साथ प्रस्तुत की जाएगी।
33. **मानचित्रों की तैयारी—** (1) डिजिटल रूप से तैयार किए गए सभी मानचित्र, खंड और प्रोफाइल तथा उनकी मुद्रित प्रतियां पट्टा क्षेत्र में जलयान या स्थापना में रखी जाएंगी, जहां उत्पादन संक्रियाएं किए जा रहे हैं और उन्हें उपयुक्त रूप से अनुक्रमित किया जाएगा।
- (2) सभी मानचित्र, खंड और प्रोफाइल डिफरेंशियल ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम का उपयोग करके या भारतीय खान ब्यूरो द्वारा इस संबंध में यथा विनिर्दिष्ट तैयार किए जाएंगे।
- (3) इन नियमों के अधीन तैयार किए गए प्रत्येक मानचित्र, खंड और प्रोफाइल पर उसकी शुद्धता का प्रमाण-पत्र होगा तथा उस पर खनन इंजीनियर और भूवैज्ञानिक द्वारा तारीख सहित हस्ताक्षर किए जाएंगे।
- (4) इन नियमों के अधीन प्रस्तुत या अनुरक्षित मानचित्र, खंड और प्रोफाइल की प्रत्येक प्रतिलिपि पर उस मूल मानचित्र, खंड और प्रोफाइल का संदर्भ अंकित होगा, जिससे उसकी प्रतिलिपि बनाई गई थी और उत्पादन पट्टे के धारक द्वारा उसे मूल योजना, खंड और प्रोफाइल की सत्य प्रतिलिपि के रूप में प्रमाणित किया जाएगा।

अध्याय 5

सुरक्षा उपाय

34. **खनन निषेध बाधा क्षेत्र की स्थापना—** (1) अनुज्ञप्ति क्षेत्र और पट्टा क्षेत्र की सीमाओं के साथ-साथ 7.5 सेकंड का "खनन निषेध बाधा क्षेत्र" रखा जाएगा और अनुज्ञप्तिधारी या पट्टेदार इस क्षेत्र के भीतर यथास्थिति कोई खोज संबंधी संक्रिया या उत्पादन संक्रिया नहीं करेगा, ताकि सुरक्षित संक्रियाएं सुनिश्चित करने के लिए अपतट क्षेत्र के भीतर दो आसन्न खनिज ब्लॉकों के बीच 15 सेकंड का अवरोध उपबंध किया जा सके।
- (2) समुद्र तट के निकट समुद्री गतिविधियों की सुरक्षा के लिए, उत्पादन पट्टे का धारक समुद्र तट की निम्न ज्वार रेखा से एक समुद्री मील की दूरी के भीतर न तो कोई उत्पादन संक्रिया करेगा और न ही अपशिष्ट पदार्थ छोड़ेगा।
35. **जलयानों के संबंध में सुरक्षा—** यथास्थिति, अनुज्ञप्तिधारी या पट्टेदार, हर समय यह सुनिश्चित करेगा कि—
- (क) खोज संबंधी संक्रियाओं या उत्पादन संक्रियाओं के लिए तैनात या तैनात किए जाने वाले सभी जलयान, प्लेटफॉर्म, प्रतिष्ठान या कोई अन्य अवसंरचना जो अच्छी मरम्मत, सुरक्षित और अच्छी स्थिति में हो, पर्याप्त रूप से मानवयुक्त हो और नियम 36 का अनुपालन करता हो;
- (ख) तैनात किये गये या तैनात किए जाने वाले सभी ऐसे जलयानों, प्लेटफॉर्मों, प्रतिष्ठानों या किसी अन्य अवसंरचना को उपयुक्त श्रेणी का नाम दिया जाएगा और ऐसी संक्रियाओं की अवधि के लिए वे उसी श्रेणी में बने रहेंगे।
36. **विधियों, रीति-रिवाजों और अंतरराष्ट्रीय संधियों का अनुपालन—** (1) यथास्थिति, अनुज्ञप्तिधारी या पट्टेदार, भारतीय विधियों और विनियमों, उच्च समुद्रों को नियंत्रित करने वाली विधियों और रीति-रिवाजों और

अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों या संधियों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा, जिनमें भारत एक पक्ष है, जिसमें समुद्र में जीवन की सुरक्षा, समुद्र में टकराव की रोकथाम, नौपरिवहन, विमान, मछली पकड़ने और मत्स्य पालन की सुरक्षा और चालक दल के सदस्यों के उपचार के साथ-साथ समय-समय पर अपनाए गए किसी भी लागू नियम, विनियमन, प्रक्रिया और मानकों के लिए लागू कानून शामिल हैं।

(2) यथास्थिति, अनुज्ञप्तिधारी या पट्टेदार, लागू अंतरराष्ट्रीय पोत सम्मेलनों के अधीन अपेक्षित वैध प्रमाणपत्रों की प्रतियां प्रशासनिक प्राधिकारी या किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी को ऐसे अनुरोध पर उपलब्ध कराएगा।

37. कार्मिकों की सुरक्षा— यथास्थिति, अनुज्ञप्तिधारी या पट्टेदार, यह सुनिश्चित करेगा कि—

- (क) अपने कर्तव्यों को संभालने से पहले, इसके सभी कर्मियों के पास आवश्यक अनुभव, प्रशिक्षण और अर्हताएं होती हैं और वे अपने कर्तव्यों को सुरक्षित, समर्थतापूर्वक और लागू नियमों के अनुपालन में करने में समर्थ होते हैं;
- (ख) खोज संबंधी संक्रियाओं या उत्पादन संक्रियाओं में लगे सभी कार्मिकों को उनके कार्य से उत्पन्न होने वाले व्यावसायिक और पर्यावरणीय जोखिमों तथा ऐसे जोखिमों से निपटने की रीति के बारे में सूचित करने के लिए एक व्यावसायिक स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण जागरूकता योजना लागू की जाती है; और
- (ग) इसके सभी कार्मिकों के अनुभव, प्रशिक्षण और अर्हताओं का अभिलेख रखा जाता है तथा अनुरोध किए जाने पर उसे प्रशासनिक प्राधिकारी या किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी को उपलब्ध कराया जाता है।

38. आपातकालीन तैयारी और सुरक्षा योजना— महानियंत्रक, आपातकालीन तैयारी, सुरक्षा उपायों और संक्रिया संबंधी अधिकार धारक द्वारा कार्यान्वित किए जाने वाले किसी अन्य उपाय पर ऐसे अतिरिक्त निदेश जारी करेगा, जो आवश्यक हों।

अध्याय 6

समुद्री पर्यावरण

39. धारणीय खनन— (1) संक्रिया संबंधी अधिकार का प्रत्येक धारक, यथास्थिति, अनुज्ञप्ति क्षेत्र या पट्टा क्षेत्र में खोज संबंधी संक्रिया, उत्पादन संक्रिया या सज्जीकरण करते समय, धारणीय खनन करने के लिए सभी संभव सावधानियां बरतेगा।

(2) उत्पादन पट्टे का प्रत्येक धारक भारतीय खान ब्यूरो द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट रूपविधान में स्टार रेटिंग के टेम्पलेट के अनुसार अपने उत्पादन संक्रियाओं और संबद्ध गतिविधियों की मॉनीटरी करेगा, और पिछले वित्तीय वर्ष के लिए प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई से पहले भारतीय खान ब्यूरो के क्षेत्रीय नियंत्रक या प्राधिकृत अधिकारी को अपनी स्व-निर्धारण रिपोर्ट ऑनलाइन प्रस्तुत करेगा।

(3) स्टार रेटिंग की पुष्टि भारतीय खान ब्यूरो के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निरीक्षण के माध्यम से की जा सकती है।

40. गन्दगी और अवसादन के विरुद्ध सावधानी— संक्रिया संबंधी अधिकार का प्रत्येक धारक, यथास्थिति, खोज संबंधी संक्रिया या उत्पादन संक्रिया, इस प्रकार करेगा कि समुद्र तल में न्यूनतम विक्षोभ हो और गन्दगी, केन्द्रीय सरकार के संबंधित प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट अनुज्ञेय सीमाओं के भीतर बनी रहे।

41. **वायु प्रदूषण के विरुद्ध सावधानी**— प्रत्येक संयुक्त अनुज्ञप्ति या उत्पादन पट्टे का धारक खोज संबंधी संक्रियाओं, उत्पादन संक्रियाओं या सज्जीकरण और संबंधित गतिविधियों के दौरान धुएं, उत्सर्जन (गैसीय और कणिकीय) के कारण होने वाले वायु प्रदूषण को अनुज्ञेय सीमाओं के भीतर रखने के लिए सभी संभव उपाय करेगा।
42. **विषाक्त ठोस और तरल अपशिष्ट का व्यवस्थित निपटान**— (1) संक्रिया संबंधी अधिकार का प्रत्येक धारक, यथास्थिति, अनुज्ञप्ति क्षेत्र या पट्टा क्षेत्र के भीतर खोज संबंधी संक्रियाओं, उत्पादन संक्रियाओं, सज्जीकरण या प्रसंस्करण संक्रियाओं से उत्पन्न होने वाले खतरनाक अपशिष्ट सहित ठोस या तरल अपशिष्ट का व्यवस्थित निपटान सुनिश्चित करने के लिए, समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट उपाय करेगा।
- (2) यदि खोज संबंधी संक्रियाओं या उत्पादन संक्रियाओं के दौरान उत्पन्न खतरनाक अपशिष्टों सहित अपशिष्टों का निर्माण और अन्य प्रयोजनों के लिए मितव्ययितापूर्वक उपयोग किया जा सकता है, तो अधिनियम की पहली अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट रॉयल्टी के संदाय पर, यथास्थिति, अनुज्ञप्ति क्षेत्र या पट्टा क्षेत्र से, परिवहन किया जा सकता है:
- परंतु कि यदि ऐसे खतरनाक अपशिष्ट को निपटान के साधन के रूप में तट पर या अपतट स्थान पर डंप किया जाना अपेक्षित हो, तो संक्रिया संबंधी अधिकार का धारक खोज संबंधी संक्रियाओं या उत्पादन संक्रियाओं से उत्पन्न होने वाले खतरनाक अपशिष्टों सहित ऐसे अपशिष्टों के निपटान के लिए सभी आवश्यक उपाय करेगा, जैसा केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किया जा सकता है।
- (3) संक्रिया संबंधी अधिकार के प्रत्येक धारक को अपतट क्षेत्रों में विषैले और आपत्तिजनक तरल अपशिष्टों के निर्वहन को रोकने के लिए सभी आवश्यक सावधानियां बरतनी चाहिए, विशेषतया जहां अपतट क्षेत्रों के भीतर लाभकारी संयंत्र, कार्यशाला या ऐसी कोई अन्य सुविधाएं विकसित की गई हैं और यदि अपेक्षित हो तो ऐसे अपशिष्टों को समुद्र में छोड़ने से पहले उपयुक्त रूप से उपचारित किया जाना चाहिए, ताकि यह इस संबंध में समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिकथित मानकों के अनुरूप हो।
43. **शोर के प्रति सावधानी**— संयुक्त अनुज्ञप्ति या उत्पादन पट्टे का धारक खोज संबंधी संक्रियाओं, उत्पादन संक्रियाओं या स्रोत पर सज्जीकरण से उत्पन्न शोर को नियंत्रित करने या कम करने के लिए सभी संभव उपाय करेगा ताकि इसे अनुज्ञेय सीमाओं के भीतर रखा जा सके।
44. **अनुज्ञेय सीमाएं और मानक**— नियम 40, 41, 42, 43 और 45 में निर्दिष्ट सभी प्रदूषकों, विषाक्त पदार्थों और ध्वनि के मानक और अनुज्ञेय सीमाएं ऐसी होंगी, जो संबंधित प्राधिकारियों द्वारा तत्समय प्रवृत्त सुसंगत विधियों के उपबंधों के अधीन अधिसूचित की जाएंगी।
45. **समुद्री पर्यावरण, वनस्पति और जीव-जंतुओं का संरक्षण**— (1) संयुक्त अनुज्ञप्ति या उत्पादन पट्टे का प्रत्येक धारक, लागू विधियों, अंतरराष्ट्रीय अभिसमयों और संधियों, जिनका भारत एक पक्ष है, और उच्च समुद्र को नियंत्रित करने वाली विधियों और रीति-रिवाजों, जिनमें पर्यावरण संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण और खतरनाक अपशिष्टों से संबंधित विधि और रीति-रिवाज शामिल हैं, यथास्थिति, के अनुसार खोज संबंधी संक्रियाएं या उत्पादन संक्रियाएं, इस प्रकार करेगा जिससे संयुक्त अनुज्ञप्ति या उत्पादन पट्टे के अधीन धारित क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों के समुद्री पर्यावरण, वनस्पति और जीव-जंतुओं को कम से कम क्षति पहुंचे।
- (2) संक्रिया संबंधी अधिकार का प्रत्येक धारक हर समय केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर यथा विनिर्दिष्ट सभी आवश्यक सावधानियां और उपाय करेगा—

(क) अपतट पर्यावरण के प्रदूषण को रोकना;

- (ख) खोज संबंधी संक्रियाओं या उत्पादन संक्रियाओं के दौरान समुद्री पर्यावरण और जीवित संसाधनों, विशेषकर मत्स्य संसाधनों की सुरक्षा को समर्थ बनाना।
- (3) संक्रिया संबंधी अधिकार धारक को, यथास्थिति, प्रशासनिक प्राधिकारी या भारतीय खान ब्यूरो के प्राधिकृत अधिकारी को लिखित रूप में किसी भी ऐसी घटना के घटित होने के बारे में तुरन्त सूचित करना होगा, जिससे समुद्री पर्यावरण और समुद्री जीवों तथा अन्य समुद्री संसाधनों को गंभीर क्षति पहुंचती है या पहुंच सकती है।
- (4) संक्रिया संबंधी अधिकार का धारक प्रशासनिक प्राधिकारी, भारतीय तटरक्षक या किसी अन्य प्राधिकारी को, जैसा निर्दिष्ट किया जाए, समुद्री पर्यावरण के संरक्षण और सुरक्षा तथा समुद्री प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण के लिए किए गए उपायों के बारे में लिखित रूप में सूचित करेगा।
46. **पुरातात्विक या ऐतिहासिक प्रकृति की वस्तु को नुकसान के विरुद्ध एहतियात—** यथास्थिति, अनुज्ञप्तिधारी या पट्टेदार, पुरातत्व या ऐतिहासिक प्रकृति की किसी वस्तु, जलयान के अवशेष और अपतट क्षेत्र में उसके स्थान के बारे में, यथास्थिति प्रशासनिक प्राधिकारी या भारतीय खान ब्यूरो के प्राधिकृत अधिकारी को तुरंत सूचित करेगा और ऐसा प्राधिकारी, यथास्थिति ऐसी सूचना भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, संस्कृति मंत्रालय या पोत, पत्तन और जलमार्ग मंत्रालय को प्रेषित करेगा।
47. **समुद्री पर्यावरण को होने वाली हानि से सुरक्षा के लिए आपातकालीन आदेश—** भारतीय खान ब्यूरो का यथास्थिति, प्राधिकृत प्राधिकारी या प्रशासनिक अधिकारी, निम्नलिखित मामलों में आपातकालीन आदेश जारी करेगा, अर्थात्:—
- (क) जब ऐसे प्राधिकारी को किसी अनुज्ञप्तिधारी या पट्टेदार द्वारा सूचित किया जाता है या उसे किसी क्षेत्र में ठेकेदार की गतिविधि के परिणामस्वरूप या उसके कारण हुई किसी घटना की सूचना होती है, जिससे समुद्री पर्यावरण को गंभीर क्षति पहुंची है या पहुंचने की संभावना है, तो ऐसा प्राधिकारी अनुज्ञप्तिधारी या पट्टेदार को लिखित रूप में घटनाओं की साधारण अधिसूचना, निदेश या आदेश जारी करेगा।
- (ख) ऐसा प्राधिकरण समुद्री पर्यावरण को होने वाले किसी भी गंभीर नुकसान को रोकने, नियंत्रित करने और न्यूनतम करने के लिए ऐसी अस्थायी प्रकृति के तत्काल उपाय करेगा जो परिस्थितियों में व्यावहारिक और युक्तियुक्त हो और इस आदेश में अस्थायी प्रकृति के उपाय की अवधि पर प्रकाश डाला जाएगा।
- (ग) यदि अनुज्ञप्तिधारी या पट्टेदार क्षेत्र में गतिविधियों से उत्पन्न समुद्री पर्यावरण से संबंधित किसी आपातकालीन आदेश या निदेश का तुरंत अनुपालन नहीं करता है, तो ऐसा प्राधिकारी स्वयं या अपनी निमित्त दूसरों के साथ व्यवस्था के माध्यम से ऐसे व्यावहारिक उपाय करेगा जो समुद्री पर्यावरण को किसी भी गंभीर नुकसान को रोकने और न्यूनतम करने के लिए आवश्यक हैं।

अध्याय 7

सूचनाएं और विवरणियां

48. **मासिक और वार्षिक विवरणियां—** (1) सरकार, या कोई सरकारी कंपनी, या धारा 8 के अधीन उत्पादन पट्टा देने के लिए, यथास्थिति, चयनित निगम या संक्रिया संबंधी अधिकार का धारक, पहली अनुसूची के प्ररूप-च में विनिर्दिष्ट आवेदन के अनुसार भारतीय खान ब्यूरो द्वारा उपबंधित पोर्टल पर खुद को ऑनलाइन रजिस्ट्रीकृत

कराएगा और भारतीय खान ब्यूरो द्वारा आवंटित रजिस्ट्रीकरण संख्या का उपयोग ऑनलाइन रिपोर्टिंग और उससे संबंधित पत्राचार के सभी प्रयोजनों के लिए किया जाएगा:

परंतु कि यदि सरकार, या कोई सरकारी कंपनी, या धारा 8 के अधीन उत्पादन पट्टा देने के लिए चयनित निगम या संक्रिया संबंधी अधिकार धारक ने खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) के अधीन बनाए गए खनिज संरक्षण और विकास नियम, 2017 के नियम 45 के उपबंधों के अनुसार भारतीय खान ब्यूरो द्वारा उपबंधित ऑनलाइन पोर्टल पर पहले से रजिस्ट्रीकरण किया है, तो ऐसे व्यक्ति को ऐसे ऑनलाइन पोर्टल पर अपने विद्यमान रजिस्ट्रीकरण को अद्यतन करने के अधीन इस उप-नियम के अधीन अलग से रजिस्ट्रीकरण करने की अपेक्षा नहीं होगी।

(2) अधिनियम के अनुसार अपतट क्षेत्रों से प्राप्त खनिजों के व्यापार या भंडारण या अंतिम उपयोग या निर्यात या आयात में लगा हुआ कोई भी व्यक्ति या कंपनी:—

- (क) खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) के अधीन बनाए गए खनिज संरक्षण और विकास नियम, 2017 के नियम 45 के उपबंधों के अनुसार भारतीय खान ब्यूरो द्वारा उपलब्ध कराए गए पोर्टल पर, जैसा भी मामला हो, स्वयं को ऑनलाइन रजिस्ट्रीकृत कराएगा या अपने मौजूदा रजिस्ट्रीकरण को अद्यतन करेगा;
- (ख) खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) के अधीन बनाए गए खनिज संरक्षण और विकास नियम, 2017 के नियम 45 में विनिर्दिष्ट रीति में, डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित विवरणी इलेक्ट्रॉनिक रूप में संबंधित प्राधिकारी को ऑनलाइन प्रस्तुत करेगा;
- (ग) यदि ऐसा व्यक्ति या कंपनी मासिक या वार्षिक विवरणी में अधूरी या गलत या झूठी सूचना प्रस्तुत करती है या विनिर्दिष्ट तारीख के भीतर विवरणी प्रस्तुत करने में विफल रहती है, तो ऐसे व्यक्ति या कंपनी की ऐसी कार्रवाई या निष्क्रियता को राज्य सरकार द्वारा खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) के अधीन बनाए गए खनिज संरक्षण और विकास नियम, 2017 के नियम 45 में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित किया जाएगा और उस सीमा तक प्रशासनिक प्राधिकारी को ऐसे व्यक्ति या कंपनी के विनियमन के संबंध में ऐसी राज्य सरकार को सिफारिशें करने का अधिकार होगा।

(3) उत्पादन पट्टा धारक को प्रत्येक खान के संबंध में क्षेत्रीय नियंत्रक और भारतीय खान ब्यूरो के प्राधिकृत अधिकारी को निम्नलिखित रीति में ऑनलाइन विवरणी प्रस्तुत करनी होगी, अर्थात:—

- (क) मासिक विवरणी, जो पूर्ववर्ती मास के संबंध में प्रत्येक मास की दसवीं तारीख से पहले पहली अनुसूची के प्ररूप-छ में डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रस्तुत की जाएगी; तथा
- (ख) वार्षिक विवरणी, जो प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई से पहले पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के लिए पहली अनुसूची के प्ररूप-ज में डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रस्तुत की जाएगी:

परंतु किसी खान के परित्यक्त होने की स्थिति में, वार्षिक विवरणी, छोड़ने की तारीख से नब्बे दिन के भीतर प्रस्तुत की जाएगी।

(4) यदि यह पाया जाता है कि उत्पादन पट्टा धारक ने मासिक या वार्षिक विवरणी में अपूर्ण या गलत या झूठी सूचना प्रस्तुत की है या विनिर्दिष्ट तारीख के भीतर विवरणी प्रस्तुत करने में विफल रहता है; तो क्षेत्रीय नियंत्रक या प्रशासनिक प्राधिकारी का प्राधिकृत अधिकारी:—

- (i) खान में सभी उत्पादन संक्रियाओं और प्रेषणों को निलंबित करने का आदेश दे सकेगा तथा उचित अनुपालन सुनिश्चित करने के पश्चात ही निलंबन आदेश को रद्द कर सकेगा;
- (ii) इन नियमों के अधीन अभियोजन आरंभ करने के लिए कार्रवाई कर सकेगा;
- (iii) यदि सूचना को दबाना या गलत तरीके से प्रस्तुत करना अवैध खनन को बढ़ावा देने या मिलीभगत का संकेत देता है तो उत्पादन पट्टे को समाप्त करने की सिफारिश की जाएगी।
- (5) (i) उप-नियम (4) के अधीन विनिर्दिष्ट किसी भी कार्रवाई करने से पहले, प्राधिकृत अधिकारी, उत्पादन पट्टा धारक को उप-नियम (4) के अधीन किए गए उल्लंघन के बारे में सूचित करते हुए कारण बताओ नोटिस जारी करेगा और कारण पूछेगा कि ऐसे धारक के खिलाफ उप-नियम (4) के अधीन कार्रवाई क्यों नहीं की जाए और इस तरह के नोटिस में उल्लिखित उल्लंघन के जवाब और सुधार के लिए तीस दिन का समय देगा;
- (ii) यदि संक्रिया संबंधी अधिकार का ऐसा धारक—
- (क) कारण बताओ नोटिस में उल्लिखित उल्लंघन को ठीक कर लेता है और विवरणी प्रस्तुत करने की नियत तारीख से उल्लंघन को ठीक करने की तारीख तक की अवधि के लिए दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट रकम, उक्त तीस दिन की अवधि के भीतर जमा कर देता है, तो आगे कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी;
- (ख) यदि उक्त तीस दिन की अवधि के भीतर संतोषजनक उत्तर नहीं दिया जाता है या उल्लंघन को ठीक नहीं किया जाता है, तो उत्पादन संक्रियाओं और प्रेषणों को निलंबित किया जा सकता है और उप-नियम (4) के अधीन कोई भी कार्रवाई शुरू की जा सकती है;
- (iii) उत्पादन संक्रियाओं का निलंबन केवल उल्लंघन-सह-कारण बताओ नोटिस में उल्लिखित उल्लंघन के सुधार के पश्चात तथा विवरणी प्रस्तुत करने की नियत तारीख से उल्लंघन के सुधार की तारीख तक की अवधि के लिए दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट रकम जमा करने के पश्चात ही वापस लिया जा सकेगा।
- (6) उत्पादन पट्टे के धारक द्वारा मासिक और वार्षिक विवरणी की रिपोर्टिंग के लिए, 'विक्रय कीमत' और 'खान-द्वार कीमत' शब्दों का वही अर्थ होगा जो अपतट क्षेत्र संक्रिया संबंधी अधिकार नियम, 2024 के अध्याय 7 के अधीन दिया गया है।
- (7) यदि एक ही खान से एक से अधिक खनिज उत्पादित होते हैं, तो प्रत्येक खनिज के लिए विनिर्दिष्ट प्ररूप के सुसंगत भागों के साथ विवरणी अलग से प्रस्तुत की जाएगी।
- (8) उत्पादन संक्रियाओं के अस्थायी रूप से बंद होने या उत्पादन संक्रियाओं के निलंबन के मामले में, उत्पादन पट्टा धारक को उस खनिज के लिए विनिर्दिष्ट प्ररूप में विवरणी प्रस्तुत करनी होगी जिसके लिए विवरणी पहले प्रस्तुत की गयी थी और सुसंगत वशिष्टियां प्रस्तुत करनी होगी, जिसमें "शून्य" सूचना, यदि कोई हो, शामिल होगी।

(9) संदर्भ अवधि के दौरान खान का स्वामित्व में परिवर्तन की होने की दशा में, प्रत्येक स्वामी द्वारा स्वामित्व की संबंधित अवधि के लिए अलग-अलग विवरणी दाखिल की जाएगी।

49. कतिपय नियुक्तियों की सूचना— संयुक्त अनुज्ञप्ति या उत्पादन पट्टे का धारक,—

- (क) जब नियम 53 के उपनियम (1) के अधीन किसी अभिकर्ता, खनन इंजीनियर, भूविज्ञानी या किसी व्यक्ति की नई नियुक्ति की जाती है; या
- (ख) जब किसी ऐसे व्यक्ति का नियोजन समाप्त कर दिया जाता है या कोई ऐसा व्यक्ति उक्त नियोजन छोड़ देता है; या
- (ग) जब किसी ऐसे व्यक्ति के पते में कोई परिवर्तन होता है,

ऐसी नियुक्ति, सेवा समाप्ति, छोड़ने या पते में परिवर्तन की तारीख से पंद्रह दिन के भीतर, यथास्थिति, भारतीय खान ब्यूरो के प्राधिकृत अधिकारी को पहली अनुसूची के प्ररूप-झ में सूचना दें।

50. कतिपय घटनाओं की सूचना— अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम या संक्रिया संबंधी अधिकार के नियमों और शर्तों के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे संक्रिया संबंधी अधिकार का प्रत्येक धारक निम्नलिखित में से किसी भी घटना के घटित होने पर प्रशासनिक प्राधिकारी, भारतीय खान ब्यूरो के प्राधिकृत अधिकारी, भारतीय तटरक्षक, भारतीय नौसेना और अन्य संबंधित प्राधिकारियों को तुरंत सूचित करेगा:—

- (क) किसी व्यक्ति की मृत्यु; या
- (ख) गुमशुदा व्यक्ति; या
- (ग) चिकित्सा निकासी; या
- (घ) आग या विस्फोट के परिणामस्वरूप चोट या बड़ी क्षति या हानि हुई हो; या
- (ङ) टक्कर के परिणामस्वरूप चोट या बड़ी क्षति या हानि हुई हो; या
- (च) अपतट संक्रिया के संबंध में दुर्घटना जिसके कारण जीवन की हानि या गंभीर शारीरिक चोट हो; या
- (छ) विस्फोट; या
- (ज) तीव्रता से बाहर निकलना; या
- (झ) भीषण आग; या
- (ञ) किसी पाइपलाइन या उपस्कर, भाप संपीडित हवा या अन्य पदार्थ युक्त पाइपलाइन का फटना जिससे व्यक्तियों की सुरक्षा खतरे में पड़ने की संभावना हो; या
- (ट) किसी संरचना, उपस्कर या प्रणाली का टूटना, खंडित होना या विफल होना, जिससे व्यक्तियों की सुरक्षा खतरे में पड़ने की संभावना हो; या
- (ठ) विस्फोटकों या रेडियोधर्मी पदार्थों के कारण कोई दुर्घटना; या
- (ड) किसी हेलीकॉप्टर या जलयान का प्रतिष्ठान से टकराना; या
- (ढ) हेलीकॉप्टर दुर्घटना; या

- (ण) आदमी का पानी में गिरना; या
- (त) विषाक्त और हानिकारक पदार्थों का उत्सर्जन जिससे व्यक्तियों, प्रतिष्ठानों या समुद्री पर्यावरण की सुरक्षा खतरे में पड़ने की संभावना हो; या
- (थ) समुद्र में जलयान या वस्तु की अनियंत्रित गति, जिससे अपतट प्रतिष्ठान पर मौजूद व्यक्तियों या स्वयं प्रतिष्ठान की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है; या
- (द) किसी अपतट प्रतिष्ठान या जलयान पोत या हेलीकॉप्टर पर मौजूद कोई व्यक्ति लापता पाया जाता है; या
- (ध) खतरनाक पदार्थ का महत्वपूर्ण रिसाव; या
- (न) अनाधिकृत खनन निर्वहन; या
- (प) प्रतिकूल पर्यावरणीय परिस्थितियाँ जिनके कारण महत्वपूर्ण सुरक्षा और/या पर्यावरणीय परिणाम होने की संभावना हो; या
- (फ) सुरक्षा का महत्वपूर्ण खतरा या उल्लंघन; या
- (ब) आपातकालीन प्रतिक्रिया और आकस्मिक योजना का कार्यान्वयन; या
- (भ) किसी प्रतिष्ठान या जलयान की सतत अखंडता या आपातकालीन तैयारियों से समझौता करने वाली प्रमुख हानि या क्षति; या
- (म) सुरक्षा या पर्यावरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण उपस्करों को हानि या क्षति; या
- (य) मछली पकड़ने के उपस्कर के साथ महत्वपूर्ण संपर्क; या
- (र) पनडुब्बी पाइपलाइनों या केबलों के साथ संपर्क; या
- (ल) समुद्री कृषि गतिविधियों और कृत्रिम भित्तियों के लिए संरचना को नुकसान पहुंचाना; या
- (व) कोई अन्य घटना जैसा विनिर्दिष्ट किया जाए।

51. **अंतरीतियों को अभिलेखों का अंतरण**— जब अधिनियम के उपबंधों या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम के अनुसार संयुक्त अनुज्ञप्ति या उत्पादन पट्टे का स्वामित्व अंतरित किया जाता है, तो पूर्व स्वामी या उसका अभिकर्ता स्वामित्व के अंतरण के सात दिन की अवधि के भीतर नए स्वामी या उसके अभिकर्ता को बोरहोल कोर, अभिलेखों और नमूनों सहित, यदि कोई हो, अधिनियम, उसके अधीन बनाए गए नियमों या आदेशों के अनुसरण में बनाए गए सभी मानचित्र, खंड, प्रोफाइल, रिपोर्ट, रजिस्टर और अन्य अभिलेख तथा संयुक्त अनुज्ञप्ति या उत्पादन पट्टे से संबंधित उससे संबंधित सभी पत्राचार सौंप देगा; और जब इन नियमों की अपेक्षाओं का सम्यक्तः अनुपालन कर दिया गया हो, तो यथास्थिति पूर्व और नए स्वामी या उनके संबंधित अभिकर्ता, प्रशासनिक प्राधिकारी और भारतीय खान ब्यूरो के प्राधिकृत अधिकारी को अंतरित किए गए बोरहोल कोर, मानचित्र, खंड, प्रोफाइल, रिपोर्ट, रजिस्टर और अन्य अभिलेखों की विस्तृत सूची तुरंत भेज देंगे।

52. **नोटिस और विवरणियाँ तथा रिपोर्ट की प्रतियां रखी जाएंगी**— उत्पादन पट्टे का धारक या संयुक्त अनुज्ञप्ति का धारक श्रमिक उपस्थिति रजिस्टर, उत्पादन और प्रेषण रजिस्टर, रॉयल्टी निर्धारण रजिस्टर रखेगा, जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे—

- (क) अपतट क्षेत्र खनिज न्यास और अंतरराष्ट्रीय समुद्रतल प्राधिकरण को दिए गए योगदान का ब्यौरा;

- (ख) नीलामी प्रीमियम के रूप में केन्द्रीय सरकार को किए गए संदाय का ब्यौरा;
- (ग) खान बंद करने की क्रियाकलापों पर किए गए व्यय का विवरण, रासायनिक विश्लेषण रिपोर्ट के साथ बोर होल लॉग, खनिज विश्लेषण रिपोर्ट, ग्रेड के साथ उप-ग्रेड या खनिज अस्वीकृति रजिस्टर; तथा
- (घ) खनन मशीनरी का ब्यौरा तथा इन नियमों के अधीन भारतीय खान ब्यूरो के प्राधिकृत अधिकारी या प्रशासनिक प्राधिकारी या क्षेत्रीय नियंत्रक को प्रस्तुत सभी नोटिसों और विवरणियों, मानचित्रों, अनुभागों, प्रोफाइलों और योजनाओं की प्रतियां,

उस क्षेत्र में स्थापित कार्यालय में जहां उत्पादन या खोज संबंधी संक्रियाएं की जाती हैं या नियम 63 के अधीन विनिर्दिष्ट स्थानीय कार्यालय में, निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे और इन्हें क्रियाकलापों यथास्थिति भारतीय खान ब्यूरो के प्राधिकृत अधिकारी या प्रशासनिक प्राधिकारी या क्षेत्रीय नियंत्रक, को निरीक्षण के लिए सभी उचित समय पर उपलब्ध कराया जाएगा।

अध्याय 8

भूविज्ञानियों और खनन इंजीनियरों का नियोजन

53. **भूवैज्ञानिकों और खनन इंजीनियरों का नियोजन—** (1) इन नियमों के अनुसार खोज संबंधी संक्रियाएं या उत्पादन संक्रियाएं करने के प्रयोजन के लिए,—

- (क) प्रत्येक संयुक्त अनुज्ञप्ति धारक को एक पूर्णकालिक भूविज्ञानी को नियुक्त करना होगा;
- (ख) उत्पादन पट्टे के प्रत्येक धारक को एक पूर्णकालिक खनन इंजीनियर और एक पूर्णकालिक भूविज्ञानी को नियुक्त करना होगा।
- (2) इस प्रकार की नियुक्ति या सेवा समाप्ति की सूचना नियम 48 के अधीन प्रस्तुत किए जाने वाले मासिक और वार्षिक विवरणी में दी जाएगी।
- (3) संयुक्त अनुज्ञप्ति या उत्पादन पट्टे के धारक द्वारा नियोजित खनन इंजीनियर या भूविज्ञानी के पास नीचे विनिर्दिष्ट अर्हताएं होनी चाहिए, अर्थात:—
- (क) भूविज्ञानी: भूविज्ञान या अनुप्रयुक्त भूविज्ञान या भूभौतिकी या समुद्री भूविज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि या भारत में किसी केन्द्रीय अधिनियम या राज्य अधिनियम द्वारा स्थापित या अधीन निगमित विश्वविद्यालय या संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित शैक्षणिक संस्था या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 3) की धारा 4 के अधीन स्थापित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अधीन मानित विश्वविद्यालय घोषित द्वारा अनुदत्त कोई समतुल्य अर्हता या भारत के बाहर किसी विश्वविद्यालय या संस्था द्वारा अनुदत्त और भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई समतुल्य अर्हता;
- (ख) खनन इंजीनियर: खनन इंजीनियरी में डिग्री या किसी केंद्रीय अधिनियम, प्रांतीय अधिनियम या राज्य अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित या अधीन निगमित विश्वविद्यालय द्वारा अनुदत्त कोई समतुल्य अर्हता, जिसमें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 3) की धारा 4 के अधीन स्थापित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त कोई संस्था या भारत के बाहर किसी विश्वविद्यालय या संस्था द्वारा अनुदत्त की गई और भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई समतुल्य अर्हता शामिल है।

54. **भूविज्ञानी के कर्तव्य—** (1) भूविज्ञानी का यह कर्तव्य होगा कि वह इन नियमों के उपबंधों के अनुसार खोज संबंधी संक्रियाएं या उत्पादन संक्रियाएं संचालित करे।

(2) नियम 53 में निर्दिष्ट भूविज्ञानी—

- (क) खनिज संसाधनों के आवधिक अद्यतन, बोरहोल कोर या नमूनों और बोरहोल लॉग के रखरखाव के लिए उत्तरदायी होंगे;
- (ख) अनुज्ञप्ति क्षेत्र या पट्टा क्षेत्र में खनिज संसाधनों के संरक्षण और खनिजों और अयस्कों के इष्टतम उपयोग के लिए योजना;
- (ग) अनुमोदित खोज संबंधी योजना या उत्पादन योजना के अनुसार कार्य करना और ऐसी योजना के अनुसार जांच संक्रिया करना;
- (घ) आवश्यक भूवैज्ञानिक मानचित्र, खंड और प्रोफाइल तैयार करना जो अयस्क निकाय को चित्रित करने के लिए अपेक्षित हैं;
- (ङ) खनिजयुक्त क्षेत्रों का शैलविज्ञान संबंधी और खनिज विज्ञान संबंधी अध्ययन करना;
- (च) अयस्क संसाधनों और भंडार और उसके ग्रेड की गणना करना;
- (छ) उत्पादित खनिजों की गुणवत्ता या ग्रेड को नियंत्रित करने के लिए अपेक्षित सभी सूचना प्रदान करने के लिए उत्तरदायी होना;
- (ज) इन नियमों के अधीन खोज संबंधी संक्रियाओं, उत्पादन संक्रियाओं और बोरहोलों के अभिलेखों का उचित अभिलेख बनाए रखना;
- (झ) नमूना लेने की उपयुक्त विधि पर कार्य करना तथा तदनुसार नमूनों की तैयारी सुनिश्चित करना;
- (ञ) प्रत्येक खनिज क्षेत्र के आकार और आकृति का निर्धारण करने के लिए सभी तकनीकी डाटा बनाए रखना;
- (ट) कार्यरत खान के मामले में प्रत्येक वर्ष के अंत में संसाधन और आरक्षित डाटा को ग्रेड-वार और श्रेणी-वार, मानक ब्लॉक-वार अद्यतन करना;
- (ठ) संबद्ध खनिजों की पहचान करना तथा गैर-बिक्री योग्य या निम्न-श्रेणी के अयस्कों और उत्पादित खनिजों के ढेरों का उचित अभिलेख रखना;
- (ड) ऐसे सभी आदेशों और निदेशों को कार्यान्वित करना जो इन नियमों के अधीन महानियंत्रक या प्रशासनिक प्राधिकारी के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिखित रूप में दिए जाएं और ऐसे सभी आदेशों या निदेशों की एक प्रतिलिपि, यथास्थिति, संयुक्त अनुज्ञप्ति या उत्पादन पट्टे के धारक को भेजना।

55. **खनन इंजीनियर के कर्तव्य—** (1) खनन इंजीनियर का यह कर्तव्य होगा कि वह उत्पादन संक्रियाओं की योजना बनाने और संचालन के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए, ताकि इन नियमों के अनुसार पट्टा क्षेत्र में और उसके आसपास खनिजों का संरक्षण, खनिज भंडारों का व्यवस्थित विकास और पर्यावरण की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

(2) खनन इंजीनियर इन नियमों के अनुसार योजनाओं, खंडों, रिपोर्टों और स्कीमों की तैयारी और रखरखाव के लिए उत्तरदायी होगा।

- (3) खनन इंजीनियर को संबंधित चट्टानों और खनिजों का अध्ययन करने, उनकी पहचान करने और उत्पादित विभिन्न खनिजों को अलग-अलग संग्रहीत करने की उत्तरदायित्व होगा।
- (4) खनन इंजीनियर ऐसे सभी आदेशों और निदेशों का भी पालन करेगा, जो इन नियमों के अधीन प्रशासनिक प्राधिकारी या महानियंत्रक या भारतीय खान ब्यूरो के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिखित रूप में दिए जाएं और ऐसे आदेशों या निदेशों की एक प्रति, यथास्थिति, संयुक्त अनुज्ञप्ति या उत्पादन पट्टे के धारक को भेजेगा।
- (5) खनन इंजीनियर यह सुनिश्चित करेगा कि इन नियमों और इसके अधीन जारी आदेशों के उपबंधों के कार्यान्वयन के लिए खान में हर समय समुचित सामग्री, उपस्कर और सुविधाओं का पर्याप्त उपबंध हो और जहां वह उत्पादन पट्टे का धारक नहीं है, वहां वह पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित किसी भी चीज के लिए ऐसे उत्पादन पट्टे के धारक से लिखित रूप में मांग करेगा।
- (6) उपनियम (5) में निर्दिष्ट प्रत्येक अधियाचना की एक प्रति इस प्रयोजन के लिए रखी गई जिल्दबंद पृष्ठांकित पुस्तक में अभिलिखित की जाएगी और ऐसी अधियाचना प्राप्त होने पर उत्पादन पट्टा धारक खनन इंजीनियर द्वारा अधियाचना की गई सामग्री और सुविधाएं यथाशीघ्र उपलब्ध कराएगा।

अध्याय 9

खनिजों की जांच और निदेश जारी करना

56. **निदेश जारी करने की शक्ति—** (1) संक्रिया संबंधी अधिकार का धारक खनिज भंडारों के व्यवस्थित विकास, खनिजों के संरक्षण तथा धारणीय खनन के लिए ऐसे निदेशों का अनुपालन करेगा, जिसे यथास्थिति, महानियंत्रक या निदेशक, परमाणु खनिज गवेषण और अनुसंधान निदेशालय, समय-समय पर जारी कर सकते हैं।
 - (2) किसी विशेष खान को जारी किए जाने वाले प्रस्तावित निदेशों की एक प्रति यथास्थिति महानियंत्रक या निदेशक, परमाणु खनिज गवेषण और अनुसंधान निदेशालय, द्वारा संक्रिया संबंधी अधिकार के धारक और प्रशासनिक प्राधिकारी को भेजी जाएगी और नोटिस की तामील की तारीख से तीस दिनों के भीतर ऐसे संक्रिया संबंधी अधिकार के धारक और प्रशासनिक प्राधिकारी से प्राप्त किसी भी टिप्पणी पर, ऐसे किसी भी निदेश को जारी करने से पहले उनके द्वारा सम्यक्त विचार किया जाएगा।
 - (3) किसी खान पर लागू सामान्य निदेश, प्रशासनिक प्राधिकारी के परामर्श से केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, क्षेत्रीय नियंत्रक या भारतीय खान ब्यूरो के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किए जाएंगे।
57. **खनिज भण्डारों की जांच और नमूने लेना—** भारतीय खान ब्यूरो का प्राधिकृत अधिकारी इन नियमों के प्रयोजनों के लिए किसी भी समय संयुक्त अनुज्ञप्ति या उत्पादन पट्टे के अधीन किसी भी क्षेत्र में किसी भी खनिज भण्डार की जांच कर सकता है और वहां से नमूने ले सकता है।
58. **कतिपय मामलों में तैनाती पर प्रतिबंध—** यदि कोई खान या उसका कोई भाग, जो मुख्य खान नियंत्रक या खान नियंत्रक या क्षेत्रीय नियंत्रक की राय में खनिजों के संरक्षण या समुद्री पर्यावरण या खान के धारणीय विकास के लिए गंभीर और तत्काल खतरा पैदा करता है, तो वह संक्रिया संबंधी अधिकार के धारक को लिखित आदेश द्वारा उससे ऐसे उपाय करने की अपेक्षा कर सकता है, जैसा आदेश में विनिर्दिष्ट किया जा सकता है और जब तक आदेश में विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं का उसके संतोषप्रद रूप से अनुपालन नहीं हो जाता, तब तक आदेश की अपेक्षाओं के अनुपालन के लिए अपेक्षित व्यक्तियों के अलावा किसी अन्य व्यक्ति की तैनाती पर रोक लगा सकता है।

अध्याय 10

अपील और जुर्माना

59. **अपील**— इन नियमों के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए किसी अधिकारी द्वारा किए गए किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, उसे आदेश के संसूचित होने की तारीख से तीन मास के भीतर अपतट क्षेत्र प्रचालन अधिकार नियम, 2024 के अध्याय 11 के उपबंधों के अनुसार केंद्रीय सरकार को अपील कर सकता है:

परंतुकि कि ऐसी कोई अपील तीन मास की उक्त अवधि के पश्चात भी ग्रहण की जा सकेगी, यदि अपीलकर्ता केन्द्रीय सरकार को यह समाधान कर दे कि उसके पास समय के भीतर अपील न करने के लिए पर्याप्त कारण था।

60. **दंड**— (1) अधिनियम में निहित किसी भी बात पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, नियम 6, 7, नियम 9 के उप-नियम (1), 10, 11, 12, 13, 15, 16, नियम 18 के उप-नियम (1), 19, 20, 24, 25, 27, 31 से 46, 48, 50, 51, 52, 56, 58, 62, 63, 67 और 74 का उल्लंघन करने पर कारावास, जिसकी अवधि पांच वर्ष तक हो सकेगी या पचास लाख रुपए का जुर्माना, जो एक करोड़ रुपए तक हो सकेगा, या दोनों से दंडनीय होगा और जारी उल्लंघन की स्थिति में अतिरिक्त जुर्माना, जो पहले उल्लंघन के लिए दोषसिद्धि के पश्चात प्रत्येक दिन के लिए पांच लाख रुपए तक हो सकेगा, जिसके दौरान ऐसा उल्लंघन जारी रहता है।

(2) अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी भी बात पर पूर्वाग्रह के बिना, नियम 18 के उप-नियम (2), 21, 22, 23, 28, 29, 49 और 53 का कोई भी उल्लंघन तीसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट रकम के जुर्माने से दंडनीय होगा।

(3) इन नियमों के अधीन दंडनीय किसी अपराध का, अभियोजन शुरू होने के पहले या बाद में, अधिनियम की धारा 30 के अधीन उस अपराध के संबंध में न्यायालय में शिकायत करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा, परमाणु खनिजों के संबंध में प्रारंभिक मूल्य के बराबर या उससे अधिक ग्रेड वाले खनिजों के संबंध में, यथास्थिति, महानियंत्रक या निदेशक, परमाणु खनिज गवेषण और अनुसंधान निदेशालय द्वारा इस संबंध में विनिर्दिष्ट राशि का, उस व्यक्ति को सरकार को जमा करने के लिए संदाय करने पर, शमन किया जा सकेगा:

परंतुकि कि केवल जुर्माने से दंडनीय अपराध के मामले में, ऐसी राशि जुर्माने की अधिकतम रकम से अधिक नहीं होगी जो उस अपराध के लिए लगाई जा सकेगी:

परंतुकि यह और कि जहां किसी अपराध का इन नियमों के अधीन शमन किया जाता है, वहां इस प्रकार शमन किए गए अपराध के संबंध में यथास्थिति, अपराधी के विरुद्ध कोई कार्यवाही या आगे की कार्यवाही, नहीं की जाएगी और अपराधी, यदि हिरासत में है, तो उसे तत्काल रिहा कर दिया जाएगा।

अध्याय 11

विविध

61. **संक्रिया का निलंबन—** (1) यदि प्रशासनिक प्राधिकारी को लगता है कि पर्याप्त कारण प्रस्तुत किए गए हैं तो वह संयुक्त अनुज्ञप्ति या उत्पादन पट्टे से संबंधित संक्रिया को छह मास से अधिक अवधि के लिए निलंबित करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा।

(2) प्रशासनिक प्राधिकारी, यदि वह पूर्वोक्त निलम्बन को प्राधिकृत करता है, यथास्थिति खोज संबंधी संक्रियाओं या उत्पादन संक्रियाओं के संरक्षण के लिए या खनिज संसाधनों के संरक्षण के लिए या किसी अन्य प्रयोजन के लिए ऐसी शर्तें अधिरोपित कर सकता है, अनुज्ञप्ति धारक या पट्टेदार ऐसी शर्तों का अनुपालन करेगा, मानो वे संयुक्त अनुज्ञप्ति या उत्पादन पट्टे में सम्मिलित हों:

परंतु कि प्रशासनिक प्राधिकारी उपनियम (1) के अधीन संयुक्त अनुज्ञप्ति या उत्पादन पट्टे से संबंधित संक्रियाओं के निलंबन को रद्द कर सकेगा, यदि उसका यह समाधान हो जाए कि ऐसे निलंबन के कारण समाप्त हो गए हैं या अनुज्ञप्ति धारक या पट्टेदार, ने ऐसी शर्तों को पूरा कर लिया है, जो प्रशासनिक प्राधिकारी द्वारा निर्धारित की जाए।

62. **कोर आदि का संरक्षण—** (1) संक्रिया संबंधी अधिकार का प्रत्येक धारक और धारा 5 की उपधारा (1) के परन्तुक के अधीन प्राधिकृत प्रत्येक अभिकरण, ड्रिलिंग संक्रियाओं के दौरान प्राप्त सभी कोर और विभिन्न प्रकार के अवसादों, चट्टानों, खनिजों और पर्पटीकरण के नमूनों को अंतिम भूवैज्ञानिक रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने तक परिरक्षित और अक्षुण्ण रखेगा और उन्हें पहचान चिह्नों के साथ क्रमानुसार व्यवस्थित करेगा, जिसमें वह उत्तरोत्तर गहराई दर्शाई जाएगी जिस पर वे प्राप्त किए गए हैं।

(2) यथास्थिति, भारतीय खान ब्यूरो का प्रशासनिक प्राधिकारी या प्राधिकृत अधिकारी लिखित आदेश द्वारा संक्रिया संबंधी अधिकार के धारक या धारा 5 की उपधारा (1) के परन्तुक के अधीन प्राधिकृत अभिकरण को विनिर्दिष्ट वेधन छिद्रों या वेधन से प्राप्त अवसादों, चट्टानों, खनिजों और पर्पटीकरणों के कोर या नमूनों को विनिर्दिष्ट रीति में या किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए परिरक्षित करने की अपेक्षा कर सकेगा या इस नियम के उपबंधों को उस सीमा तक शिथिल कर सकेगा, जैसा वह उचित समझे।

(3) उप-नियम (1) और (2) के अनुसार उत्पादित और संरक्षित किसी भी कोर या नमूने को यथास्थिति, मुख्य खान नियंत्रक या प्रशासनिक प्राधिकारी, कोष से लिखित में पूर्व अनुमति के बिना नष्ट नहीं किया जाएगा।

(4) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण राष्ट्रीय कोर कोष और क्षेत्रीय वेधन कोर कोष में वेधन कोर को उपयुक्त अनुक्रमण और सूचीकरण के साथ संग्रहित करने के लिए नोडल अभिकरण होगा।

(5) क्षेत्रीय वेधन कोर कोष राष्ट्रीय कोर कोष के उपग्रह के रूप में कार्य करेंगे।

(6) धारा 5 की उपधारा (1) के परन्तुक के अधीन प्राधिकृत संक्रिया संबंधी अधिकार धारक या कोई अन्य अभिकरण, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा समय-समय पर तैयार किए गए मैनुअल में यथा उपबंधित कोर के संरक्षण और प्रस्तुतीकरण की प्रक्रिया का पालन करेगा और अंतिम भूवैज्ञानिक रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने के समय सभी अपेक्षित अध्ययनों के पूरा हो जाने के पश्चात भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा एकत्रित किए जाने वाले पहचान किए गए वेधन छिद्र कोर का संरक्षण करेगा।

63. **स्थानीय कार्यालय का रखरखाव और नोडल अधिकारी का पदनाम—** (1) संक्रिया संबंधी अधिकार धारक के पास, यथास्थिति, उसके पट्टा क्षेत्र या अनुज्ञप्ति क्षेत्र के निकट तटवर्ती तटीय क्षेत्र में एक स्थानीय कार्यालय होगा, जो अधिनियम और नियमों के अधीन संक्रिया संबंधी अधिकार धारक द्वारा प्रस्तुत या अनुरक्षित किए जाने के लिए अपेक्षित सभी दस्तावेजों, फाइलों, रिपोर्टों, डाटा, विवरणियों और किसी अन्य सूचना का अभिलेख बनाए रखेगा।
- (2) संक्रिया संबंधी अधिकार का धारक अपने अधीन किसी व्यक्ति को ऐसे स्थानीय कार्यालय का प्रभारी नोडल अधिकारी अभिहित करेगा।
64. **अनुसंधान या प्रशिक्षण करने के लिए सुविधाएं—** प्रत्येक संयुक्त अनुज्ञप्ति या उत्पादन पट्टे का धारक सरकारी कर्मचारियों या संस्थाओं के प्रशिक्षण के लिए सभी सुविधाएं प्रदान करेगा और केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित खनन, भूवैज्ञानिक और खनिज प्रसंस्करण संस्थाओं के शोधकर्ताओं या छात्रों को उनके द्वारा संचालित खानों और संयंत्रों का अनुसंधान करने या व्यावहारिक प्रशिक्षण प्राप्त करने की अनुमति देगा और ऐसे प्रशिक्षण के लिए अपेक्षित सभी सुविधाएं प्रदान करेगा।
65. **भूविज्ञान या खनन या समुद्री विज्ञान में अनुसंधान के संबंध में अभिलेखों या रिपोर्टों का प्रस्तुतीकरण—** (1) कोई व्यक्ति, संस्था या अभिकरण जो भूविज्ञान या खनन या समुद्री विज्ञान या खनिज सज्जीकरण में किसी अनुसंधान से संबंधित खोज संबंधी संक्रियाएं या उत्पादन संक्रियाएं कर रही है वह, अनुसंधान से संबंधित ऐसी संक्रियाओं के प्रारंभ होने के तीस दिन की अवधि के भीतर, यथास्थिति, प्रशासनिक प्राधिकारी, महानियंत्रक या परमाणु खनिज गवेषण और अनुसंधान निदेशालय के निदेशक को, सूचित करेगी, जिसमें ऐसे अनुसंधान के अधीन शामिल किए जाने वाले प्रस्तावित पहलुओं के साथ-साथ ऐसे अनुसंधान संक्रिया करने वाले व्यक्ति, संस्था या अभिकरण का नाम और पता और अनुसंधान से संबंधित संक्रियाओं की अपेक्षित अवधि का संक्षेप में उल्लेख होगा।
- (2) उक्त अनुसंधान संक्रिया के पूरा होने पर, उक्त अनुसंधान संक्रिया के परिणामस्वरूप प्राप्त प्रेक्षणों, विश्लेषण और निष्कर्षों का वर्णन करने वाली एक रिपोर्ट भूविज्ञान और समुद्री विज्ञान संबंधी अनुसंधान के लिए महानिदेशक, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण को और खनन अनुसंधान के लिए यथास्थिति प्रशासनिक प्राधिकारी, मुख्य खान नियंत्रक या निदेशक, परमाणु खनिज गवेषण और अनुसंधान निदेशालय को, इसके पूरा होने के तीस दिनों के भीतर प्रस्तुत की जाएगी।
- (3) उप-नियम (2) में निर्दिष्ट प्राधिकारी रसीद में दी गई सूचना को गोपनीय रखेंगे और यदि आवश्यक हो तो संबंधित प्राधिकारी उक्त सूचना का उपयोग सामान्य अध्ययन, योजना या नीति निर्माण के प्रयोजन के लिए कर सकते हैं।
- (4) उप-नियम (1) और (2) के उपबंध अनुसंधान संक्रिया करने वाली केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के किसी अभिकरण पर भी यथावश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे।
66. **खान नियंत्रक और क्षेत्रीय नियंत्रक का प्रादेशिक अधिकार क्षेत्र—** महानियंत्रक, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इन नियमों के प्रयोजनों के लिए खान नियंत्रक और क्षेत्रीय नियंत्रक के प्रादेशिक अधिकार क्षेत्र की सीमाएं विनिर्दिष्ट कर सकता है।
67. **अन्य सूचना देने की बाध्यता—** संक्रिया संबंधी अधिकार का धारक अपने खोज संबंधी संक्रियाओं या उत्पादन संक्रियाओं या उससे संबंधित किसी मामले के संबंध में ऐसी सूचना प्रस्तुत करेगा, जिसकी भारतीय खान ब्यूरो

का प्राधिकृत अधिकारी लिखित आदेश द्वारा अपेक्षा करे और सूचना ऐसे आदेश में विनिर्दिष्ट समय के भीतर प्रस्तुत की जाएगी।

68. **इन नियमों के उपबंधों का प्राधिकृत अभिकरणों पर लागू होना—** धारा 5 की उपधारा (1) के परन्तुक के अधीन प्राधिकृत अभिकरण, जो संयुक्त अनुज्ञप्ति के बिना खोज संबंधी संक्रियाएं करते हैं, इन नियमों के सभी उपबंधों से उसी रीति में आबद्ध होंगी, जिस रीति में वे संयुक्त अनुज्ञप्ति धारकों पर लागू होते हैं।
69. **शक्तियों का प्रयोग—** (1) इन नियमों के अधीन क्षेत्रीय नियंत्रक को दी गई किसी शक्ति का प्रयोग खान नियंत्रक द्वारा किया जा सकेगा।
- (2) खान नियंत्रक को दी गई शक्तियों का प्रयोग मुख्य खान नियंत्रक द्वारा किया जा सकता है तथा मुख्य खान नियंत्रक को दी गई शक्तियों का प्रयोग महानियंत्रक द्वारा किया जा सकता है।
- (3) इन नियमों के अधीन परमाणु खनिज गवेषण और अनुसंधान निदेशालय के प्राधिकृत अधिकारी को अनुदत्त गई किसी शक्ति का प्रयोग निदेशक, परमाणु खनिज गवेषण और अनुसंधान निदेशालय द्वारा किया जा सकेगा।
70. **1962 के अधिनियम 33 की व्यावृत्ति—** इन नियमों की कोई बात खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की पहली अनुसूची के भाग ख में विनिर्दिष्ट खनिजों के संबंध में परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 (1962 का 33) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों पर प्रभाव नहीं डालेगी।
71. **रूपविधान, टेम्पलेट्स, विवरणियों और मैनुअल का पुनर्विलोकन—** यथास्थिति, महानियंत्रक या निदेशक, परमाणु खनिज खोज संबंधी और अनुसंधान निदेशालय, पणधारियों के परामर्श के पश्चात् खोज संबंधी योजना, उत्पादन योजना, खान को अंतिम रूप से बंद करने की योजना और इसके द्वारा प्रदान की गई विवरणी और खानों की स्टार रेटिंग के रूपविधानों को उचित समझे जाने वाले अंतराल पर पुनरीक्षित या अद्यतन कर सकते हैं।
72. **किसी अपेक्षा के पूरा होने का दिन—** जब इन नियमों के अधीन किसी अपेक्षा के पूरा होने का दिन सार्वजनिक छुट्टी के दिन पड़ रहा हो, तो पूरा होने का दिन अगले कार्य दिवस को पूरा होने का दिन माना जाएगा।
- स्पष्टीकरण.— इन नियमों के प्रयोजनों के लिए, "सार्वजनिक अवकाश" में शनिवार, रविवार और केन्द्रीय सरकार द्वारा सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया कोई अन्य दिन सम्मिलित है।

अध्याय 12

अपतट खनन विनियमन प्रणाली

73. **अपतट खनन विनियमन वेब पोर्टल—** (1) भारतीय खान ब्यूरो इन नियमों के उपबंधों के कार्यान्वयन और अनुपालन के लिए एक अपतट खनन विनियमन वेब पोर्टल तैयार करेगा।
- (2) इन नियमों के उपबंधों के कार्यान्वयन और अनुपालन के लिए यथास्थिति भारतीय खान ब्यूरो या परमाणु खनिज खोज संबंधी और अनुसंधान निदेशालय के प्रशासनिक प्राधिकारी या प्राधिकृत अधिकारी द्वारा की जा रही विनियामक संक्रियाओं के सभी पहलुओं को इन प्रयोजनों के लिए विकसित मानक प्रक्रिया शीटों या टेम्पलेट्स में दर्ज किया जाएगा और इस संबंध में सूचना उप-नियम (1) में निर्दिष्ट पोर्टल पर उपलब्ध कराई जाएगी:

परंतु कि उक्त वेब पोर्टल में उपलब्ध कराई गई वाणिज्यिक सूचना की पहुंच इस प्रकार विनियमित की जाएगी कि सूचना केवल संबंधित संक्रिया संबंधी अधिकार धारक, महानियंत्रक, केन्द्रीय सरकार, प्रशासनिक प्राधिकारी, प्राधिकृत अधिकारी और वेब पोर्टल के प्रशासक द्वारा ही प्राप्त की जा सके।

74. **इलेक्ट्रॉनिक मॉनीटरी प्रणाली**— (1) संक्रिया संबंधी अधिकार धारक को भारतीय खान ब्यूरो द्वारा यथाविनिर्दिष्ट एक इलेक्ट्रॉनिक मॉनीटरी प्रणाली स्थापित करनी होगी, जो भारतीय खान ब्यूरो द्वारा यथाविनिर्दिष्ट, खोज संबंधी संक्रियाओं और उत्पादन संक्रियाओं से संबंधित सभी सुसंगत डाटा को स्वचालित रूप से अभिलेख करने में समर्थ होगी, जिसमें जलयानों की सटीक ट्रैकिंग, अपतट क्षेत्रों में संक्रियाओं की मॉनीटरी और ऐसी संक्रियाओं के लिए वीडियो फीड की रिकॉर्डिंग शामिल है, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है।
- (2) उप-नियम (1) के अधीन एकत्रित सभी डाटा भारतीय खान ब्यूरो को भारतीय खान ब्यूरो द्वारा विनिर्दिष्ट रीति में प्रस्तुत किए जाएंगे।

पहली अनुसूची

प्ररूप—क

(नियम 11 देखिए)

(सूचना के प्रारंभिक आवीक्षण और खोज संबंधी संक्रिया)

प्ररूप भरने के लिए महत्वपूर्ण अनुदेश

- i. यह प्ररूप सम्यकरूप से भरा हुआ, नियमानुसार, संबंधित प्राधिकारियों के पास ऑनलाइन या ईमेल द्वारा पहुंचना चाहिए:
 - (क) खोज संबंधी संक्रिया और आवीक्षण संक्रिया प्रारंभ करने के लिए, खोज संबंधी संक्रिया प्रारंभ होने से कम से कम दो मास पहले सूचना देनी होगी।
 - (ख) समुद्र में नाविकों और स्थानीय मछुआरों की सुरक्षा के लिए, आवीक्षण संक्रियाओं और खोज संबंधी संक्रियाओं को शुरू करने से कम से कम पंद्रह दिन पहले नौसंचालन चार्ट पर प्रकाशन और एनएवीएआरईए (नवेरिया) चेतावनी जारी करना।
- ii. इसे उस क्षेत्रीय नियंत्रक को भी भेजा जाना चाहिए जिसके राज्यक्षेत्रीय अधिकारिता में संक्रिया संबंधी अधिकार आता है, जैसा अपतट क्षेत्र खनिज संरक्षण और विकास नियम, 2024 के नियम 66 के अधीन महानियंत्रक द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जाता है।
- iii. प्ररूप पर संबंधित व्यक्ति द्वारा डिजिटल हस्ताक्षर होना चाहिए।

1.	संक्रिया संबंधी अधिकार/संक्रिया का प्रकार	जाँचें कि कौन सा लागू है
	(क) संयुक्त अनुज्ञप्ति	
	(ख) खोज संबंधी संक्रिया (केवल धारा 5 की उपधारा (1) के उपबंध के अधीन प्राधिकृत अभिकरणों पर लागू)	
	(ग) आवीक्षण संक्रिया (केवल धारा 5 की उपधारा (1) के परंतुक के अधीन)	

	प्राधिकृत अभिकरणों पर लागू	
2.	आईबीएम रजिस्ट्रीकरण संख्या	
3.	अदूसरी आईबीएम संक्रिया संबंधी अधिकार संख्या	
	(क) संयुक्त अनुज्ञप्ति	
	(ख) खोज संबंधी संक्रिया/आवीक्षण संक्रिया संख्या (केवल धारा 5 की उपधारा (1) के उपबंध के अधीन प्राधिकृत अभिकरणों पर लागू)	
4.	खनिज या खनिजों का नाम जिसके लिए आवीक्षण संक्रिया या खोज संबंधी संक्रिया किया जाएगा या जिसके लिए संयुक्त अनुज्ञप्ति प्रदान किया गया है	(सूचना सिस्टम द्वारा तैयार की जाएगी। प्ररूप 'च' की प्रविष्टि 6 के साथ लिंक की जाएगी।)
5.	धारा 5 की उपधारा (1) के उपबंध के अधीन प्राधिकृत अनुज्ञप्तिधारी या एजेंसियों का नाम और पता	(सूचना सिस्टम द्वारा तैयार की जाएगी। प्ररूप 'च' की प्रविष्टि 6 के साथ लिंक की जाएगी।)
6.	संक्रिया संबंधी अधिकार का विवरण:	(सूचना सिस्टम द्वारा तैयार की जाएगी। प्ररूप 'च' की प्रविष्टि 6 के साथ लिंक की जाएगी।)
7.	अनुज्ञप्ति क्षेत्र/ खोज संबंधी क्षेत्र/आवीक्षण क्षेत्र का स्थान	(सूचना सिस्टम द्वारा तैयार की जाएगी। प्ररूप 'च' की प्रविष्टि 6 के साथ लिंक की जाएगी।)
8.	अनुज्ञप्ति क्षेत्र/ खोज संबंधी क्षेत्र/आवीक्षण क्षेत्र के लिए नियोजित भूविज्ञानी और खनन इंजीनियर का विवरण	
	(क) नाम और पता	
	(ख) ई-मेल पता	
	(ग) फोन नंबर और मोबाइल नंबर	
	(घ) अर्हता	
	(ङ) नियुक्ति की तारीख	
9.	तैनात किये जाने वाले जलयान का विवरण	
	(क) जलयान का नाम:	
	(ख) आयाम:	
	(ग) जलयान का रूपविधान:	
	(घ) कॉल साइन:	
	(ङ) रजिस्ट्रीकरण का देश:	
	(च) रजिस्ट्रीकरण का वर्ष:	
	(छ) क्या सभी प्रमाण पत्र वैध हैं; यदि हां, तो वैधता की तारीख के साथ प्रमाण पत्रों का ब्यौरा उपलब्ध कराएं:	
	(ज) क्या जलयान और कार्मिकों के लिए सभी आवश्यक मंजूरियां प्राप्त कर ली गई हैं:	
	(झ) जलयान पर चालक दल का विवरण:	

	(ज) जलयान पर वैज्ञानिक उपस्कर और मशीनरी की सूची:	
	(ट) वैज्ञानिक उपस्कर संचालित करने के लिए जलयान पर मौजूद तकनीकी लोगों का विवरण:	
	(ठ) वह अवधि जिसके लिए जलयान तैनात किया जाएगा	
10.	अन्य विवरण	
	(क) ऐसी संक्रियाओं को करने के लिए अनुज्ञप्ति क्षेत्र में जलयानों, प्लेटफॉर्म, स्थापना या किसी अन्य बुनियादी ढांचे की तैनाती की अवधि; और	
	(ख) अनुज्ञप्ति क्षेत्र के भौगोलिक निर्देशांक जहां ऐसे कार्य किए जाने हैं।	
11.	खोज संबंधी संक्रिया/आवीक्षण संक्रिया प्रारंभ होने की तारीख	

स्थान: तारीख:	हस्ताक्षर नाम में भरा हुआ: पद का नाम: स्वामी/भूविज्ञानी/खनन इंजीनियर
------------------	--

प्ररूप—ख

[नियम 13(1), 13(3), 13(4) देखिए]

(तिमाही/वर्ष के में की गई खोज संबंधी संक्रियाओं की अद्यतन प्रगति रिपोर्ट)

प्ररूप भरने के लिए महत्वपूर्ण अनुदेश

- i. यह प्ररूप, सम्यक रूप से भरा हुआ विहित नियमानुसार संबंधित प्राधिकारियों के पास ऑनलाइन या ईमेल द्वारा पहुंचना चाहिए:

(1) संयुक्त अनुज्ञप्ति धारक के लिए:

(क) त्रैमासिक प्रगति अद्यतन रिपोर्ट की दशा में तिमाही समाप्ति के तीस दिनों के भीतर;

(ख) वार्षिक प्रगति अद्यतन रिपोर्ट की दशा में वर्ष समाप्ति के साठ दिनों के भीतर;

(ग) खोज संबंधी संक्रियाओं के परित्याग की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर।

(2) धारा 5 की उपधारा (1) के परंतुक के अधीन प्राधिकृत अभिकरण के लिए:

(क) वार्षिक प्रगति अद्यतन रिपोर्ट की दशा में आवीक्षण संक्रियाओं या खोज संबंधी संक्रियाओं के प्रारंभ की तारीख से प्रत्येक बारह मास की समाप्ति के साठ दिनों के भीतर;

(ख) आवीक्षण संक्रियाओं या खोज संबंधी संक्रियाओं को छोड़ने की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर।

- ii. इसे क्षेत्रीय नियंत्रक को भी भेजा जाना चाहिए, जिसके राज्यक्षेत्रीय अधिकारिता में संक्रिया संबंधी अधिकार आता है, जैसा कि अपतट क्षेत्र खनिज संरक्षण और विकास नियम, 2024 के नियम 66 के अधीन महानियंत्रक द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जाता है।
- iii. प्ररूप पर संबंधित व्यक्ति द्वारा डिजिटल हस्ताक्षर किए जाने चाहिए।

1.	संक्रिया संबंधी अधिकार/संक्रिया का प्रकार	जो लागू है उसकी जांच करें
	(क) संयुक्त अनुज्ञप्ति	
	(ख) खोज संबंधी संक्रिया (केवल धारा 5 की उपधारा (1) के परंतुक के अधीन प्राधिकृत अभिकरण पर लागू)	
	(ग) आवीक्षण संक्रिया (केवल धारा 5 की उपधारा (1) के परंतुक के अधीन प्राधिकृत अभिकरण पर लागू)	
2.	आईबीएम रजिस्ट्रीकरण संख्या	
3.	विशिष्ट आईबीएम संक्रिया संबंधी अधिकार संख्या	
	(क) संयुक्त अनुज्ञप्ति	
	(ख) खोज संबंधी संक्रिया/आवीक्षण संक्रिया संख्या (केवल धारा 5 की उपधारा (1) के परंतुक के अधीन प्राधिकृत अभिकरण पर लागू)	
4.	खनिज या खनिजों के नाम जिसके लिए आवीक्षण संक्रिया या खोज संबंधी संक्रिया की जाएगी या जिसके लिए संयुक्त अनुज्ञप्ति प्रदान की गई है	(सूचना सिस्टम द्वारा तैयार की जाएगी। प्ररूप 'च' की प्रविष्टि 6 के साथ लिंक की जाएगी।)
5.	धारा 5 की उपधारा (1) के परंतुक के अधीन प्राधिकृत अनुज्ञप्तिधारी या अभिकरण का नाम और पता	(सूचना सिस्टम द्वारा तैयार की जाएगी। प्ररूप 'च' की प्रविष्टि 6 के साथ लिंक की जाएगी।)
6.	संक्रिया संबंधी अधिकार का विवरण:	(सूचना सिस्टम द्वारा तैयार की जाएगी। प्ररूप 'च' की प्रविष्टि 6 के साथ लिंक की जाएगी।)
7.	अनुज्ञप्ति क्षेत्र/ खोज संबंधी क्षेत्र/आवीक्षण क्षेत्र का स्थान	(सूचना सिस्टम द्वारा तैयार की जाएगी। प्ररूप 'च' की प्रविष्टि 6 के साथ लिंक की जाएगी।)
8.	आवीक्षण/ खोज संबंधी संक्रियाओं की स्थिति (कृपया जो भी लागू हो उसे चिह्नित करें)	
	(क) प्रगति पर है	आरंभिक और अंतिम तारीख अंकित करें।
	(ख) पूरा हो गया	
	(ग) परित्यक्त	
9.	यदि आवीक्षण/ खोज संबंधी संक्रिया पूरी हो गई है या परित्याग कर दिया गया है, तो ऐसे पूरा होने या परित्याग	

	की तारीख	
10.	आज की तारीख तक कुल अपतट क्षेत्र को आवीक्षण/ खोज संबंधी संक्रिया के अधीन ले लिया गया है (अक्षांश और देशांतर में तथा मानक ब्लॉकों की संख्या में)	
11.	आवीक्षण/ खोज संबंधी संक्रिया संपन्न (निम्नलिखित प्रत्येक मद के सामने संक्रिया का संक्षिप्त विवरण तथा प्रयुक्त जलयानों, उपकरणों, प्लेटफार्म, प्रतिष्ठानों, इंजनों, मशीनों, यंत्रों और अन्य बुनियादी ढांचे का विवरण दिया जाएगा)	
	(क) क्षेत्रीय सर्वेक्षण	
	(ख) विस्तृत सर्वेक्षण	
	सबमर्ज इन्सटालेशन की अक्षांश और देशांतर, ऊंचाई और गहराई, संरचना (आकार और रंग), जिसमें फोटोग्राफ भी शामिल हैं, प्रकाशित वस्तुओं का विवरण और विशेषताएं, स्थापित शीर्ष चिहनों/रडार ट्रान्समीटर का विवरण, यदि कोई हो	
12.	संरक्षित किए गए क्षेत्र और प्रस्तुति के पैमाने सहित समुद्र तल मानचित्रण	
	(क) समुद्र तल मानचित्रण	
	(i) बैथिमेट्री	
	(ii) सब-बॉटम प्रोफाइलिंग	
	(iii) मल्टीबीम बैथिमेट्री	
	(iv) साइड-स्कैन सोनार सर्वेक्षण	
	(v) कोई अन्य	
	(ख) भूभौतिकीय सर्वेक्षण	
	(i) भूकंपीय सर्वेक्षण	
	(ii) कोई अन्य	
	(ग) भू-तकनीकी जांच	
	(घ) समुद्री पर्यावरण अध्ययन	
	(ङ) भूरसायन	
	(च) भूवैज्ञानिक उप-नमूनाकरण: संख्या, प्रभाव क्षेत्र, मीटरेज अंतराल और नमूनाकरण	
	(छ) अयस्क निकाय की प्रकृति और संरचना	
	(ज) अयस्कों या खनिजों का विश्लेषण	
13.	वर्ष के दौरान आवीक्षण/ खोज संबंधी संक्रिया का समापन	
14.	(क) समुद्र तल के नमूने	
	(i) गैब नमूनों की संख्या	

	(ख) समुद्र तल कोर नमूनाकरण	
	(i) ग्रेविटी / वाइब्रो कोर की संख्या	
	(ii) लंबाई (मीटर में) औसत: अधिकतम: न्यूनतम:	

14.	(ग) वेधन	तिमाही के दौरान	आज तक
	(i) पूर्ण किये गये बोरहोलों की संख्या		
	(ii) ड्रिल किए गए मीटरज (मीटर में)		

14.	(घ) वेधन मशीनों का विवरण			
	प्रकार	निर्माण	क्षमता	वेधनों की संख्या

14.	(ङ) गवेषणात्मक खनन, यदि कोई हो	तिमाही के दौरान	आज तक
	(i) तलकर्षणों की संख्या		
	(ii) कुल तलकर्षण क्षेत्र (वर्ग किमी)		
	(iii) ग्रेड के साथ उत्पादित अयस्क की मात्रा		

14.	(च) विश्लेषित नमूनों की संख्या	तिमाही के दौरान	आज तक
	(i) विश्लेषित नमूनों की संख्या		
	(ii) मुख्य घटकों की संख्या (कृपया विनिर्दिष्ट करें) (रासायनिक)		
	(ii) पूर्ण विश्लेषण की संख्या (रासायनिक/परमाणु अवशोषण स्पेक्ट्रोस्कोपी)		
	(iv) तलछट विज्ञान संबंधी अध्ययनों की संख्या		
	(v) पेट्रोग्राफी/पेट्रोलॉजिकल अध्ययन/खनिज विज्ञान संबंधी अध्ययनों की संख्या		
	(vi) भू-तकनीकी गुणों की संख्या		

15.	अनुज्ञप्ति क्षेत्र/ खोज संबंधी क्षेत्र/आवीक्षण क्षेत्र में कार्यरत कार्मिकों की संख्या:	भारतीय नागरिक		विदेशी नागरिक		कुल
		पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	
		कंपनी कार्मिक				
संविदा कार्मिक						
कुल						

16.	यदि परित्याग किया गया	
	(क) परित्याग की तारीख	
	(ख) परित्याग के कारण	

टिप्पण: कृपया अपतट क्षेत्र (खनिज संसाधनों की विद्यमानता) नियम, 2024 में विनिर्दिष्ट रूपविधान के अनुसार वार्षिक भूवैज्ञानिक रिपोर्ट संलग्न करें, जिसमें किए गए सर्वेक्षण संक्रियाओं या खोज संबंधी संक्रियाओं का विवरण हो।

स्थान : तारीख:	हस्ताक्षर नाम: पद का नाम: स्वामी/भूविज्ञानी/खनन इंजीनियर
-------------------	--

प्ररूप-ग

(नियम 23 और 29 देखिए)

(खान के उत्पादन संक्रियाओं के प्रारंभ होने / खान पुनः खोलने की सूचना की नोटिस)

प्ररूप भरने के लिए महत्वपूर्ण अनुदेश:

- सम्यक रूप से भरा गया यह प्ररूप नियम के अनुसार संबंधित प्राधिकारियों के पास ऑनलाइन या ईमेल के माध्यम से पहुंचना चाहिए:
 - खान की उत्पादन संक्रिया शुरू करने के लिए, खान की उत्पादन संक्रिया शुरू होने से कम से कम दो मास पहले; या
 - नौसंचालन चार्ट पर प्रकाशन और नाविकों और स्थानीय मछुआरों की समुद्र में सुरक्षा के लिए नवेरिया चेतावनी जारी करने के लिए, उत्पादन संक्रिया शुरू करने से कम से कम पंद्रह दिन पहले।
 - खान के फिर से खुलने की सूचना के लिए, खान के फिर से खुलने से कम से कम तीस दिन पहले।
- इसे क्षेत्रीय नियंत्रक को भी भेजा जाना चाहिए, जिसके राज्यक्षेत्रीय अधिकारिता में संक्रिया संबंधी अधिकार आता है, जैसा कि अपतट क्षेत्र खनिज संरक्षण और विकास नियम, 2024 के नियम 66 के अधीन महानियंत्रक द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जाता है।

iii. प्ररूप पर संबंधित व्यक्ति द्वारा डिजिटल हस्ताक्षर किए जाने चाहिए।

1.	आईबीएम रजिस्ट्रीकरण संख्या	
2.	उत्पादन पट्टा कोड	
3.	खान कोड	
4.	खान का नाम	
5.	पट्टेदार/स्वामी का नाम और पता	(सूचना सिस्टम द्वारा तैयार की जाएगी। प्ररूप 'च' की प्रविष्टि 4 के साथ लिंक की जाएगी।)
6.	खान के उत्पादन संक्रिया प्रारंभ होने / खान को पुनः खोलने की तारीख	
7.	पुनः खोलने की स्थिति में, बंद करने की तारीख	
8.	उत्पादन पट्टे (पीएल) का विवरण	(सूचना सिस्टम द्वारा तैयार की जाएगी। प्ररूप 'च' की प्रविष्टि 5 के साथ लिंक की जाएगी।)
9.	पट्टा क्षेत्र का स्थान	(सूचना सिस्टम द्वारा तैयार की जाएगी। प्ररूप 'च' की प्रविष्टि 5 के साथ लिंक की जाएगी।)
10.	पिछले स्वामी का नाम और पता यदि कोई हो और खान परित्याग की तारीख	
	(क) नाम	
	(ख) पता	
	(ग) ई-मेल	
	(घ) मोबाइल नं.	
	(ङ) परित्याग की तारीख	
11.	खान अभिकर्ता का नाम और पता	
	(क) नाम	
	(ख) पता	
	(ग) ई-मेल	
	(घ) मोबाइल नं.	
12.	खान में कार्यरत खनन इंजीनियर का विवरण	(सूचना सिस्टम द्वारा तैयार की जाएगी। प्ररूप 'झ' की प्रविष्टि 8 और 9 के साथ लिंक की जाएगी।)
13.	खान में कार्यरत भूविज्ञानी का विवरण	(सूचना सिस्टम द्वारा तैयार की जाएगी। प्ररूप 'झ' की प्रविष्टि 8 और 9 के साथ लिंक की जाएगी।)
14.	खान में कार्यरत प्रबंधक का विवरण	(सूचना सिस्टम द्वारा तैयार की जाएगी। प्ररूप 'झ' की प्रविष्टि 8 और 9 के साथ लिंक की जाएगी।)

15.	तैनात किये जाने वाले जलयान का विवरण	
	(क) जलयान का नाम:	
	(ख) आयाम:	
	(ग) जलयान का रूपविधान:	
	(घ) कॉल साइन:	
	(ङ) रजिस्ट्रीकरण का देश:	
	(च) रजिस्ट्रीकरण का वर्ष:	
	(छ) क्या सभी प्रमाण पत्र वैध हैं; यदि हां, तो वैधता की तारीख के साथ प्रमाण पत्रों का ब्यौरा उपलब्ध कराएं:	
	(ज) क्या जलयान के लिए सभी आवश्यक मंजूरी प्राप्त कर ली गई है:	
	(झ) जलयान पर चालक दल का विवरण:	
	(ञ) जलयान पर वैज्ञानिक उपस्कर और मशीनरी की सूची:	
	(ट) वैज्ञानिक उपस्कर प्रचालित करने के लिए जहाज पर मौजूद तकनीकी लोगों का विवरण:	
	(ठ) वह अवधि जिसके लिए जलयान तैनात किया जाएगा:	
16.	अन्य विवरण	
	(क) ऐसे कार्यों को करने के लिए पट्टा क्षेत्र में जलयानों, प्लेटफार्म, स्थापना या किसी अन्य बुनियादी ढांचे की तैनाती की अवधि; तथा	
	(ख) पट्टा क्षेत्र के भौगोलिक निर्देशांक जहां ऐसी संक्रियाएं की जानी हैं।	
17.	पत्र संख्या और तारीख जिसके माध्यम से भारतीय खान ब्यूरो द्वारा उत्पादन योजना को मंजूरी दी गई	

स्थान:	हस्ताक्षर
तारीख:	नाम:
	पद का नाम: स्वामी/भूविज्ञानी/खनन इंजीनियर

प्ररूप-घ

[नियम 24(2) देखिए]

(खान अथवा खान के भाग को परित्यक्त करने के आशय का नोटिस)

प्ररूप भरने के लिए महत्वपूर्ण अनुदेश:

- यह प्ररूप सम्यक रूप से भरा हुआ, नियम के अधीन विहित संबंधित प्राधिकारियों के पास, परित्याग की तारीख से नब्बे दिन के भीतर, ऑनलाइन या ईमेल के माध्यम से पहुंच जाना चाहिए।
- इसे क्षेत्रीय नियंत्रक को भी भेजा जाना चाहिए, जिसके राज्यक्षेत्रीय अधिकारिता में पट्टा क्षेत्र आता है, जैसा अपतट क्षेत्र खनिज संरक्षण और विकास नियम, 2024 के नियम 66 के अधीन महानियंत्रक द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जाता है।
- प्ररूप पर संबंधित व्यक्ति द्वारा डिजिटल हस्ताक्षर किए जाने चाहिए।

1.	आईबीएम रजिस्ट्रीकरण संख्या	
2.	उत्पादन पट्टा कोड	
3.	खान कोड	
4.	खान का नाम	
5.	पट्टेदार/स्वामी का नाम और पता	(सूचना सिस्टम द्वारा तैयार की जाएगी। प्ररूप 'च' की प्रविष्टि 4 के साथ लिंक की जाएगी।)
6.	उत्पादन पट्टे (पीएल) का विवरण	(सूचना सिस्टम द्वारा तैयार की जाएगी। प्ररूप 'च' की प्रविष्टि 5 के साथ लिंक की जाएगी।)
7.	उत्पादन पट्टे का स्थान	(सूचना सिस्टम द्वारा तैयार की जाएगी। प्ररूप 'च' की प्रविष्टि 5 के साथ लिंक की जाएगी।)
8.	पत्र संख्या और तारीख जिसके माध्यम से भारतीय खान ब्यूरो द्वारा खान को अंतिम रूप से बंद करने की योजना को मंजूरी दी गई	
9.	परित्याग की तारीख	
10.	परित्याग के कारण:	[कृपया जो भी लागू हो उसे चिह्नित करें]
	(क) मांग की कमी	
	(ख) अयस्क/खनिज की समाप्ति	
	(ग) गैर-आर्थिक संक्रिया	
	(घ) अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें)	
11	यूएनएफसी के अनुसार पट्टा क्षेत्र में खनिज(ओं) के कुल संसाधन (टन में)	
	(क) खनिज भंडार	

	(i) प्रमाणित भंडार (111)				
	(ii) संभावित भंडार (121 और 122)				
	(ख) शेष संसाधन				
	(i) व्यवहार्यता खनिज संसाधन (211)				
	(ii) पूर्व-व्यवहार्यता खनिज संसाधन (221 और 222)				
	(iii) मापे गए खनिज संसाधन (331)				
	(iv) संकेतित खनिज संसाधन (332)				
	(v) अनुमानित खनिज संसाधन (333)				
	(vi) आवीक्षण खनिज संसाधन (334)				
	(ग) कुल संसाधन (क + ख) (टन)				
12.	खान में कार्यरत कर्मियों की संख्या				
	भारतीय नागरिक		विदेशी नागरिक		कुल
	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	
	कंपनी कार्मिक				
	संविदा कार्मिक				
	कुल				

टिप्पण: कृपया नियम 30 में निर्दिष्ट पैमाने पर मानचित्र, अनुभाग और प्रोफाइल संलग्न करें, जिसमें नोटिस प्रस्तुत करने के समय तक खान में किए गए कार्य को सटीक रूप से दर्शाया गया हो, जिसमें परित्यक्त खान या उसके भाग, उसके पहुंच मार्गों और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए परिकल्पित उपाय शामिल हों।

स्थान :	<i>हस्ताक्षर</i>
तारीख:	नाम: पद का नाम: स्वामी/भूविज्ञानी/खनन इंजीनियर

प्ररूप-ड

[नियम 28(1) और 28(2) देखिए]

(खान के अस्थाई रूप से बंद करने का नोटिस)

प्ररूप भरने के लिए महत्वपूर्ण अनुदेश

- सम्यक रूप से भरा गया यह प्ररूप नियम के अनुसार संबंधित प्राधिकारियों के पास, खान में काम के अस्थायी रूप से बंद होने के एक सौ बीस दिनों के भीतर, ऑनलाइन या ईमेल के माध्यम से पहुंचना चाहिए। यदि काम बंद होने का कारण पट्टेदार के नियंत्रण से परे प्राकृतिक आपदा या सरकारी आदेश के कारण है, तो यह सूचना ऐसी घटना के पंद्रह दिनों के भीतर ऑनलाइन या ईमेल के माध्यम से भेजी जानी चाहिए।
- इसे क्षेत्रीय नियंत्रक को भी भेजा जाना चाहिए, जिसके राज्यक्षेत्रीय अधिकारिता में पट्टा क्षेत्र आता है, जैसा

कि अपतट क्षेत्र खनिज संरक्षण और विकास नियम, 2024 के नियम 66 के अधीन महानियंत्रक द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जाता है।

iii. प्ररूप पर संबंधित व्यक्ति द्वारा डिजिटल हस्ताक्षर किए जाने चाहिए।

1.	आईबीएम रजिस्ट्रीकरण संख्या	
2.	उत्पादन पट्टा कोड	
3.	खान कोड	
4.	खान का नाम	
5.	पट्टेदार/स्वामी का नाम और पता	(सूचना सिस्टम द्वारा तैयार की जाएगी। प्ररूप 'च' की प्रविष्टि 4 के साथ लिंक की जाएगी।)
6.	उत्पादन पट्टे (पीएल) का विवरण	(सूचना सिस्टम द्वारा तैयार की जाएगी। प्ररूप 'च' की प्रविष्टि 5 के साथ लिंक की जाएगी।)
7.	उत्पादन पट्टे का स्थान	(सूचना सिस्टम द्वारा तैयार की जाएगी। प्ररूप 'च' की प्रविष्टि 5 के साथ लिंक की जाएगी।)
8.	अस्थायी रूप से बंद करने की तारीख	
9.	अस्थायी रूप से बंद करने के कारण	[कृपया जो भी लागू हो उसे चिह्नित करें]
	(क) मांग की कमी	
	(ख) श्रमिकों की अनुपलब्धता	
	(ग) बारिश/चक्रवात	
	(घ) प्राकृतिक आपदा	
	(ङ) परिवहन अड़चन	
	(च) हड़ताल/तालाबंदी	
	(छ) संक्रिया अलाभकारी हो जाना	
	(ज) अन्य कारण (विनिर्दिष्ट करें)	
10.	खान के पुनः खुलने की संभावित तारीख	

स्थान :	हस्ताक्षर
तारीख:	नाम:
	पद का नाम: स्वामी/भूविज्ञानी/खनन इंजीनियर

प्ररूप—च

[नियम 48(1) देखिए]

(खोज संबंधी संक्रिया या उत्पादन संक्रिया करने के लिए नियम 48 के अधीन रजिस्ट्रीकरण हेतु आवेदन)

प्ररूप भरने के लिए महत्वपूर्ण अनुदेश

- यदि रजिस्ट्रीकरण के बाद किसी भी क्षेत्र में कोई परिवर्तन होता है, तो प्ररूप को तदनुसार अद्यतन किया जा सकता है और नियंत्रक महालेखा परीक्षक को सूचित किया जा सकता है।
- प्ररूप पर संबंधित हस्ताक्षरकर्ता प्राधिकारी द्वारा डिजिटल हस्ताक्षर होना चाहिए।

1. आवेदक का प्रकार: (कृपया सही का निशान लगाएं)

- सरकार, या सरकारी कंपनी, या निगम
- संक्रिया संबंधी अधिकार का धारक
- धारा 5 की उपधारा (1) के परंतुक के अधीन प्राधिकृत अभिकरण

2. आवेदक का प्रवर्ग: (कृपया सही का निशान लगाएं)

- व्यक्ति
- व्यषिकों का संगम
- फर्म
- कंपनी अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत कंपनी

3. कारबार/क्रियाकलाप का प्रकार: बद्ध विकल्प चुनने की अनुमति (कृपया नीचे दिए गए विकल्प पर सही का निशान लगाएं)

- आवीक्षण संक्रिया
- खोज संबंधी संक्रिया
- उत्पादन संक्रिया

4. आवेदक का विवरण:

(कृपया सही का निशान लगाएं):

सरकार कंपनी [] या अन्य []

(क) व्यक्तिगत आवेदक के मामले में (प्रत्येक खान के स्वामी, अभिकर्ता, खनन इंजीनियर या प्रबंधक शामिल हैं):

(i)	नाम	श्री / श्रीमती. (पहला नाम) / (मध्य नाम) / (अंतिम नाम)
(ii)	खान में स्थिति (कृपया विकल्प पर सही का निशान लगाएं)	<ul style="list-style-type: none"> ○ स्वामी ○ अभिकर्ता ○ खनन इंजीनियर ○ प्रबंधक

		○ भूविज्ञानी
(iii)	पता	(दरवाजा संख्या/ बिल्डिंग संख्या/ प्लॉट संख्या)
	ब्लॉक	(स्ट्रीट संख्या / ब्लॉक संख्या)
	तालुका	
	ज़िला	
	राज्य / संघ राज्य क्षेत्र	
	पिन कोड	
	ई- मेल	
(iv)	टेलीफ़ोन	कार्यालय : फैक्स : निवास स्थान मोबाईल :
(v)	पैन संख्या	
(vi)	आधार संख्या	
(vii)	पासपोर्ट नंबर	

(ख) व्यष्टिकों के संगम की दशा में:

(i)	संगम का नाम, या हस्ताक्षर करने वाले संगम के प्राधिकारी का नाम संगम	
(ii)	पता	(दरवाजा संख्या/ भवन संख्या/ प्लॉट संख्या)
	ब्लॉक	(गली संख्या / ब्लॉक संख्या)
	तालुका	
	ज़िला	
	राज्य / संघ राज्यक्षेत्र	
	पिन कोड	
	ई- मेल	
(iii)	टेलीफ़ोन	कार्यालय : फैक्स : निवास : मोबाईल :

(iv)	सहयोगियों का विवरण	नाम	पैन नंबर	आधार नंबर	नागरिकता	पासपोर्ट नंबर

(v)	खान अधिनियम, 1952 की धारा 76 के अधीन नामनिर्दिष्ट स्वामी का विवरण	नाम	
		पद का नाम	
		पता	
		फ़ोन नंबर	कार्यालय: निवास: मोबाईल: ईमेल :
		पैन नंबर	
		पासपोर्ट नंबर	

(ग) फर्म की दशा:

(i)	फर्म का नाम					
(ii)	पता	(दरवाजा संख्या/ इमारत संख्या/ प्लॉट संख्या)				
	ब्लॉक	(गली संख्या / ब्लॉक संख्या)				
	तालुका					
	ज़िला					
	राज्य / संघ राज्यक्षेत्र					
	पिन कोड					
	ई- मेल					
(iii)	टेलीफ़ोन	कार्यालय : फैक्स : निवास : मोबाईल :				
(iv)	फर्म में भागीदारों की संख्या	भागीदार का नाम	पैन नंबर	आधार नंबर	नागरिकता	पासपोर्ट नंबर

	फर्म का प्रकार (चिह्नित करें)	रजिस्ट्रीकृत/अरजिस्ट्रीकृत			
(v)	फर्म की रजिस्ट्रीकरण संख्या (भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 के अधीन रजिस्ट्रीकृत)				
		पैन नंबर	टीआईएन नंबर	टीएएन नंबर	
(vi)	राज्य का नाम जहां रजिस्ट्रीकृत है				
(vii)	रजिस्ट्रीकरण की तारीख	(दिन/मास/वर्ष)			
(viii)	खान अधिनियम, 1952 की धारा 76 के अधीन नामनिर्दिष्ट स्वामी का विवरण	नाम			
		पद का नाम			
		पता			
		फोन संख्या	कार्यालय: निवास: मोबाईल: ईमेल:		
		पैन नंबर			
		पासपोर्ट नंबर			

(घ) कंपनी की दशा:

(i)	कंपनी का नाम					
(ii)	रजिस्ट्रीकृत पता					
	राज्य / संघ राज्यक्षेत्र					
	पिन कोड					
	ई- मेल					
(iii)	टेलीफोन	कार्यालय : फैक्स : मोबाईल :				
(iv)	कंपनी के निदेशकों का विवरण	नाम	पैन नंबर	आधार नंबर	नागरिकता	पासपोर्ट नंबर

(v)	कंपनी की रजिस्ट्रीकरण संख्या (कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन रजिस्ट्रीकृत)				
		टीएएन नंबर		टीआईएन नंबर	
(vi)	राज्य का नाम जहां रजिस्ट्रीकृत है				
(vii)	रजिस्ट्रीकरण की तारीख	(दिन/मास/वर्ष)			
(viii)	खान अधिनियम, 1952 की धारा 76 के अधीन नामनिर्दिष्ट स्वामी का विवरण	नाम			
		पद का नाम			
		पता			
		फ़ोन नंबर	कार्यालय: निवास: मोबाईल: ईमेल :		
		पैन नंबर			
		पासपोर्ट नंबर			

(ड) राज्य अनुज्ञप्ति विवरण (धारा 35 की उपधारा (2) के खंड (पीए) के अधीन केवल राज्य अनुज्ञप्ति धारक के लिए)

राज्य अनुज्ञप्ति संख्या	कारबार क्षेत्र /जिला	जारी करने की तारीख	(दिन/मास/वर्ष) तक वैध	जारी करने वाला प्राधिकरण	खनिजों के नाम

5. कृपया रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करते समय धारित खानों का ब्यौरा दें, यदि कोई हो, या रजिस्ट्रीकरण के बाद व्यक्ति/व्यक्तियों के संगम/फर्म या कंपनी द्वारा किए गए किसी भी परिवर्तन के कारण सूचना को अद्यतन करें।

क्रम. संख्या	खान का नाम	आईबीएम द्वारा पट्टा कोड दिया गया	आईबीएम द्वारा खान का कोड दिया गया

पट्टा क्षेत्र का स्थान									पीएल के अधीन धारित क्षेत्र(अक्षांश और देशांतर में तथा मानक ब्लॉकों की संख्या में)	खनिजों के नाम	पी.एल. के रजिस्ट्रीकरण की तारीख	पट्टा की अवधि	
खान कोड	एनएचओ चार्ट नं.	क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में.	ब्लॉक के सीमा निर्देशांक (दशमलव डिग्री में)	तट/ समुद्र	अपतट क्षेत्र	निकटतम तटीय स्थान	पानी की गहराई (मीटर में)	निकटतम बंदरगाह/ पोर्ट				से	तक

6. कृपया रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करते समय धारित संयुक्त अनुज्ञप्ति का ब्यौरा दें, यदि कोई हो, या रजिस्ट्रीकरण के बाद व्यक्ति/व्यक्तियों के संगम/फर्म या कंपनी द्वारा किए गए किसी भी परिवर्तन के कारणों की सूचना को अद्यतन करें।

अनुज्ञप्ति क्षेत्र का स्थान									अनुज्ञप्ति के अधीन धारित क्षेत्र (अक्षांश और देशांतर में तथा मानक ब्लॉकों की संख्या में)	खनिजों के नाम	स्वीकृति की तारीख	खोज संबंधी अनुज्ञप्ति के निष्पादन की तारीख संयुक्त अनुज्ञप्ति का विलेख
आईबीएम द्वारा दिया गया विशिष्ट संख्या	एनएचओ चार्ट नं.	क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में.	ब्लॉक के सीमा निर्देशांक (दशमलव डिग्री में)	तट/ समुद्र	अपतट क्षेत्र	निकटतम तटीय स्थान	पानी की गहराई (मीटर में)	निकटतम बंदरगाह/ पोर्ट				

7. यदि खनिज आधारित उद्योग के माध्यम से उत्पादन या विनिर्माण में लगे हैं, तो कृपया खनिज खपत का विवरण दें या रजिस्ट्रीकरण के पश्चात् किसी भी परिवर्तन के कारणों की सूचना को अद्यतन करें।

क्रमांक	संयंत्र का स्थान जहां खनिज का उपयोग किया जाता है						संयंत्र का नाम	खनिज उपयोग किए गए खनिज	औसत खपत प्रति वर्ष	टिप्पणी
	गाँव	तालुका	ज़िला	राज्य	अक्षांश (ddmmss)	देशांतर (ddmmss)				

सत्यापन

मैं, ----- पुत्र/पुत्री/पत्नी ----- आयु ----- व्यवसाय ----- निवासी -----
 ----- गाँव/कस्बा/शहर डाकघर ----- पुलिस स्टेशन ----- तालुका -----
 जिला----- राज्य ----- प्रमाणित करता हूँ कि उपरोक्त दी गई सूचना पूर्ण है और सही है।

स्थान:

हस्ताक्षर:

तारीख:

नाम:

आवेदक द्वारा नहीं भरा जाए।
(भारतीय खान ब्यूरो के आंतरिक उपयोग हेतु)

आईबीएम द्वारा दी गई रजिस्ट्रीकरण संख्या:

प्ररूप-छ

[नियम 48 (3)(क) देखिए]

मास.....20.....

मासिक विवरणी

[सभी खनिजों के लिए उपयोग किया जाना है]

सेवा में

(i) क्षेत्रीय नियंत्रक

भारतीय खान ब्यूरो

_____ क्षेत्र,

पिन:

(कृपया क्षेत्रीय नियंत्रक को संबोधित करें, जिसके क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में खान आती है, जैसा कि अपतट क्षेत्र खनिज संरक्षण और विकास नियम, 2024 के नियम 66 के अधीन महानियंत्रक द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जाता है)।

(ii) प्रशासनिक प्राधिकारी और

(iii) भारतीय खान ब्यूरो के प्राधिकृत अधिकारी

भाग-1

(सामान्य और श्रम)

(प्रोफाइल अद्यतन करते समय सूचना एक बार भरी जाएगी)

1. खान का विवरण	
(क) भारतीय खान ब्यूरो द्वारा आवंटित रजिस्ट्रीकरण संख्या (पट्टेदार/स्वामी की रजिस्ट्रीकरण संख्या देने के लिए)	
(ख) खान कोड (भारतीय खान ब्यूरो द्वारा आवंटित)	
(ग) खनिज का नाम	
(घ) खान का नाम	
(ङ) उसी खान से उत्पादित अन्य खनिजों के नाम, यदि कोई हो	
(च) अनुदान का तरीका (नीलामी/आरक्षण):	
(छ) नीलामी प्रीमियम (%)	
(ज) खान का स्थान	
(क) एनएचओ चार्ट नं.	
(ख) क्षेत्रफल वर्ग किमी में.	
(ग) खनिज ब्लॉक में शामिल मानक ब्लॉकों की संख्या	
(घ) ब्लॉक के सीमा निर्देशांक (दशमलव डिग्री में)	
(ङ) तट/ समुद्र	
(च) अपतट क्षेत्र	
(छ) निकटतम तटीय स्थान	
(ज) पानी की गहराई (मीटर में)	
(झ) निकटतम बंदरगाह/पोर्ट	

2. पट्टेदार/स्वामी का नाम और पता (फैक्स संख्या और ई-मेल सहित):	
(क) नाम का पट्टेदार/स्वामी	
(ख) पता	
(ग) जिला	
(घ) राज्य	
(ई) पिन कोड	
(च) फैक्स:	
(छ) ई-मेल:	
(ज) फ़ोन:	
(झ) मोबाइल:	

3. मास में संदाय किए गए किराए/ रॉयल्टी/ नीलामी प्रीमियम / निश्चित किराया / अपतट क्षेत्र खनिज न्यास के लिए अंशदान / अंतरराष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण के लिए अंशदान का विवरण	
(i) किराया चुकाया गया (₹)	
(ii) रॉयल्टी चुकाया गया (₹)	

(iii) नीलामी प्रीमियम (₹)	
(iv) तय किराया चुकाया गया (₹)	
(v) किया गया संदाय अपतट क्षेत्र खनिज न्यास को (₹)	
(vi) अंतरराष्ट्रीय समुद्रतल प्राधिकरण को किया गया संदाय (₹)	
(vii) कोई अन्य संदाय (₹) (जैसा विनिर्दिष्ट हो)	

4. खान में कार्य का विवरण :	
(i) खान में कार्य दिनों की संख्या:	
(ii) मास के दौरान खान में कार्य रुकने के कारण (हड़ताल, तालाबंदी, भारी वर्षा, चक्रवात, प्राकृतिक आपदा, श्रमिकों की अनुपलब्धता, परिवहन बाधा, मांग की कमी, अलाभकारी संक्रिया आदि के कारण) तथा प्रत्येक कारण से कार्य रुकने के दिनों की अलग-अलग संख्या दर्शाएं।	कारण
	दिनों की संख्या

5. औसत दैनिक नियोजन और कुल वेतन/मजदूरी का संदाय #:

पट्टा क्षेत्र में	प्रत्यक्ष		संविदा		कुल वेतन/मजदूरी (₹)	
	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	प्रत्यक्ष	संविदा
उत्पादन संक्रिया में संलग्न						
सहायक कार्य में संलग्न						
कुल						

अपतट खान स्थल पर खान और संलग्न कार्यशाला या खनिज प्रसंस्करण संयंत्र के सभी कर्मचारियों को इसमें शामिल किया जाए।

भाग-2 (उत्पादन, प्रेषण और स्टॉक)

(प्रत्येक खनिज के लिए अलग से प्रस्तुत किया जाए)

(मात्रा की इकाई टन में)

(भाग 2-क)

निर्माण ग्रेड सिलिका रेत, गैर-निर्माण ग्रेड कैल्केरियस रेत, कैल्केरियस मिट्टी या चूना मिट्टी, फॉस्फेटिक तलछट, पॉलीमेटेलिक नोड्यूल, सोना और चांदी के सिवाय सभी खनिजों के लिए
(बिंदु क1, क2 और क3 को भरा जाना है)

क 1. उत्पादित खनिज का नाम :

(निर्माण ग्रेड सिलिका रेत, गैर-निर्माण ग्रेड कैल्केरियस रेत, चूना मिट्टी, फॉस्फेट तलछट)

क 2. उत्पादन , प्रेषण और स्टॉक (टन) :

खनिज का औसत ग्रेड	खान मुख प्रारंभिक स्टॉक	उत्पादन	खान-मुख से प्रेषण	खान-मुख समापन स्टॉक

क 3. घरेलू प्रयोजनों और निर्यात बिक्री/ प्रेषण से प्रभावित:

खनिज का औसत ग्रेड	प्रेषण की प्रकृति	आईबीएम रजिस्ट्रीकरण संख्या ##	आईबीएम रजिस्ट्रीकरण के अनुसार प्राप्तकर्ता का नाम	प्रेषण का देश	मात्रा टन में	विक्रय कीमत रुपये में
क	ख	ग	घ	ड	च	छ
खनिज का औसत ग्रेड	घरेलू					
	स्वयं का उपभोग					
	निर्यात का प्रयोजन					
	कुल				स्वतः	

खनिज का औसत ग्रेड	प्रेषण की प्रकृति	ज . नियम 48 के उपनियम (6) के अनुसार पट्टा क्षेत्र से परे कटौती (रु./टन)						
		i) परिवहन की लागत	ii) लदान और अनलोडिंग शुल्क	iii) रेलवे भाड़ा, यदि लागू हो	iv) बंदरगाह हैंडलिंग प्रभार /निर्यात प्रभार	v) नमूनाकरण और विश्लेषण के लिए प्रभार	vi) भंडारण याई में प्लॉट का किराया	vii) अन्य प्रभार (स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करें)
क	ख	ज (i)	ज (ii)	ज (iii)	ज (iv)	ज (v)	ज (vi)	ज (vii)
खनिज का औसत ग्रेड	घरेलू							
	स्वयं द्वारा उपभोग							
	निर्यात प्रयोजन							
	कुल							

खनिज का औसत ग्रेड	प्रेषण की प्रकृति	पट्टा क्षेत्र से परे कुल कटौती H (i + ii + iii + iv + v + vi + vii)	कुल कटौती	शुद्ध विक्रय कीमत	संबंधित पक्ष बिक्री / आर्म्स लेंथ बिक्री नहीं (हां/नहीं)
ए	बी	एच	आई=एफ*एच	जे=जीआई	क
खनिज का	घरेलू	रुपये/टन	रु.	रु.	

औसत ग्रेड	स्वयं द्वारा उपभोग				
	निर्यात प्रयोजन				
	कुल			कुल योग	

यदि एक से अधिक क्रेता हों तो अलग से इंगित करना।

टिप्पण:- खान मालिकों को ऊपर उल्लिखित प्रत्येक ग्रेड के अयस्क के लिए घरेलू बिक्री कीमत / एफओबी कीमत को चालान की प्रति के साथ प्रमाणित करना आवश्यक है (रिटर्न के साथ प्रस्तुत नहीं किया जाना है; जब भी आवश्यक हो प्रस्तुत किया जाना है)।

क 4. उत्पादित अयस्क का खान द्वार कीमत (₹ प्रति इकाई)

प्रेषण की प्रकृति (डाटा सारणी क3 से)	कुल प्रेषण मात्रा (केवल गैर-संबंधित पक्षों की बिक्री) स्तंभ - च से (टन)	स्तंभ-ज से प्रेषणों का शुद्ध विक्रय किंमत (केवल गैर- संबंधित पक्षों की बिक्री) (₹.)	खान द्वार कीमत (रुपये/टन)
	क	ख	ग = ख / क
घरेलू/निर्यात बिक्री			

(भाग 2—ख)

पॉलीमेटेलिक नोड्यूलस, सोना और चांदी के लिए लागू
(बिंदु ख 1, ख 2, ख 3, ख 4, ख 5 और ख 6 को भरना है)

(प्रत्येक खनिज के लिए अलग से प्रस्तुत किया जाए)
(टन में मात्रा की इकाई)

ख 1. उत्पादित खनिज का नाम:

ख 2. आरओएम अयस्क का उत्पादन और स्टॉक:

खनिज का औसत ग्रेड	खान शीर्ष में प्रारंभिक स्टॉक	उत्पादन	खान शीर्ष से प्रेषण	खान शीर्ष में समापन स्टॉक

ख 3. कंसंट्रेटर/मिल/प्लांट में रिकवरी:

प्रारंभिक शेरों का अयस्क सांद्रक/संयंत्र पर		खान अयस्क प्राप्त से		अयस्क उपचारित	
मात्रा (टन)	धातु सामग्री/ श्रेणी	मात्रा (टन)	धातु सामग्री/ श्रेणी	मात्रा (टन)	धातु सामग्री/ श्रेणी

सांद्र * प्राप्त		अवशेष		सांद्रों का अंतिम स्टॉक सांद्रक/संयंत्र पर	
मात्रा (टन)	धातु सामग्री/ ग्रेड	मात्रा (टन)	धातु सामग्री/ ग्रेड	मात्रा (टन)	धातु सामग्री/ ग्रेड

*में मामला का कोई लीचिंग तरीका अपनाया, देना मात्रा बरामद और श्रेणी अलग से समाहित।

ख 4. रिकवरी पर स्मेल्टर/मिल/प्लांट:

प्रारंभिक शेरों का स्मेल्टर/प्लांट में सांद्र		सांद्रक/संयंत्र से प्राप्त सांद्र		से प्राप्त सांद्रता अन्य स्रोत (निर्दिष्ट करें)		बेचे गए सांद्र (यदि कोई हो)	
मात्रा (टन)	धातु सामग्री/ ग्रेड	मात्रा (टन)	धातु सामग्री/ ग्रेड	मात्रा (टन)	धातु सामग्री/ ग्रेड	मात्रा (टन)	धातु सामग्री/ ग्रेड

उपचारित सांद्र		सांद्रता के समापन स्टॉक स्मेल्टर/प्लांट		धातुएं (*) बरामद (निर्दिष्ट करें)			अन्य उप-उत्पाद, यदि कोई हो, बरामद		
मात्रा (टन)	धातु सामग्री/ ग्रेड	मात्रा (टन)	धातु सामग्री/ ग्रेड	मात्रा (टन)	श्रेणी	कीमत (₹)	मात्रा (टन)	श्रेणी	कीमत (₹)

(*) कृपया श्रेणीवार ब्यौरा दें जैसे बिलिस्टर, आग परिष्कृत तांबा, कैथोड, विद्युत अपघटनी तांबे के तार की छड़ें, सीसा सिल्लियां, जिक कैथोड, जिक ड्रॉस, सोना, टंगस्टन आदि।

ग्रेड/ सांद्र	प्रेषण की प्रकृति	पट्टा क्षेत्र से परे कुल कटौती H (i + ii + iii + iv + v + vi + vii) रुपये/टन	कुल कटौती रु.	शुद्ध बिक्री कीमत रु.	संबंधित पक्ष बिक्री / आर्म्स लेंथ बिक्री नहीं (हां/नहीं)
क	ख	ज	झ =च *ज	ञ =छ झ	क
ग्रेड/ सांद्र	घरेलू				
	स्वयं का उपभोग				
	निर्यात प्रयोजन				
	कुल योग			कुल	

यदि एक से अधिक क्रेता हों तो अलग से इंगित करना।

टिप्पण:- खान मालिकों को ऊपर उल्लिखित अयस्क/सांद्र के प्रत्येक ग्रेड के लिए घरेलू बिक्री कीमत /एफओबी कीमत को चालान की प्रति के साथ प्रमाणित करना आवश्यक है (विवरणों के साथ प्रस्तुत नहीं किया जाना है; जब भी आवश्यक हो प्रस्तुत किया जाना है)।

ख 7. उत्पादित अयस्क का खान द्वार कीमत (₹ प्रति इकाई)

प्रेषण की प्रकृति (डाटा सारणी - ख6 से)	कुल प्रेषण मात्रा (केवल गैर संबंधित पार्टि बिक्री) स्तंभ - च से (टन)	प्रेषण का शुद्ध विक्रय कीमत (केवल गैर संबंधित पार्टि बिक्री) स्तंभ - ज से (₹.)	खान के अतिरिक्त कीमत (रुपये/टन)
	क	ख	ग = ख/क
घरेलू/निर्यात बिक्री			

6. पिछले मास की तुलना में मास के दौरान उत्पादन में वृद्धि/कमी/शून्य उत्पादन (यदि कोई हो) के कारण बताएं।

(क)	
(ख)	
(ग)	

7. पिछले मास की तुलना में मास के दौरान ग्रेडवार खान द्वार कीमत में वृद्धि/कमी, यदि कोई हो, के कारण बताएं।

(क)	
(ख)	
(ग)	

8. टिप्पणी/टिप्पणी, यदि कोई हो:

मैं प्रमाणित करता हूँ कि ऊपर दी गई सूचना सभी प्रकार से सही एवं पूर्ण है।

स्थान :	हस्ताक्षर
तारीख:	नाम: पद का नाम: स्वामी/भूविज्ञानी/खनन इंजीनियर

प्ररूप-ज

[नियम 48(3)(ख) देखिए]

वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल, 20____ से 31 मार्च, 20____ के लिए

वार्षिक विवरणी

[सभी खनिजों के लिए उपयोग किया जाना है]

सेवा में

- (i) क्षेत्रीय नियंत्रक
भारतीय खान ब्यूरो
_____ क्षेत्र,
पिन:

(कृपया क्षेत्रीय नियंत्रक को संबोधित करें, जिसके क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में खान आती है, जैसा कि अपतट क्षेत्र खनिज संरक्षण और विकास नियम, 2024 के नियम 66 के अधीन महानियंत्रक द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जाता है)।

- (ii) प्रशासनिक प्राधिकारी और
(iii) भारतीय खान ब्यूरो के प्राधिकृत अधिकारी

भाग-1 (साधारण)

1. खान का विवरण	
(क) भारतीय खान ब्यूरो द्वारा आवंटित रजिस्ट्रीकरण संख्या (पट्टेदार/स्वामी की रजिस्ट्रीकरण संख्या)	
(ख) खान कोड (भारतीय खान ब्यूरो द्वारा आवंटित)	
(ग) खनिज का नाम	
(घ) खान का नाम	
(ङ) उसी खान से उत्पादित अन्य खनिजों का नाम, यदि कोई हो	
(च) अनुदान का तरीका (नीलामी/आरक्षण):	
(छ) नीलामी प्रीमियम (%)	
2. खान का स्थान	
(क) एनएचओ चाटे नं.	
(ख) क्षेत्रफल वर्ग किमी में.	
(ग) खनिज ब्लॉक में शामिल मानक ब्लॉकों की संख्या	
(घ) ब्लॉक के सीमा निर्देशांक (दशमलव डिग्री में)	
(ङ) तट/ समुद्र	
(च) अपतट क्षेत्र	
(छ) निकटतम तटीय स्थान	
(ज) पानी की गहराई (मीटर में)	

(झ) निकटतम बंदरगाह/पत्तन	
3. पट्टेदार/स्वामी का नाम और पता (फैक्स संख्या और ई-मेल सहित):	
(क) पट्टेदार/स्वामी का नाम	
(ख) पता	
(ग) जिला	
(घ) राज्य	
(ई) पिन कोड	
(च) फैक्स:	
(छ) ई-मेल:	
(ज) फ़ोन:	
(झ) मोबाइल:	
4. पट्टेदार का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय:	
5. प्रभारी निदेशक:	
6. अभिकर्ता:	
7. प्रबंधक:	
8. प्रभारी खनन इंजीनियर:	
9. प्रभारी भूविज्ञानी:	
10. अंतरणकर्ता (पिछला स्वामी), यदि कोई हो, और अंतरण की तारीख	
11. पट्टा क्षेत्र का विवरण	
(क) भारतीय खान ब्यूरो द्वारा आवंटित पट्टा संख्या.....	
(ख) पट्टे के अधीन क्षेत्र (अक्षांश और देशांतर और मानक ब्लॉकों की संख्या अंकों में):	
(i) प्रतिबद्ध/संरक्षित क्षेत्र	
(ii) गैर प्रतिबद्ध /संरक्षित क्षेत्र	
(iii) कुल	
(ग) उत्पादन पट्टा विलेख के निष्पादन की तारीख	
(घ) निष्पादित उत्पादन पट्टा विलेख के रजिस्ट्रीकरण की तारीख	
(ड) पट्टे की समाप्ति की तारीख	
12. वर्ष के अंत में पट्टा क्षेत्र का उपयोग (अक्षांश और देशांतर और मानक ब्लॉकों की संख्या अंकों में):	
(क) पहले से ही दोहन किया गया और परित्यक्त	

(ख) वर्तमान कामकाज के अधीन संरक्षित किया गया	
(ग) पुनर्वासित	
(घ) अपशिष्ट निपटान के लिए उपयोग किया गया	
(ङ) किसी जलयान, प्लेटफार्म, प्रतिष्ठान या किसी अन्य बुनियादी अवसंरचना द्वारा कब्जा कर लिया गया	
(च) किसी अन्य प्रयोजन के लिए उपयोग किया जाता है (विनिर्दिष्ट करें)	
(छ) वर्ष के दौरान खान बंद करने की प्रगतिशील योजना के अधीन किया गया कार्य	
13. खान का स्वामित्व: (सार्वजनिक क्षेत्र/निजी क्षेत्र/संयुक्त क्षेत्र)	

भाग-2 (नियोजन और मजदूरी)

1. खान में नियोजित पर्यवेक्षी कर्मचारियों की संख्या		
विवरण		
(i) खनन इंजीनियर		
(ii) भूविज्ञानी		
(iii) सर्वेक्षक		
(iv) अन्य प्रशासनिक और तकनीकी पर्यवेक्षी कर्मचारी		
	कुल:	
2. (क) खान में काम करने वाले दिनों की संख्या:		
(ख) प्रति दिन पारी की संख्या:		
(ग) वर्ष के दौरान खान में काम रुकने के कारण बताएं (हड़ताल, तालाबंदी, भारी बारिश, चक्रवात, प्राकृतिक आपदा, श्रम की अनुपलब्धता, परिवहन बाधा, मांग की कमी, अलाभकारी संचालन आदि के कारण) और प्रत्येक कारक के लिए काम रुकने के दिनों की संख्या अलग-अलग दर्शाएं।	कारण	दिनों की संख्या

3. नियोजन और संदत्त वेतन/मजदूरी #:

वर्गीकरण (पट्टा क्षेत्र पर) की कुल संख्या	वर्ष के दौरान काम किए गए मानव दिवसों की कुल संख्या			वर्ष के दौरान काम किए गए दिनों की संख्या	नियोजित व्यक्तियों की औसत दैनिक संख्या			वर्ष के लिए कुल मजदूरी / वेतन (₹)
	प्रत्यक्ष	संविदा आधार पर	कुल		पुरुष	महिला	कुल	
(1)	2(क)	2(ख)	2(ग)	(3)	4(क)	4(ख)	4(ग)	(5)
उत्पादन संक्रियाओं में लगे हुए हैं								
सहायक कार्य में लगे हुए हैं								
कुल	स्वः	स्वः	स्वः		स्वः	स्वः	स्वः	स्वः

खान और संलग्न कार्यशाला या अपतट खान स्थल पर खनिज प्रसंस्करण संयंत्र के सभी कर्मचारियों को शामिल करना।

भाग-3 (सामग्री की खपत)

1. वर्ष के दौरान उपभोग की गई सामग्री की मात्रा और लागत			
विवरण	इकाई	मात्रा	कीमत (₹)
(i) ईंधन			
(क) कोयला	टन		
(ख) डीजल तेल	लीटर .		
(ग) पेट्रोल	लीटर.		
(घ) गैस	क्यूबिक मीटर		
(ii) बिजली			
(क) उपभोग की गई	कि. वा. / घ.		
(ख) सृजित	कि. वा. / घ.		
(iii) पुर्जे और भंडार			
2. रॉयल्टी, नीलामी प्रीमियम, किराया, अपतट क्षेत्र खनिज न्यास के प्रति योगदान और अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण के प्रति योगदान (₹):			

X	वर्तमान वर्ष के लिए किया गया संदाय	पिछले वर्ष का बकाया संदाय
(क) रॉयल्टी		
(ख) नीलामी प्रीमियम		
(ह) निश्चित किराया		
(घ) किराया		
(ड) अपतट क्षेत्र खनिज न्यास को किया गया संदाय		
(च) अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण को किया गया संदाय		
(छ) कोई अन्य संदाय (₹) (जैसा विनिर्दिष्ट है)		
3. अन्य व्यय (₹):		
(i) उपरिव्यय		
(ii) रखरखाव		
(iii) कार्मिकों को संदत्त अन्य लाभों का मौद्रिक मूल्य		
(iv) वृत्तिक अभिकरणों को किया गया संदाय		

भाग-4 (साधारण भूविज्ञान)

(मद 2 और 3 प्रत्येक खनिज के लिए अलग-अलग प्रस्तुत किए जाने हैं)

1. खोज संबंधी

1(i). वर्ष के दौरान खोज संबंधी क्रियाकलाप :

		वर्ष की शुरुआत पर	वर्ष के दौरान	संचयी	ग्रिड रिक्ति/आयाम
खोज संबंधी	ग्रेब सैंपलिंग (सं.)				
	कोर सैंपलिंग (सं.)				
	बाथमेट्री (लाइन किमी)				
	सब-बॉटम प्रोफाइलिंग (लाइन किमी)				
	मल्टीबीम बाथमेट्री				

	(क्षेत्रफल वर्ग किमी में)				
	भूकंपीय सर्वेक्षण (लाइन किमी)				
	पर्यावरण समाघात निर्धारण (प्राचल)				
	कोई अन्य (दूरस्थ रूप से संचालित वाहन, पानी के नीचे का वीडियो आदि)				
वेधन	बोरहोल की संख्या				
	मीटरेज				
खोज संबंधी पर व्यय (₹)					X

1(ii). वर्ष के दौरान कोई अन्य खोज संबंधी संक्रिया

2. अनुमानित भंडार और संसाधन (टन में):

विवरण	कोड	नवीनतम अनुमोदित उत्पादन योजना, के अनुसार वर्ष के आरंभ 1.4.20___ से	वर्ष के दौरान मूल्यांकन	वर्ष के दौरान भंडार की कमी	शेष संसाधन 31.3.20....तक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3+4-5)
क. खनिज भण्डार					
1. सिद्ध खनिज भण्डार	111				
2. संभावित खनिज भंडार	121				
	122				
3. कुल आरक्षण					
ख. शेष संसाधन					
1. खनिज संसाधन व्यवहार्यता	211				
	221				

2. खनिज संसाधन की पूर्वसंभाव्यता	222				
	331				
3. मापे गए खनिज संसाधन	332				
4. उपदर्शित खनिज संसाधन	333				
5. अनुमानित खनिज संसाधन	334				
6. आवीक्षण खनिज संसाधन					
कुल (क + ख)					

3. ड्रेजिंग जलयान का प्रकार:

1. तैनात ड्रेजिंग जलयान की संख्या		
विवरण	कुल दिनों की संख्या	निष्कर्षित मात्रा (टन)
जलयान I (नाम, देश, कॉल चिन्ह)		
(i) ड्रेजर का प्रकार		
(ii) डिज़ाइन की गई क्षमता/दिन		
(iii) वास्तविक उत्पादन/दिन		
जलयान II (नाम, देश, कॉल चिह्न)		
(i) ड्रेजर का प्रकार		
(ii) डिज़ाइन की गई क्षमता/दिन		
(iii) वास्तविक उत्पादन/दिन		
जलयान III (नाम, देश, कॉल चिह्न)		
(i) ड्रेजर का प्रकार		
(ii) डिज़ाइन की गई क्षमता/दिन		
(iii) वास्तविक उत्पादन/दिन		
कुल :		

4 (i) खनिज प्रसंस्करण संयंत्र का विवरण, यदि कोई हो: तैनात किए गए उपकरणों की प्रक्रिया क्षमता और उसकी उपलब्धता का संक्षिप्त विवरण दें। (संयंत्र की फ्लो शीट और सामग्री संतुलन अलग से जमा करें)

मद		टन	औसत ग्रेड
फीड :			
सांद्र /प्रसंस्कृत उत्पाद :	(नाम बताएं)		
उप-उत्पाद/सह-उत्पाद:	(नाम बताएं)		
टेलिंग :			

भाग-5 (उत्पादन, प्रेषण और स्टॉक)

(प्रत्येक खनिज के लिए अलग से प्रस्तुत किया जाना है)

(मात्रा की इकाई टन में)

(भाग 5-क)

सभी खनिजों के लिए लागू, जैसे कि निर्माण ग्रेड सिलिका रेत, गैर-निर्माण ग्रेड कैलकेरियस रेत, कैलकेरियसपंक या चूना पंक , फॉस्फेटिक तलछट, पॉलीमेटेलिक नोड्यूल, सोना और चांदी के सिवाय

(बिंदु क1, क2 और क3 भरना होगा)

क1. उत्पादित खनिज का नाम:

(खनिज- निर्माण ग्रेड सिलिका रेत, गैर-निर्माण ग्रेड कैलकेरियस रेत, चूनामिट्टी, फॉस्फेटिक तलछट)

क2. उत्पादन, प्रेषण और स्टॉक: [टन में]

खनिज का औसत ग्रेड	खान -प्रमुख पर प्रारंभिक स्टॉक	उत्पादन	खान शीर्ष से प्रेषण	खान शीर्ष पर अंतिम स्टॉक

क3. घरेलू प्रयोजनों और निर्यातों के लिए की गई बिक्री/प्रेषण:

खनिज का औसत ग्रेड	प्रेषण की प्रकृति	आईबीएम रजिस्ट्रीकरण संख्या ##	आईबीएम रजिस्ट्रीकरण के अनुसार परेषिती का नाम	प्रेषण का देश	मात्रा टन में	बिक्री कीमत रूपये में
क	ख	ग	घ	ड	च	छ
खनिज का औसत ग्रेड	धरेलू					
	स्व उपभोग					
	निर्यात का प्रयोजन					
	कुल				सकल योग	

खनिज का औसत ग्रेड	प्रेषण की प्रकृति	ज. नियम 48 के उप-नियम (6) के अनुसार पट्टा क्षेत्र से परे कटौती (रु./टन)						
		i) परिवहन की लागत	ii) भराई और उतराई प्रभार	iii) रेलवे भाड़ा, यदि लागू हो	iv) पोर्ट हैंडलिंग प्रभार /निर्यात प्रभार	v) नमूनाकरण और विश्लेषण के लिए प्रभार	vi) स्टॉकिंग यार्ड में प्लॉट का किराया	vii) अन्य प्रभार (स्पष्ट रूप से विनिर्दिष्ट करें)
क	ख	ज (i)	ज (ii)	ज (iii)	ज (iv)	ज (v)	ज (vi)	ज (vii)
खनिज का औसत ग्रेड	धरेलू							
	स्व उपभोग							
	निर्यात का प्रयोजन							
	कुल							

खनिज का औसत ग्रेड	प्रेषण की प्रकृति	पट्टा क्षेत्र से परे कुल कटौती ज (i + ii + iii + iv + v + vi + vii) रु /टन में	कुल कटौती रु	शुद्ध बिक्री कीमत रु	संबंधित पक्ष की बिक्री/आर्म्स लेंथ बिक्री पर नहीं (हां/नहीं)
क	ख	ज	झ = च * ज	ज=छ -झ	ट
खनिज का औसत ग्रेड	धरेलू				
	स्व उपभोग				
	निर्यात का प्रयोजन				
	कुल			कुल योग	

एक से अधिक क्रेता होने पर अलग से इंगित करें।

टिप्पण:- खान मालिकों को ऊपर उक्तथित अयस्क के प्रत्येक ग्रेड के लिए धरेलू बिक्री कीमत / एफओबी कीमत को चालान की प्रति के साथ प्रमाणित करना अपेक्षित है (विवरणी के साथ जमा नहीं किया जाना चाहिए; जब भी आवश्यक हो प्रस्तुत किया जाना चाहिए)।

क4. उत्पादित अयस्क की खान मुख पर कीमत (प्रति यूनिट रुपये)

प्रेषण की प्रकृति (तालिका क 3 से डाटा)	कुल प्रेषण मात्रा (केवल गैर-संबंधित पार्टियों की बिक्री) स्तंभ - च से (टन में)	स्तंभ - ज से प्रेषण का शुद्ध बिक्री कीमत (केवल गैर-संबंधित पार्टियों की बिक्री)। (रु)	खान द्वार कीमत

				(रु/टन में)
	क		ख	ग = ख /क
घरेलू/निर्यात बिक्री				

(भाग 5—ख)

पॉलीमेटेलिक नोड्यूलस, सोना और चांदी के लिए लागू
(बिंदु ख1, ख2, ख3, ख4, ख5 और ख6 को भरना है)

(प्रत्येक खनिज हेतु अलग से भरा जाए)
(मात्रा की इकाई टन में)

ख1. उत्पादित खनिज का नाम:

ख2. आरओएम अयस्क का उत्पादन और भंडार

खनिज अयस्क का औसत ग्रेड	खान-मुख पर शुरुआती भंडार (टन में)	उत्पादन (टन में)	खान-मुख से प्रेषण (टन में)	खान-मुख पर समापन भंडार (टन में)

ख3. सांद्रक/मिल/संयंत्र से पुनःप्राप्ति:

सांद्रक/संयंत्र पर अयस्क का प्रारंभिक भंडार		खान से प्राप्त अयस्क		उपचारित अयस्क	
मात्रा (टन में)	धातु सामग्री/श्रेणी	मात्रा (टन में)	धातु सामग्री/श्रेणी	मात्रा (टन में)	धातु सामग्री/श्रेणी
प्राप्त सांद्र *		अवशेष		सांद्रक/संयंत्र पर सांद्रकों का अंतिम भंडार	
मात्रा (टन में)	धातु सामग्री/ ग्रेड	मात्रा (टन में)	धातु सामग्री/ ग्रेड	मात्रा (टन में)	धातु सामग्री/ ग्रेड

*यदि लीचिंग विधि अपनाई गई है तो पुनःप्राप्ति की मात्रा एवं सामग्री श्रेणी अलग से अभिव्यक्त करें।

ख4. सांद्रक/मिल/संयंत्र पर पुनःप्राप्ति:

सांद्रक/संयंत्र पर सांद्र का प्रारंभिक भंडार		सांद्रक/संयंत्र से प्राप्त सांद्र		अन्य स्रोतों से प्राप्त सांद्र (विनिर्दिष्ट करें)		बेचे गए सांद्र (यदि कोई हो तो)			
मात्रा (टन में)	धातु सामग्री/श्रेणी	मात्रा (टन में)	धातु सामग्री/श्रेणी	मात्रा (टन में)	धातु सामग्री/श्रेणी	मात्रा (टन में)	धातु सामग्री/श्रेणी		
उपचारित सान्द्र		सांद्रता के समापन भंडार सांद्रक/संयंत्र		धातुएं (*) बरामद (निर्दिष्ट करें)			बरामद अन्य उपोत्पाद, यदि कोई हो		
मात्रा (टन में)	धातु सामग्री/श्रेणी	मात्रा (टन में)	धातु सामग्री/श्रेणी	मात्रा (टन में)	श्रेणी	कीमत (₹)	मात्रा (टन में)	श्रेणी	कीमत (₹)

(*) कृपया श्रेणीवार ब्योरा दें जैसे ब्लिस्टर, अग्नि परिष्कृत तांबा, कैथोड, विद्युत अपघटनी तांबे के तार की छड़ें, सीसा की सिल्लियाँ, जिंक कैथोड, जिंक ड्रॉस, सोना, टंगस्टन आदि।

ख5. वर्ष के दौरान बिक्री:

धातु/ उत्पाद	धातुओं/उत्पादों का प्रारंभिक भंडार		बिक्री का स्थान	बिक्री की गई धातुएं/उत्पाद (@)			धातुओं/उत्पादों का अंतिम भंडार	
	मात्रा	श्रेणी		मात्रा	श्रेणी	कीमत (#) (₹)	मात्रा	श्रेणी

टिप्पण:

(#) कृपया संयंत्र-बाहर विक्रय कीमत दें।

(@) कृपया बिक्री की हुई धातुओं तथा अन्य उत्पादों का श्रेणीवार विवरण दें।

ख6. घरेलू प्रयोजनों और निर्यात के लिए प्रभावी बिक्री/प्रेषण:

श्रेणी/ सांद्र	प्रेषण की प्रकृति	आईबीएम रजिस्ट्रीकरण संख्या ##	आईबीएम रजिस्ट्रीकरण के अनुसार प्राप्तकर्ता का नाम	प्रेषण का देश	मात्रा टन में	बिक्री कीमत रुपये में
क	ख	ग	घ	ङ	च	छ
औसत श्रेणी/ सांद्रता	घरेलू					
	स्वपभोग					

	निर्यात प्रयोजन					
कुल					सकल योग	

श्रेणी/ सांद्र	प्रेषण की प्रकृति	ज. नियम 48 के उपनियम (6) के अनुसार पट्टा क्षेत्र से परे कटौती (रु./टन)						
		i) परिवहन की लागत	ii) माल भराई एवं उतराई प्रभार	iii) रेलवे भाड़ा, यदि लागू हो	iv) बंदरगाह हैंडलिंग शुल्क/निर्यात प्रभार	v) नमूनाकरण और विश्लेषण के लिए प्रभार	vi) स्टॉकिंग यार्ड में प्लॉट का किराया	vii) अन्य प्रभार (स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करें)
क	ख	ज(i)	ज(ii)	ज(iii)	ज(iv)	ज(v)	ज(vi)	ज(vii)
औसत श्रेणी/ सांद्रता	घरेलू							
	स्वपभोग							
	निर्यात प्रयोजन							
कुल								

श्रेणी/ सांद्र	प्रेषण की प्रकृति	पट्टा क्षेत्र से परे कुल कटौती ज (i + ii + iii + iv + v + vi + vii)	कुल कटौती	शुद्ध बिक्री कीमत	संबंधित पक्ष बिक्री / आर्म्स लेंथ बिक्री नहीं (हां/नहीं)
क	ख	ज	झ=च*ज	ज=छ-झ	ट
औसत श्रेणी/ सांद्रता	घरेलू				
	स्वपभोग				
	निर्यात प्रयोजन				
	कुल योग			सकल योग	

यदि एक से अधिक क्रेता हों तो अलग से इंगित करें।

टिप्पण:- खान मालिकों को ऊपर उल्लिखित अयस्क/सांद्र की प्रत्येक श्रेणी के लिए घरेलू बिक्री कीमत /एफओबी कीमत को चालान की प्रति के साथ प्रमाणित करना अपेक्षित है (विवरणी के साथ प्रस्तुत नहीं किया जाना है; जब भी आवश्यक हो प्रस्तुत किया जाना है)।

ख7. उत्पादित अयस्क का खान द्वार कीमत (रुपये प्रति इकाई)

प्रेषण की प्रकृति (डाटा सारणी-ख6 से)	कुल प्रेषण मात्रा (केवल गैर संबंधित पार्टी बिक्री) स्तंभ - च से (टन)	प्रेषण का शुद्ध विक्रय कीमत (केवल गैर संबंधित पार्टी बिक्री) स्तंभ - ज से (रु.)	खान द्वार कीमत (रुपये/टन)
	क	ख	ग = ख/क
घरेलू/निर्यात बिक्री			

7. पिछले वर्ष की तुलना में वर्तमान वर्ष के दौरान उत्पादन में वृद्धि/कमी/शून्य उत्पादन, यदि कोई हो तो, के कारण बताएं।

(क)	
(ख)	
(ग)	

8. पिछले वर्ष की तुलना में वर्तमान वर्ष के दौरान श्रेणीवार खान द्वार कीमत में वृद्धि/कमी, यदि कोई हो तो, के कारण बताएं।

(क)	
(ख)	
(ग)	

8. अभ्युक्ति/टिप्पणी, यदि कोई हो तो:

भाग-6: उत्पादन लागत**उत्पादित अयस्क/खनिज की प्रति टन उत्पादन लागत**

क्र.सं.	मद	लागत प्रति टन (रुपये में)
(i)	प्रत्यक्ष लागत	
	(क) खोज संबंधी	
	(ख) उत्पादन	
	(ग) सज्जीकरण	
(ii)	उपरिव्यय	
(iii)	मूल्यहास	
(iv)	ब्याज	
(v)	रायल्टी	
(vi)	अपतट क्षेत्र खनिज न्यास को किया गया संदाय	
(vii)	अंतरराष्ट्रीय समुद्रतल प्राधिकरण को किया गया संदाय (यदि लागू)	

क्र.सं.	मद	लागत प्रति टन (रुपये में)
	हो)	
(viii)	कर	
(ix)	निश्चित किराया	
(x)	अन्य (निर्दिष्ट करें)	
	कुल	

टिप्पण: भाग VI के अधीन दी गई सूचना गोपनीय रखी जाएगी। हालाँकि, सरकार फर्म की पहचान बताए बिना सामान्य अध्ययन के लिए सूचना का उपयोग करने के लिए स्वतंत्र होगी।

सत्यापन

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि उपरोक्त सूचना सभी प्रकार से सही एवं पूर्ण है।

स्थान: तारीख:	हस्ताक्षर पूरा नाम: पदनाम: स्वामी/भूविज्ञानी/खनन इंजीनियर
------------------	---

प्ररूप-झ

(नियम 49 देखें)

(कतिपय नियुक्ति-इस्तीफा-समाप्ति-पता परिवर्तन की सूचना)

प्ररूप भरने हेतु महत्वपूर्ण अनुदेश

- यह प्ररूप सम्यक रूप से भरकर, नई नियुक्ति या नियोजन से समाप्ति या नौकरी छोड़ने, अभिकर्ता, खनन इंजीनियर, भूविज्ञानी या प्रबंधक या किसी अन्य व्यक्ति के पते में परिवर्तन के पंद्रह दिनों के भीतर ऑनलाइन या ईमेल के माध्यम से संबंधित प्राधिकारियों के पास पहुंच जाना चाहिए।
- इसे क्षेत्रीय नियंत्रक को भी भेजा जाना चाहिए जिसके राज्यक्षेत्र अधिकारिता में संक्रिया संबंधी अधिकार आता है, जैसा कि अपतट क्षेत्र खनिज संरक्षण और विकास नियम, 2024 के नियम 66 के अधीन महानियंत्रक द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जाता है।
- प्ररूप संबंधित व्यक्ति द्वारा डिजिटल रूप में हस्ताक्षरित होना चाहिए।

1.	आईबीएम रजिस्ट्रीकरण संख्या	
2.	संक्रिया संबंधी अधिकार का प्रकार	जाँचें कि कौन सा लागू है
	(क) संयुक्त अनुज्ञप्ति	
	(ख) उत्पादन पट्टा	
	(ग) खोज संबंधी संक्रिया	
3.	यूनीक आईबीएम संक्रिया अधिकार संख्या	

	(क) संयुक्त अनुज्ञप्ति	
	(ख) उत्पादन पट्टा कोड	
	(ग) खोज संबंधी संक्रिया/आवीक्षण संक्रिया संख्या (केवल धारा 5 की उपधारा (1) के उपबंध के अधीन प्राधिकृत अभिकरणों पर लागू)	
4.	खान कोड	
5.	खान का नाम	
6.	संक्रिया अधिकार धारक का नाम और पता	(सूचना सिस्टम द्वारा तैयार की जाएगी। प्ररूप 'च' की प्रविष्टि 4 के साथ लिंक की जाएगी)
7.	संक्रिया अधिकार का विवरण	(सूचना सिस्टम द्वारा तैयार की जाएगी। प्ररूप 'च' की प्रविष्टि 5/6 के साथ लिंक की जाएगी)
8.	पट्टा/अनुज्ञप्ति क्षेत्र का स्थान	(सूचना सिस्टम द्वारा तैयार की जाएगी। प्ररूप 'च' की प्रविष्टि 5/6 के साथ लिंक की जाएगी)
9.	कृपया बताएं कि क्या निम्नलिखित के संबंध में सूचना दी गई है?	
	(क) नई नियुक्ति	
	(ख) नौकरी से इस्तीफा/समाप्ति	
	(ग) पते में परिवर्तन	
10.	अभिकर्ता/खनन इंजीनियर/भूविज्ञानी/प्रबंधक की नियुक्ति की दशा में, कृपया दर्शाएं	

नाम	पदनाम	पता	अर्हता	किस विश्वविद्यालय/संस्थान से उत्तीर्ण	ई-मेल	मोबाइल नं.	नियुक्ति की तारीख

11.	अभिकर्ता/खनन इंजीनियर/भूविज्ञानी/प्रबंधक के त्यागपत्र/नियोजन की समाप्ति के मामले में, कृपया दर्शाएं
-----	---

नाम	पदनाम	त्यागपत्र/रोज़गार समाप्ति की तारीख

[यदि इस संबंध में हुई रिक्ति को भर दिया गया है तो स्तंभ 9(क) में दिया गया विवरण यहाँ भरें]

12.	अनुज्ञप्तिधारी/पट्टेदार/अभिकर्ता/खनन इंजीनियर/भूविज्ञानी/प्रबंधक के पते में परिवर्तन होने की स्थिति में, कृपया दर्शाएं
-----	--

नाम	पदनाम	वर्तमान पता	पते में परिवर्तन की तारीख

किसी भी नियुक्ति के मामले में, नियुक्त व्यक्ति की स्वीकृति निम्नलिखित के आधार पर प्रदान की जाएगी:

में प्रमाणित करता/करती हूँ कि ऊपर दी गई सूचना सभी प्रकार से सही एवं पूर्ण है।

स्थान:	हस्ताक्षर
तारीख:	पूरा नाम: पदनाम: स्वामी/भूविज्ञानी/खनन इंजीनियर

अनुसूची-2

[नियम 48(5) देखिए]

नियम 48 के उल्लंघन की दशा में संदाय की जाने वाली रकम

मद (1)	मात्रा (रु. में) (2)	स्पष्टीकरण (3)
मासिक विवरणी प्ररूप-छ में; नियत तारीख तक सूचना प्रस्तुत न करना या अधूरी/ गलत/ झूठी सूचना देना	नियम में विनिर्दिष्ट विवरणी नियत तारीख के बाद जमा करने पर 10,000/- रु. प्रतिदिन, उल्लंघन के संबंध में उपांतरण किए जाने तक	भारतीय सूचना ब्यूरो द्वारा संदर्भित विवरणी की दशा में खानों के लिए आवश्यक सुधारों को शामिल करते हुए, पट्टाधारक द्वारा किया जाना है, और यदि आवंटित समय सीमा के भीतर सुधार किया जाता है और उसके बाद भारतीय खान ब्यूरो द्वारा स्वीकार किया जाता है, तो उपांतरण की इस अवधि के लिए कोई रकम देय नहीं होगी। ऐसे मामलों में उपांतरण न करने पर विनिर्दिष्ट संदाय करना होगा।
वार्षिक विवरणी प्ररूप-ज में; नियत तारीख तक सूचना प्रस्तुत न करना या अधूरी/ गलत/ झूठी सूचना देना	नियम में विनिर्दिष्ट विवरणी नियत तारीख के बाद जमा करने पर 10,000/- रु. प्रतिदिन, उल्लंघन के संबंध में उपांतरण किए जाने तक	

अनुसूची-3
[नियम 60(2) देखिए]

नियम जिनके उल्लंघन पर जुर्माना लगाया जाएगा

नियम सं.	नियम का सीमांत शीर्षक	जुर्माने की रकम (रु. में)
(1)	(2)	(3)
नियम 18 का उपनियम (2)	उत्पादन योजना में उपांतरण और पुनर्विलोकन	2,000/- प्रति दिन, अधिकतम 5,00,000/- तक
21	खोज संबंधी संक्रियाएं और उत्पादन संक्रियाएं	5,00,000/-
22	मशीनरी और संयंत्र	5,00,000/-
23	खान में उत्पादन संक्रियाओं के प्रारंभ की सूचना	5,00,000/-
28	खानों में कार्य के अस्थायी रूप से बंद होने की सूचना तथा पट्टाधारकों के दायित्व	5,00,000/-
29	खान को पुनः खोलने की सूचना	5,00,000/-
49	कतिपय नियुक्तियों की सूचना	2,000/- प्रति दिन, अधिकतम 1,00,000/- तक
53	भूवैज्ञानिकों और खनन इंजीनियरों का नियोजन	5,00,000/-

[फा. सं. एम. VI-1/9/2024-खान-VI]

दिनेश माहुर, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF MINES**NOTIFICATION**

New Delhi, the 31st December, 2024

G.S.R. 791(E) .—In exercise of the powers conferred by section 35 of the Offshore Areas Mineral (Development and Regulation) Act, 2002 (17 of 2003), the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

CHAPTER I**PRELIMINARY**

- 1. Short title and commencement.**— (1) These rules may be called the Offshore Areas Mineral Conservation and Development Rules, 2024.
 - (1) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Applicability.**— In accordance with sub-section (1) of section 3, these rules shall apply to all minerals in the offshore areas, except mineral oils and hydrocarbons related thereto.
- 3. Definitions.**— (1) In these rules, unless the context otherwise requires,—
 - (a) “abandonment of mine” means the final closure of a mine, either whole or part thereof, when the mineral deposits within the mine or part thereof have been fully extracted or when the production operations thereon have become uneconomic;
 - (b) “Act” means the Offshore Areas Mineral (Development and Regulation) Act, 2002 (17 of 2003);
 - (c) “authorised officer” means—
 - (i) an officer of the Indian Bureau of Mines duly authorised in writing by the Controller General, Indian Bureau of Mines; or
 - (ii) an officer authorised in this behalf by the administering authority to perform the functions under these rules; or
 - (iii) an officer of the Atomic Minerals Directorate for Exploration and Research authorised in writing by the Director, Atomic Minerals Directorate for Exploration and Research, to perform the functions under these rules in respect of minerals having grade equal to or greater than the threshold value in respect of atomic minerals;
 - (d) “beneficiation” means processing of minerals or ores for the purpose of upgrading the quality, purity or assay grade of the desired product by removing unwanted constituents;
 - (e) “Chief Controller of Mines” means the Chief Controller of Mines of the Indian Bureau of Mines;
 - (f) “competent authority” means the competent authority referred to in rule 5 in the case of exploration plan and in rule 14 in the case of production plan;
 - (g) “Controller General” means the Controller General of the Indian Bureau of Mines;
 - (h) “Controller of Mines” means the Controller of Mines of the Indian Bureau of Mines;
 - (i) “cores” means the samples of sub-surface rocks or mineral bearing sediment obtained during drilling of boreholes or sub-surface coring;
 - (j) “development” means removal of overburden or unproductive or waste materials as

preparatory to production of minerals or mineral bearing sediment;

- (k) “environment” and “environmental pollution” shall have the same meanings as assigned respectively to them in clauses (a) and (c) of section 2 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986);
 - (l) “final mine closure” means steps and measures taken for enabling the natural rehabilitation of the seabed affected due to production operations in a mine or part thereof, commencing from cessation of production operations or processing operations in a mine or part thereof;
 - (m) “final mine closure plan” means a plan for the purpose of decommissioning and for enabling the natural rehabilitation of the seabed affected due to production operations in a mine or part thereof, after cessation of production operations and mineral processing operations, that has been prepared in the manner specified in the standard format and guidelines issued by the Indian Bureau of Mines or the Director, Atomic Minerals Directorate for Exploration and Research for minerals having grade equal to or greater than the threshold value in respect of atomic minerals;
 - (n) “Form” means a Form annexed in the Schedule;
 - (o) “geologist” means a person appointed by the holder of an operating right to perform the duties of a geologist under these rules;
 - (p) “mining engineer” means a person appointed by the holder of an operating right to perform the duties of a mining engineer under these rules;
 - (q) “mineral rejects” include all the excavated materials that do not constitute useful material, which may be rejected either on the basis of grade or size;
 - (r) “production plan” means the plan referred to in rule 15;
 - (s) “progressive mine closure plan” means a progressive plan for the purpose of providing protective measures and enabling the natural rehabilitation of the seabed affected due to production operations in a mine or part thereof that has been prepared in the manner specified in the standard format and guidelines issued by Indian Bureau of Mines or the Director, Atomic Minerals Directorate for Exploration and Research for minerals having grade equal to or greater than the threshold value in respect of atomic minerals;
 - (t) “Regional Controller” means the Regional Controller of Mines of the Indian Bureau of Mines;
 - (u) “Schedule” means the Schedule annexed to these rules;
 - (v) “section” means a section of the Act;
 - (w) “temporary discontinuance” means the planned or unplanned suspension of production operations in a mine or part thereof and where the operations are likely to be resumed not earlier than one hundred and twenty days; and
 - (x) “year” means the twelve months period beginning from the first day of April and ending on the thirty-first day of March of the following year.
- (2) Words and expressions used but not defined herein shall have the same meaning as assigned to them in the Act or the rules made thereunder.

4. Powers and functions of Atomic Minerals Directorate for Exploration and Research.—Throughout these rules, wherever any power, function or responsibility of the Indian Bureau of Mines or its officers is specified or any information is to be submitted to the Indian Bureau of Mines or its officers, the same shall be deemed as power, function or responsibility of the Atomic Minerals Directorate for Exploration and Research or its officers or requirement of submission of information to the said Directorate or its officers for minerals having grade equal to or greater than the threshold value in respect of atomic minerals, in the following manner, namely:—

- (a) any reference to the Indian Bureau of Mines, to be deemed as reference to the Atomic

Minerals Directorate for Exploration and Research;

- (b) any reference to the Controller General or the Chief Controller of Mines or the Controller of Mines or the Regional Controller or the authorised officer of the Indian Bureau of Mines, to be deemed as reference to the Director or as the case may be, the authorised officer of Atomic Minerals Directorate for Exploration and Research.

CHAPTER II

RECONNAISSANCE AND EXPLORATION OPERATIONS

5. **Competent authority in respect of exploration plan.**— The Controller General or an officer of the Indian Bureau of Mines, authorised in writing by the Controller General shall be the competent authority to take decisions with respect to approval and modification of an exploration plan.
6. **Exploration plan.**— (1) A preferred bidder or the Government, or a Government company, or a corporation, as the case may be, selected for grant of composite licence, shall submit to the Controller General and, Regional Controller or the authorised officer of the Indian Bureau of Mines, as the case may be, an exploration plan, within a period of ninety days from the date of letter of intent or notification under section 8, as the case may be, indicating the manner in which he proposes to carry out the exploration operations in the area covered under the composite licence.
- (1) No exploration operation shall be undertaken by a licensee except in accordance with an exploration plan, which has been approved by the officers specified in rule 5.
- (2) The exploration plan shall be prepared in the format as may be specified by the Indian Bureau of Mines from time to time.
- (3) The exploration plan shall include following, namely:—
- (a) particulars of the licence area in latitudes and longitudes;
 - (b) the scale of the plan and the area of geological mapping;
 - (c) details of proposed exploration programme;
 - (d) a tentative timeline of exploration operations and yearly plan, including milestones for exploration operations;
 - (e) the particulars of the vessels, implements, installations, engines, machines and instruments to be used; and
 - (f) any other details of exploration operations specified by the competent authority referred to in rule 5 from time to time.
7. **Preparation of exploration plan.**— Every exploration plan shall be prepared or modified, as the case may be, by a person having the following qualifications and experience:—
- (a) a post graduate degree in Geology or Applied Geology or Geophysics or Marine Geology or any equivalent qualification granted by University established or incorporated by or under a Central Act, a Provincial Act or a State Act, including any institutions recognised by the University Grants Commission under Section 4 of the University Grants Commission Act 1956 (3 of 1956) or any equivalent qualification granted by any University or institution outside India and recognised by Government of India; and
 - (b) professional experience of five years of working in a supervisory capacity in the field of marine mineral exploration after obtaining the degree.
8. **Procedure for approval of exploration plan.**— (1) The exploration plan shall be submitted to the officer specified in rule 5.

- (2) Every exploration plan submitted for approval under sub-rule (1) of rule 6 shall be accompanied by such fee as may be specified by the Indian Bureau of Mines.
- (3) The competent authority referred to in rule 5 shall dispose of the application for approval of the exploration plan within a period of sixty days from the date of receiving of such application:

Provided that the aforesaid period of sixty days shall be applicable only if the exploration plan is complete in all respects, and in case of any modifications subsequently suggested by the competent authority after the initial submission of the exploration plan for approval, the said period shall be applicable from the date on which such modifications are carried out and submitted afresh to the competent authority.

- (4) The competent authority referred to in rule 5 may, by an order in writing, at any time direct modification to the exploration plan submitted under sub-rule (1) of rule 6 or impose such conditions in such plan as it may consider necessary.

9. Modification of exploration plan.— (1) An exploration plan, submitted under sub-rule (1) of rule 6 may be modified at any time by the licensee, on geological considerations, or for facilitating increase of efficiency in exploration capacity, or any other reason to be specified in writing by such licensee or as directed by the competent authority referred to in rule 5, as the case may be, during continuance of the exploration operations.

- (2) Any modification carried out under sub-rule (1) shall be subject to prior approval of the competent authority referred to in rule 5 and shall be disposed of in accordance with procedure specified in rule 8.

- (3) No proposal for modifications to the exploration plan shall be considered by the competent authority referred to in rule 5 after the date falling six months prior to the expiration of the exploration licence of the composite licence.

10. Exploration operations to be carried out in accordance with exploration plan.— Every holder of a composite licence shall carry out the exploration operations in accordance with the approved exploration plan or with such modifications, if any, as provided under rule 9 or as directed by the competent authority.

11. Intimation about reconnaissance and exploration operations.— Every holder of a composite licence shall send an intimation in Form-A of the First Schedule to the—

- (a) Regional Controller, administering authority, authorised officer of the Indian Bureau of Mines, and Naval Headquarters (Directorate of Naval Intelligence), Ministry of Defence, at least two months in advance about the commencement of exploration operations and reconnaissance operations.
- (b) Chief Hydrographer to the Government of India, for publishing on navigational charts and issue of NAVAREA warning for safety of mariners and local fishermen at sea at least fifteen days before commencing reconnaissance operations and exploration operations.

12. Inspection of exploration operations.— (1) The holder of a composite licence shall allow any authorised officer to examine at any time, the accounts maintained by him and shall furnish to the authorised officer, such information and returns as the authorised officer may require.

- (2) The holder of a composite licence shall also allow any authorised officer to inspect any exploration operations carried on by him including the maps, sections, profiles, core logs and samples generated during the exploration operations.

13. Reports to be submitted by holder of composite licence or any other authorised agency.— (1) Every holder of a composite licence shall submit to the Geological Survey of India, administering

authority, authorised officer of the Indian Bureau of Mines, Regional Controller and any other authorised officer, as the case may be:—

- (a) a yearly report along with yearly progress update in Form-B of the First Schedule within sixty days after the close of the year;
 - (b) quarterly progress update in Form-B of the First Schedule within thirty days after the close of the quarter;
 - (c) a final report explaining the result of the exploration operations in the form of a geological report prepared under rule 4 of the Offshore Areas (Existence of Mineral Resources) Rules, 2024; identifying the area suitable for grant of a production lease, if applicable, within six months after completion of exploration operations.
- (2) The format of the reporting under sub-rule (1) shall be specified by the Indian Bureau of Mines.
 - (3) Every agency authorised under the proviso to sub-section (1) of section 5 shall submit to the Geological Survey of India, the administering authority, the authorised officer of the Indian Bureau of Mines and Regional Controller, a yearly report along with yearly progress update in Form-B of the First Schedule so as to reach him within sixty days after the expiry of every twelve months from the date of commencement of reconnaissance operations or exploration operations by such agency.
 - (4) In case the reconnaissance operations or exploration operations are abandoned, the report along with Form-B of the First Schedule shall be submitted within a period of thirty days from the date of such abandonment and a copy of the report shall be sent to the Chief Hydrographer to the Government of India.
 - (5) While submitting the reports under sub-rule (1), the licensee may specify that the whole or any part of the reports and data submitted by him shall be kept confidential, and the recipients as specified in sub-rule (1) shall thereupon, keep such portions of the submitted reports and data as confidential as may be deemed fit:

Provided that the Central Government shall have the right to freely use such confidential reports and data for its own purposes:

Provided further that if the licensee fails to apply for a production lease within the time period stipulated in sub-section (6) of section 12, or if an application for production lease submitted by the licensee is rejected by the Central Government or the administering authority, or upon termination or expiration of the composite licence, or abandonment of operations or surrender of excess area in accordance with the first proviso to sub-rule (7) of rule 18 of the Offshore Areas Mineral (Auction) Rules, 2024, all reports and data submitted by the said licensee shall become the sole property of the Central Government.

CHAPTER III

PRODUCTION OPERATIONS

14. **Competent authority in respect of production plan.**— The Controller General or an officer of the Indian Bureau of Mines, authorised in writing by the Controller General shall be the competent authority to take decisions with respect to approval, review and modification of a production plan and with respect to final mine closure plan.
15. **Production plan.**— (1) No production operations shall be undertaken except in accordance with a production plan, which has been approved, modified or reviewed by the competent authority referred to in rule 14 and in accordance with rules 16,17 and 18.
 - (2) The production plan shall include the following, namely:—

- (a) the plan of the lease area showing the nature and extent of the mineralised area, spot or spots where the production operations are proposed to be carried out based on the data gathered by the applicant or any other person;
 - (b) details of the geology and lithology of the lease area including mineral resources and reserves of the area;
 - (c) details of proposed exploration and production programme;
 - (d) details of the mechanism of measurement or weighment of extracted minerals, computation of royalty, the point of discharge from the lease area and port of unloading or discharge in India, at which the minerals shall be brought, if any;
 - (e) the details of mode of production operation indicating method of production, excavation, drilling, dredging, handling of waste and mineral rejects, use of mineral and beneficiation of minerals, site-services, employment-potential;
 - (f) a tentative schedule of production operations and plan for production operations from year to year for five years;
 - (g) a tentative estimate about accretion of mine waste and its manner and mode of disposal and confinement;
 - (h) manner of mineral processing and mineral upgradation, if any, including mode of tailing disposal;
 - (i) a progressive mine closure plan;
 - (j) environment management plan indicating baseline information, impact assessment and mitigation measures; and
 - (k) any other matter which the Central Government or the Indian Bureau of Mines may require the applicant to provide in the production plan.
- (3) The production plan shall be made in accordance with a manual prepared by the Indian Bureau of Mines, in this regard.

16. Preparation of production plan.— (1) Every production plan shall be prepared or modified, as the case may be, by a person having the following qualifications and experience:—

- (a) a degree in mining engineering or a post-graduate degree in geology or Applied Geology or Geophysics or Marine Geology or any equivalent qualification granted by a University established or incorporated by or under a Central Act, a Provincial Act or a State Act, including any institutions recognised by the University Grants Commission under section 4 of the University Grants Commission Act 1956 (3 of 1956) or any equivalent qualification granted by any University or institution outside India and recognised by Government of India; and
 - (b) professional experience of five years of working in a supervisory capacity in the field of mining after obtaining the degree.
- (2) It shall be the obligation of the lessee to ensure that the production plan is prepared in accordance with the manual prepared by the Indian Bureau of Mines in this regard.

17. Procedure for approval of production plan.— (1) The production plan shall be submitted to the competent authority referred to in rule 14.

- (2) Every production plan submitted for approval under sub-rule (1) shall be accompanied by such fee as may be specified by the Indian Bureau of Mines.
- (3) The competent authority referred to in rule 14 shall dispose of the application for approval of the production plan within a period of ninety days from the date of receiving of such application:

Provided that the aforesaid period of ninety days shall be applicable only if the production plan is complete in all respects, and in case of any modifications subsequently suggested by the competent authority after the initial submission of the production plan for approval, the said period shall be applicable from the date on which such modifications are carried out and submitted afresh to the competent authority.

- (4) The competent authority referred to in rule 14 may, by an order in writing, at any time direct modification of the production plan or impose such conditions in the production plan as it may consider necessary.

18. Modification and review of production plan.— (1) The production plan once approved shall be subject to review and updation at an interval of every five years starting from the date of execution of the duly executed production lease deed.

- (2) At least one hundred twenty days before the expiry of every five year period specified in sub-rule (1), the lessee shall submit a production plan for production operations for a period of five subsequent years prepared in accordance with rule 16, which shall be disposed of in accordance with rule 17.

- (3) A holder of a production lease may seek modifications in the approved production plan as are considered expedient, keeping in view changes in the business environment, or for facilitating increase of efficiency in production capacity, or in the interest of safe and scientific mining, conservation of minerals, for the protection of environment or geological considerations by such lessee during continuance of the lease or any other reason to be specified in writing by the holder of a production lease.

- (4) In case of modifications to a production plan, the provisions of rule 16 and rule 17 shall *mutatis mutandis* apply.

19. Production operations under production lease.— If the production operations are not carried out in accordance with the approved production plan or any information contained in the production plan is found to be incorrect, misleading or non-compliant with applicable laws including these rules, the competent authority may by order, suspend all or any of the production operations and permit continuance of only such operations as are required for enabling of natural rehabilitation of the seabed affected by such operations in the lease area including any measures as may be specified by the Central Government from time to time in such regard as envisaged under the approved production plan or modified production plan:

Provided that the lessee shall be informed in writing about the violation and if the violation is not rectified within a period of forty-five days, a show cause notice shall be issued asking reasons why the production operations should not be suspended and, further, if no satisfactory reply is received within a period of thirty days, the production operations shall be suspended:

Provided further that the competent authority may revoke the suspension after compliance by rectifying the violation pointed out in this regard.

20. Inspection of production operations.— (1) The holder of a production lease shall allow any authorised officer to examine at any time, the accounts maintained by him and shall furnish to the authorised officer, such information and returns as the authorised officer may require.

- (2) The holder of a production lease shall also allow any authorised officer to inspect any production operations carried on by him including the core logs and samples generated during the production operations.

- 21. Exploration operations and production operations.**— (1) The exploration operations and production operations shall be carried out in such a manner so as to ensure systematic development of mineral deposits, conservation of minerals and protection of the marine environment.
- (2) The composite licence holder shall carry out exploration as per the norms provided in the Offshore Areas (Existence of Mineral Resources) Rules, 2024:
- Provided that the exploration norms shall be specified by the Atomic Minerals Directorate for Exploration and Research, in respect of atomic minerals.
- (3) The holder of a production lease shall carry out Detailed Exploration [(G1 level)] over the entire potentially mineralised area under the production lease, in the manner specified in the Offshore Areas (Existence of Mineral Resources) Rules, 2024 or the rules made under section 35 of the Act in relation to minerals having grade equal to or greater than the threshold value in respect of atomic minerals, as the case may be, within a period of five years from the date of opening of the mine after execution of such production lease.
- (4) For the exploration done under sub-rule (3), the holder of production lease shall submit to the administering authority and the Indian Bureau of Mines, a geological study report prepared in the manner specified in the Offshore Areas (Existence of Mineral Resources) Rules, 2024, within three months after the completion of the exploration operations.
- (5) The administering authority shall conduct technical audit of geological study report as submitted under this rule for its verification and in case lessee fails to perform his duties as so specified, the administering authority may, after giving the lessee an opportunity of being heard, take such action for enforcing compliance, as it deems fit.
- (6) The sampling of drill cores shall be done for the entire mineralised portion at regular intervals, preferably metre wise or less, in accordance with Part-III of Schedule-I of Offshore Areas (Existence of Mineral Resources) Rules, 2024, and chemical analysis for the major radical shall be done for all the samples.
- (7) Mineral resources shall be estimated periodically based on exploration carried out and the resources shall be estimated up to the threshold value of the mineral, as may be notified by Indian Bureau of Mines, from time to time and the updated resources shall be furnished in the review of the production plan at the interval of five years.
- (8) Indian Bureau of Mines shall review the threshold values of minerals periodically in consultation with the stake holders.
- 22. Machinery and plant.**— (1) The holder of a production lease shall maintain log books duly authenticated by its manager or mining engineer in respect of each vessel, survey equipment, sampling equipment, dredger, beneficiation plant, machinery showing date-wise, survey locations including survey lines, sample locations, weather conditions, sea state, account of hours worked, hours not worked, reasons for non-working, consumption of fuel or energy and lubricants and output of the machine during the corresponding working hours.
- (2) The summary of operation of each machine, vessel, equipment and plant as specified in sub-rule (1) shall be recorded in the log book at the end of each month bringing out the percentage availability and percentage utilisation of such machine, vessel, equipment and plant, average hourly performance and average fuel or energy consumption per hour.
- (3) The log books shall be maintained in electronic form or in hard copy and shall be made available to the authorised officer of the Indian Bureau of Mines on demand.
- 23. Notice for commencement of production operations of mine.**— Every holder of a production lease shall send an intimation in Form-C of the First Schedule to the—

- (a) administering authority, authorised officer of the Indian Bureau of Mines, Naval Headquarters (Directorate of Naval Intelligence), Ministry of Defence and Chief Hydrographer to the Government of India, as the case may be, at least two months in advance of the commencement of production operations of a mine, which shall be accompanied with a copy of the approved production plan.
- (b) Chief Hydrographer to the Government of India, for publishing on navigational charts and issue of NAVAREA warning for safety of mariners and local fishermen at sea at least fifteen days before commencing production operations.

24. Abandonment of mines.— (1) The holder of a production lease shall not abandon a mine during the subsistence of the production lease except with the prior permission in writing of the authorised officer of the Indian Bureau of Mines.

- (2) The holder of a production lease shall send to the authorised officer of the Indian Bureau of Mines a notice in Form-D of the First Schedule of his intention to abandon a mine so as to reach them at least ninety days before the intended date of such abandonment, which shall be accompanied by maps, sections and profiles on a scale as specified in rule 30 setting forth accurately the work done in the mine up to the time of submission of the notice including the measures envisaged for the protection of the abandoned mine or part thereof, the approaches thereto and the environment:

Provided that the authorised officer of the Indian Bureau of Mines may require the maps, sections and profiles to be prepared on any other suitable scale.

- (3) The authorised officer of the Indian Bureau of Mines, may by an order in writing made before the proposed date of abandonment, prohibit abandonment or allow it to be done with such conditions as he may specify in the order.
- (4) The holder of a production lease shall not abandon a mine unless a final mine closure plan duly approved by the competent authority, is implemented, and for this purpose, the lessee shall be required to obtain a certificate from the authorised officer of the Indian Bureau of Mines to the effect that the lessee has taken all necessary steps, including any measures as may be specified by the Central Government from time to time, for enabling the natural rehabilitation of the seabed affected by production operations in accordance with the final mine closure plan or with such modifications as approved by the competent authority have been carried out before abandonment of mine.
- (5) The holder of a production lease shall continue to be liable to pay for any expenditure over and above the performance security incurred by the administering authority towards protective measures and for taking all necessary steps, including any measures as may be specified by the Central Government from time to time, for enabling the natural rehabilitation of the seabed affected by productions operations in the lease area of the production lease.

25. Submission of final mine closure plan.— (1) Every holder of a production lease shall take steps to prepare final mine closure plan as per the guidelines and format prepared by the Indian Bureau of Mines from time to time.

- (2) The holder of a production lease shall submit a final mine closure plan to the competent authority for approval two years prior to the proposed final mine closure or surrender of the entire or part area of the production lease, accompanied by such fee as may be specified by the Indian Bureau of Mines.
- (3) The competent authority shall convey their approval or refusal of the final mine closure plan within ninety days of the date of its receipt to the holder of the production lease.

- (4) Non-submission of final mine closure plan within the period specified under sub-rule (1) shall attract the forfeiture of performance security.
- 26. The modification of final mine closure plan.**— (1) The holder of a production lease desirous of seeking modifications in the approved final mine closure plan, shall submit to the competent authority for approval setting forth the intended modifications and explaining the reasons for such modifications.
- (2) The competent authority may approve the modifications as submitted under sub-rule (1) or approve with such alterations as he may consider expedient.
- 27. Responsibility of holder of a production lease.**— The holder of a production lease shall have the responsibility to take all necessary steps or measures, including any measures as may be specified by the Central Government from time to time, for enabling the natural rehabilitation of the seabed affected by production operations, in accordance with the approved final mine closure plan, or with such modifications as approved by the competent authority.
- 28. Notice of temporary discontinuance of work in mines and obligations of lessees.**— (1) Subject to the provisions of section 7, the holder of a production lease shall send to the authorised officer of the Indian Bureau of Mines, administering authority and the Chief Hydrographer to the Government of India, a notice in Form-E of the First Schedule when the production or mineral processing operations in the mine or part thereof are discontinued for a period exceeding ninety days so as to reach them within one hundred and twenty days from the date of such temporary discontinuance.
- (2) Where the discontinuance takes place as a result of the occurrence of a natural calamity beyond the control of the holder of a production lease or in compliance with any order or directions issued by any statutory authority established under any law in force or any tribunal or a court, a notice shall be submitted to the authorised officer of the Indian Bureau of Mines within a period of fifteen days of such discontinuance in Form-E of the First Schedule.
- (3) During the temporary discontinuation of a mine or part thereof, it shall be the responsibility of the holder of a production lease to—
- comply with the reasonable prohibitive measures to restrict access for unauthorised entry;
 - provide protective measures to potentially dangerous sources of electrical and mechanical installations, workings and all other structures;
 - ensure that all contaminated effluents are controlled and all physical, chemical, biological monitoring programmes are continued.
- 29. Intimation of reopening of a mine.**— The holder of a production lease shall, at least thirty days prior to reopening of a mine after temporary discontinuance, send to the administering authority, authorised officer of the Indian Bureau of Mines, Naval Headquarters (Directorate of Naval Intelligence), Ministry of Defence and Chief Hydrographer to the Government of India an intimation in Form-C of the First Schedule.

CHAPTER IV MAPS, SECTIONS AND PROFILES

- 30. General requirements about maps, sections and profiles.**— (1) Every map, section or profile prepared or submitted in accordance with the provisions of these rules shall—
- show the name of the mine and of the holder of the production lease and the purpose for which the map, section or profile is prepared;
 - show the true north or the magnetic meridian and the date of observation;
 - show a scale of the map at least twenty-five centimetres long and suitably sub-divided;

- (d) unless otherwise provided, be on a scale having a representative factor of—
- (i) 1:1,000 or smaller, in case of lease area having up to six standard blocks; and
- (ii) 1:5,000 or smaller in case of lease area having more than six standard blocks:
- Provided that the competent authority may, by an order in writing and subject to such conditions as he may specify therein, permit or require the maps to be prepared on any other suitable scale;
- (e) be digitally prepared in the format as may be specified by the Indian Bureau of Mines.
- (2) The maps, sections and profiles shall be accurate within such limits of error as the Controller General may specify by a general or special order.
- (3) The maps, sections and profiles required under these rules shall be maintained up to date showing also the respective proposal of approved production plan for various activities pertaining to that year, within three months.

31. Types of maps, sections and profiles.— (1) The holder of a production lease shall keep the following digitally prepared maps, sections and profiles, namely:—

- (a) a map showing location and number of the marker buoys (if deployed) along with its latitude and longitude values, every morphologic feature of the seabed within the production lease boundaries, telecommunication cable, power transmission line, offshore wind turbine generators, offshore power substations, oil platform or pipelines, underwater archaeological sites, dumps and dumping area, marine sanctuaries, disposition of standard blocks, rock outcrops and other workings within the production lease;
- (b) a geological map of the area of production lease showing—
- (i) bathymetric map with depth contour at not more than one metre interval;
- (ii) location of sample, sediment distribution, exploration pits, dredge lines, coring or drill core and any other openings made for exploration or production operations;
- (iii) exploration levels such as G1, G2, G3 and G4 as specified in the Offshore Areas (Existence of Mineral Resources) Rules, 2024;
- (iv) mineral distribution map;
- (v) sub-bottom sections at vertical scale of 1:500 scale or larger scale to represent the various sediment layers based on seismic survey or sub-bottom profiler survey;
- (vi) sections showing sedimentological or lithological variation with mineral content based on core samples or drill cores;
- (vii) standard block-wise mineral estimation with grade at one metre interval sediment thickness.
- (2) Maps as specified under clause (b) of sub-rule (1) shall show proposed dredge lines as dotted lines and completed dredge lines as firm lines level-wise;
- (3) The workings of each mineral deposit shall be shown on separate map:

Provided that where it is not possible to show the complete boundary of the lease area on the same map, an additional key map on any other suitable scale showing such boundaries and the outline of the workings shall also be maintained.

- (4) The holder of a production lease shall keep the following, namely:—
- (a) a key plan on a scale of 1:50,000 incorporating the following, namely:—
 - (i) a map showing the boundary of the production lease, and the adjoining area lying preferably within ten kilometres thereof;
 - (ii) shoreline and coastal land marks with contours at not more than five metres intervals;
 - (iii) places of historical and archaeological importance;
 - (iv) protected areas including, marine national parks, marine sanctuaries or any other area, as may be notified by the Central Government;
 - (v) telecommunication cables, offshore wind turbine generators, offshore power substations, offshore oil platform or pipelines, underwater archaeological sites, defence installations or any adjacent port area;
 - (vi) recognised sea lanes for the purposes of navigation; and
 - (vii) any other relevant features:

Provided that where bathymetry chart is classified as restricted, the particulars referred to in sub-clauses (i) to (vii) shall be incorporated in the key plan to the extent available;
 - (b) an environment plan of the area of production lease inclusive of the adjoining area within one hundred metres of the boundary of a lease area on 1: 5,000 scale incorporating the following:
 - (i) a map showing the boundary of the production lease;
 - (ii) contour lines at five metres intervals;
 - (iii) all features indicated in sub-clauses (iii) and (iv) of clause (a);
 - (iv) area occupied by mine workings, area covered by dump with the height of the dump, permanent installations (if any), processing plant;
 - (v) area for which steps and measures for enabling the natural rehabilitation of the seabed affected by production operations have been undertaken;
 - (vi) any other relevant features.
- (5) The competent authority may, by an order in writing, require such additional details to be shown on the maps, sections and profiles required to be kept under these rules or the preparation and maintenance of such maps, sections and profiles showing such details and on such scale and within such time as he may specify in the order.
- (6) The competent authority may, by an order in writing, require the holder of a production lease to provide him within such time, such maps, sections and profiles thereof, as he may specify in the order.

32. Copies of maps, sections and profiles to be submitted.— The holder of a production lease shall, on or before the 30th day of June every year submit to the authorised officer of the Indian Bureau of Mines, administering authority and the Chief Hydrographer to the Government of India, a digital

copy along with a print copy of the geological maps, sections and profiles maintained under rule 31 along with the annual return.

- 33. Preparation of maps.**— (1) All digitally prepared maps, sections and profiles and print copies thereof kept at the vessel or installation in the lease area wherein production operations are being carried out and shall be suitably indexed.
- (2) All maps, sections and profiles shall be prepared by using Differential Global Positioning System or as may be specified in this regard by the Indian Bureau of Mines.
- (3) Every map, section and profile prepared under these rules shall carry thereon a certificate for its correctness and shall be signed by the mining engineer and geologist with date.
- (4) Every copy of a map, section and profile submitted or maintained under these rules shall bear a reference to the original map, section and profile from which it was copied and shall be certified thereon by the holder of the production lease to be a true copy of the original plan, section and profile.

CHAPTER V

SAFETY MEASURES

- 34. Establishment of no-mining barrier zone.**— (1) A no-mining barrier zone measuring 7.5 seconds shall be kept all along the boundaries of the licence area and the lease area and the licensee or lessee shall not carry out any exploration operations or productions operations within this zone, as the case may be, so as to provide a 15 seconds barrier between two adjacent mineral blocks within the offshore area to ensure safe operations.
- (2) In order to protect the maritime activities near the seashore, the holder of a production lease shall neither carry out any production operations nor release waste material within a distance of one nautical mile from the low tide line of the seashore.
- 35. Safety in respect of vessels.**— The licensee or lessee, as the case may be, shall ensure at all times that—
- (a) all vessels, platform, installation or any other infrastructure deployed or to be deployed for exploration operations or production operations are in good repair, in a safe and sound condition, adequately manned and comply with rule 36;
- (b) all such vessels, platform, installation or any other infrastructure deployed or to be deployed shall have an appropriate class designation and remain in class for the duration of such operations.
- 36. Compliance with laws, customs and international treaties.**— (1) The licensee or lessee, as the case may be, shall ensure compliance with Indian laws and regulations, laws and customs governing the High Seas and international conventions or treaties to which India is a party including those applicable for the safety of life at sea, prevention of collisions at sea, protection of navigation, aircraft, fishing and fisheries, and treatment of crew members, as well as any applicable rules, regulations, procedures and standards adopted from time to time.
- (2) The licensee or lessee, as the case may be, shall provide copies of valid certificates required under applicable international shipping conventions to the administering authority or any other authorised officer upon such request.
- 37. Safety of personnel.**— The licensee or lessee, as the case may be, shall ensure that—
- (a) all of its personnel, before assuming their duties, have the necessary experience, training

and qualifications and are able to conduct their duties safely, competently and in compliance with the applicable rules;

- (b) an occupational health, safety and environmental awareness plan is put in place to inform all personnel engaged in exploration operations or production operations about the occupational and environmental risks which may result from their work and the manner in which such risks are to be dealt with; and
- (c) records of the experience, training and qualifications of all of its personnel are kept and made available to the administering authority or any other authorised officer upon such request.

38. Emergency preparedness and safety plan.— The Controller General shall issue such further directions as may be required on emergency preparedness, safety measures and any other measure to be implemented by the holder of an operating right.

CHAPTER VI

MARINE ENVIRONMENT

39. Sustainable mining.— (1) Every holder of an operating right shall take all possible precautions for undertaking sustainable mining while conducting exploration operations, production operations or beneficiation in the licence area or lease area, as the case may be.

(2) Every holder of a production lease shall monitor his production operations and allied activities as per the template of star rating in the format specified in this behalf by the Indian Bureau of Mines from time to time, and shall submit online its self-assessment report before the 1st day of July every year for the previous financial year, to the Regional Controller or the authorised officer of the Indian Bureau of Mines:

(3) The confirmation of the star rating may be done by the authorised officer of the Indian Bureau of Mines through inspection.

40. Precaution against turbidity and sedimentation.— Every holder of an operating right shall carry out the exploration operations or production operations, as the case may be, in a manner that minimum disturbance is caused to the seabed and turbidity is maintained within permissible limits, as specified by concerned authority of the Central Government.

41. Precaution against air pollution.— Every holder of composite licence or a production lease shall take all possible measure to keep air pollution due to smoke, emissions (gaseous and particulate), during exploration operations, production operations or beneficiation and related activities within permissible limits.

42. Systematic disposal of toxic solid and liquid waste.— (1) Every holder of an operating right shall take appropriate steps and measures as specified by the Central Government, from time to time, to ensure systematic disposal of solid or liquid waste, including hazardous waste, arising out of exploration operations, production operations, beneficiation or processing operations within the licence area or lease area, as the case may be.

(2) If the wastes including hazardous wastes generated during exploration operations or production operations can be used economically for construction and other purposes, it may be transported from the licence area or lease area as the case may be, on payment of royalty as specified in the First Schedule of the Act:

Provided that in the event such hazardous waste is required to be dumped, either onshore or offshore as a means of disposal, the holder of the operating right shall take all necessary steps and measures, as may be specified by the Central Government from time to time, to dispose such wastes including hazardous wastes arising out of exploration operations or production operations.

- (3) Every holder of an operating right shall take all necessary precautions to prevent discharge of toxic and objectionable liquid effluents in the offshore areas, especially where beneficiation plant, workshop or any such other facilities are developed within the offshore areas and such effluents should be suitably treated before discharging into sea, if required, to conform to the standards laid down by the Central Government, from time to time, in this regard.
- 43. Precaution against noise.**— The holder of composite licence or a production lease shall take all possible measures to control or abate noise arising out of exploration operations, production operations, or beneficiation at the source so as to keep it within the permissible limits.
- 44. Permissible limits and standards.**— The standards and permissible limits of all pollutants, toxins and noise referred to in rules 40, 41, 42, 43 and 45 shall be such as may be notified by the concerned authorities under the provisions of the relevant laws for the time being in force.
- 45. Protection of marine environment, flora and fauna.**— (1) Every holder of composite licence or a production lease shall carry out exploration operations or production operations, as the case may be, in accordance with applicable laws, international conventions and treaties to which India is a party, and the laws and customs governing the High Seas including those relevant to environmental protection, pollution control and hazardous wastes in such a manner so as to cause least damage to the marine environment, flora and fauna of the area held under composite licence or production lease and the nearby areas.
- (2) Every holder of an operating right shall at all times take all necessary precautions and measures as specified by the Central Government from time to time for—
- (a) preventing pollution of offshore environment;
 - (b) enabling protection of marine environment and living resources especially fishery resources while carrying out exploration operations or production operations.
- (3) The holder of an operating right shall immediately inform the administering authority or authorised officer of the Indian Bureau of Mines, as the case may be, in writing about occurrence of any incident which causes or may cause serious harm to the marine environment and the marine life and other marine resources.
- (4) The holder of an operating right shall inform the administering authority, Indian Coast Guard or any other authority as may be specified, in writing about the measures taken for preservation and protection of the maritime environment and for prevention and control of marine pollution.
- 46. Precaution against damage to object of archeological or historical nature.**— The licensee or lessee, as the case may be, shall immediately inform the administering authority or authorised officer of the Indian Bureau of Mines, as the case may be, about findings of an object of archeological or historical nature, shipwrecks and its location in the offshore area and such authority shall transmit such information to the Archeological Survey of India, Ministry of Culture or Ministry of Ports, Shipping and Waterways, as the case may be.
- 47. Emergency orders to safeguard against harm to marine environment.**— The administering authority or authorised officer of the Indian Bureau of Mines, as the case may be, shall make emergency orders in the following cases, namely:—
- (a) when such authority has been informed by a licensee or lessee or has become aware of an incident otherwise resulting from or caused by a contractor's activity in an area that has caused or is likely to cause serious harm to the marine environment, such authority shall issue a general notification, direction or order of the incidents, in writing to the licensee or lessee;
 - (b) such authority shall take such immediate measure of temporary nature as are practicable and reasonable in the circumstances, to prevent, contain and minimise any serious harm

to the marine environment and duration for measure of temporary nature shall be highlighted in this direction;

- (c) if the licensee or lessee does not promptly comply with an emergency order or direction relating to marine environment arising out of the activities in the area, such authority shall take by itself or through arrangement with others on his behalf such practical measures as are necessary to prevent contain and minimise any serious harm to the marine environment.

CHAPTER VII

NOTICES AND RETURNS

- 48. Monthly and annual returns.**—(1) The Government, or a Government company, or a corporation selected for grant of a production lease under section 8 or holder of an operating right, as the case may be, shall cause himself to be registered online on the portal provided by Indian Bureau of Mines as per application specified in Form-F of the First Schedule and the registration number so allotted by the Indian Bureau of Mines shall be used for all purposes of online reporting and correspondence connected therewith:

Provided that if the Government, or a Government company, or a corporation selected for grant of a production lease under section 8 or holder of an operating right has previously registered on the online portal provided by the Indian Bureau of Mines in accordance with the provisions of rule 45 of the Mineral Conservation and Development Rules, 2017 made under the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957), such person shall not be required to separately register under this sub-rule subject to updation of their existing registration on such online portal.

- (2) Any person or company engaged in trading or storage or end-use or export or import of minerals obtained from offshore areas in accordance with the Act:—
- (a) shall cause himself to be registered online or update his existing registration, as the case may be, on the portal provided by the Indian Bureau of Mines in accordance with the provisions of rule 45 of the Mineral Conservation and Development Rules, 2017 made under the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957);
- (b) shall submit online to the relevant authority the returns in electronic form digitally signed, in the manner as specified in rule 45 of the Mineral Conservation and Development Rules, 2017 made under the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957);
- (c) if such person or company submits incomplete or wrong or false information in monthly or annual returns or fails to submit a return within the date specified, then such action or inaction of such person or company shall be regulated by the State Government in the manner as specified in rule 45 of the Mineral Conservation and Development Rules, 2017 made under the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957) and to that extent the administering authority shall have the right to make recommendations to such State Government regarding the regulation of such person or company.
- (3) The holder of production lease shall submit online returns in respect of each mine to the Regional Controller and the authorised officer of the Indian Bureau of Mines in the following manner, namely:—
- (a) a monthly return which shall be submitted before the tenth day of every month in respect of the preceding month in electronic form digitally signed, in Form-G of the First Schedule; and
- (b) an annual return which shall be submitted before the 1st day of July each year for the preceding financial year in electronic form digitally signed, in Form-H of the First Schedule:

Provided that in the case of abandonment of a mine, the annual return shall be submitted within ninety days from the date of abandonment.

- (4) If it is found that the holder of a production lease has submitted incomplete or wrong or false information in monthly or annual returns or fails to submit a return within the date specified; then the Regional Controller or the authorised officer of the administering authority may:—
- (i) order suspension of all production operations and dispatches in the mine and revoke the order of suspension only after ensuring proper compliance;
 - (ii) take action to initiate prosecution under these rules;
 - (iii) recommend termination of the production lease in case such suppression or misrepresentation of information indicates abetment or connivance of illegal mining.
- (5) (i) before taking any action specified under sub-rule (4), the authorised officer, shall issue a show cause notice to the holder of a production lease informing about the violation made under sub-rule (4) and asking reasons as to why action under sub-rule (4) shall not be taken against such holder and shall give thirty days' time for reply and rectification of the violation stated in such notice;
- (ii) if such holder of an operating right—
- (a) rectifies the violation stated in the show cause notice and deposit within the said period of thirty days, such amount as specified in the Second Schedule for the period from due date of submission of return till the date of rectification of violation, no further action shall be taken;
 - (b) does not provide satisfactory reply or rectify the violation within the said period of thirty days, the production operations and dispatches may be suspended and any action under sub-rule (4) may be initiated;
- (iii) the suspension of production operations may be revoked only after the rectification of violation as indicated in the violation-cum-show cause notice and after deposition of such amount as specified in the Second Schedule for the period from due date of submission of return till the date of rectification of violation.
- (6) For reporting of monthly and annual return by the holder of a production lease, the terms sale value and ex-mine price shall have the same meaning as assigned to it under Chapter VII of the Offshore Areas Operating Right Rules, 2024.
- (7) If more than one mineral is produced from the same mine, return shall be submitted along with the relevant parts of the specified forms for each mineral separately.
- (8) In case of temporary discontinuance of production operations, or suspension of production operations, the holder of a production lease, shall submit return in the specified form for the mineral for which return had been submitted earlier and furnish relevant particulars, inclusive of Nil information, if any.
- (9) In case ownership of the mine changes during the reference period, separate returns shall be filed by each owner for the respective periods of ownership.

49. Notice of certain appointments.— The holder of the composite licence or the production lease shall,—

- (a) when any new appointment of an agent, mining engineer, geologist, or any person is made under sub-rule (1) of rule 53; or
- (b) when the employment of any such person is terminated or any such person leaves the said employment; or
- (c) when any change occurs in the address of any such person,

within fifteen days from the date of such appointment, termination, leaving or change in address, give a notice in Form-I of the First Schedule to the authorised officer the Indian Bureau of Mines, as the case may be.

50. Notice of certain events.— Without prejudice to the provisions of the Act or any rules made thereunder or the terms and conditions of an operating right, every holder of such operating right shall immediately inform the administering authority, authorised officer of the Indian Bureau of Mines, Indian Coast Guard, Indian Navy and other concerned authorities, upon occurrence of any of the following events:

- (a) fatality of a person; or
- (b) missing person; or
- (c) medical evacuation; or
- (d) fire or explosion resulting in an injury or major damage or impairment; or
- (e) collision resulting in an injury or major damage or impairment; or
- (f) accident causing loss of life or serious bodily injury in connection with offshore operation; or
- (g) explosion; or
- (h) blowout; or
- (i) major fire; or
- (j) bursting of any pipeline or equipment, piping containing steam, compressed air or other substance whereby safety of persons is likely to be endangered; or
- (k) breakage or fracture or failure of any structure, equipment or system, whereby safety of persons is likely to be endangered; or
- (l) any accident due to explosives or radio-active substances; or
- (m) a collision of a helicopter or vessel with the installation; or
- (n) a helicopter crash; or
- (o) man-overboard; or
- (p) release of toxic and harmful substances whereby safety of persons, installation or marine environment is likely to be endangered; or
- (q) an uncontrolled movement of vessel or object in sea whereby safety of persons onboard the offshore installation or the installation itself could be endangered; or
- (r) any person present onboard an offshore installation or attending vessel or helicopter is found to be missing; or
- (s) significant leak of hazardous substance; or
- (t) unauthorised mining discharge; or
- (u) adverse environmental conditions with likely significant safety and/or environmental consequences; or
- (v) significant threat or breach of security; or
- (w) implementation of emergency response and contingency plan; or

- (x) major impairment or damage compromising the ongoing integrity or emergency preparedness of an installation or vessel; or
- (y) impairment or damage to safety or environmentally critical equipment; or
- (z) significant contact with fishing gear; or
- (za) contact with submarine pipelines or cables; or
- (zb) damage to the structure for mariculture activities and artificial reefs; or
- (zc) any other event as may be specified.

51. Transfer of records to transferees.— When the ownership of a composite licence or a production lease is transferred as per provisions of the Act or any rules made there under, the previous owner or his agent shall make over to the new owner or his agent within a period of seven days of the transfer of the ownership, borehole cores along with records and samples preserved, if any, all maps, sections, profiles, reports, registers and other records maintained in pursuance of the Act, rules or orders made there under, and all correspondence relevant thereto relating to the composite licence or production lease; and when the requirements of these rules have been duly complied with, both previous and the new owners or their respective agents shall forthwith send to the administering authority and the authorised officer of the Indian Bureau of Mines, as the case may be, a detailed list of borehole cores, maps, sections, profiles, reports, registers and other records that have been transferred.

52. Copies of notices and returns and reports to be maintained.— The holder of a production lease or a holder of a composite licence shall maintain the labour attendance register, production and dispatch register, royalty assessment register, containing—

- (a) details of contribution made to the Offshore Areas Mineral Trust and International Seabed Authority;
- (b) details of payments made to the Central Government in terms of auction premium;
- (c) details of expenditure incurred towards the mine closure activities, bore hole logs along with the chemical analysis reports, mineral analysis reports, sub-grade or mineral reject register along with the grade; and
- (d) details of mining machinery and copies of all notices and returns, maps, sections, profiles and schemes submitted to the authorised officer of the Indian Bureau of Mines or the administering authority or the Regional Controller under these rules,

at an office established in the area where production or exploration operations are carried on or at the local office as specified under rule 63 and these shall be made available at all reasonable times to the authorised officer of the Indian Bureau of Mines or the administering authority or the Regional Controller, as the case may be, for inspection.

CHAPTER VIII

EMPLOYMENT OF GEOLOGISTS AND MINING ENGINEERS

53. Employment of geologists and mining engineers.— (1) For the purpose of carrying out exploration operations or production operations in accordance with these rules,—

- (a) every holder of composite licence shall employ a whole-time geologist;
 - (b) every holder of a production lease shall employ a whole-time mining engineer and a whole-time geologist.
- (2) Notice of such appointment or termination shall be intimated in the monthly and annual return to be submitted under rule 48.

- (3) A geologist or mining engineer employed by the holder of a composite licence or production lease shall possess the qualifications specified below, namely:—
- (a) geologist: A postgraduate degree in Geology or Applied Geology or Geophysics or Marine Geology or any equivalent qualification granted by a University established or incorporated by or under a Central Act, or a State Act, in India or educational Institution established by an Act of Parliament or declared to be deemed university under the University Grants Commission established under section 4 of the University Grants Commission Act, 1956 (3 of 1956) or any equivalent qualification granted by any University or institution outside India and recognised by Government of India;
 - (b) mining engineer: A degree in Mining Engineering or any equivalent qualification granted by a University established or incorporated by or under a Central Act, a Provincial Act or a State Act, including any institution recognised by the University Grants Commission established under section 4 of the University Grants Commission Act, 1956 (3 of 1956) or any equivalent qualification granted by any University or institution outside India and recognised by Government of India.

54. Duties of geologist.— (1) It shall be the duty of the geologist to conduct exploration operations or production operations in accordance with the provisions of these rules.

(2) The geologist referred to in rule 53 shall –

- (a) be responsible for periodic updating of minerals resources, maintenance of borehole cores or samples and borehole logs;
- (b) plan for conservation of mineral resources and optimal utilisation of the minerals and ores in the licence area or lease area;
- (c) work in accordance with the approved exploration plan or production plan and carry out the investigation operation as per such plan;
- (d) prepare the necessary geological maps, sections and profiles which are required to delineate the ore body;
- (e) carry out petrological and mineralogical studies of mineralised zones;
- (f) calculate ore resources and reserves and its grade;
- (g) be responsible for providing all the necessary information required for controlling the quality or grade of the minerals produced;
- (h) maintain proper records of the exploration operations, production operations and records of boreholes as provided under these rules;
- (i) work out the appropriate method of sampling and ensure preparation of samples accordingly;
- (j) maintain all technical data for determining the shape and size of each mineralised zone;
- (k) update the resource and reserve figures, grade-wise and category-wise, standard block-wise at the end of every year in case of a working mine;
- (l) identify the associated minerals and maintain proper records of the stocks of non-saleable or sub-grade ores and minerals produced;
- (m) carry out all such orders and directions as may be given in writing under these rules by the Controller General or the authorised officer of the administering authority and shall forward a copy of all such orders or directions to the holder of the composite licence or production lease, as the case may be.

55. Duties of mining engineer.— (1) It shall be the duty of the mining engineer to take all necessary steps to plan and conduct production operations so as to ensure conservation of minerals, systematic development of the mineral deposits and protection of environment in and around the lease area in accordance with these rules.

- (2) The mining engineer shall be responsible for the preparation and maintenance of plans, sections, reports and schemes in accordance with these rules.
- (3) The mining engineer shall be responsible for carrying out the study of the associated rocks and minerals, identifying them and storing the various minerals produced separately.
- (4) The mining engineer shall also carry out all such orders and directions as may be given in writing under these rules by the administering authority or the Controller General or the authorised officer of the Indian Bureau of Mines and shall forward a copy of such orders or directions to the holder of composite licence or the production lease, as the case may be.
- (5) The mining engineer shall ensure that there is sufficient provision of proper materials, appliances and facilities at all times at the mine for the purpose of carrying out the provisions of these rules and orders issued thereunder and where he is not the holder of the production lease, he shall make requisition in writing to the holder of such production lease for anything required for the aforesaid purpose.
- (6) A copy of every requisition referred to in sub-rule (5) shall be recorded in a bound paged book kept for the purpose, and on receipt of such a requisition, the holder of the production lease shall provide as soon as possible the materials and facilities requisitioned by the mining engineer.

CHAPTER IX

EXAMINATION OF MINERALS AND ISSUE OF DIRECTIVES

- 56. Power to issue directions.**— (1) The holder of an operating right shall comply with such directions providing for systematic development of mineral deposits, conservation of minerals and for sustainable mining as the Controller General or the Director, Atomic Minerals Directorate for Exploration and Research, as the case may be, may issue from time to time.
- (2) A copy of the proposed directions to be issued to any particular mine shall be sent by the Controller General or the Director, Atomic Minerals Directorate for Exploration and Research, as the case may be, to the holder of an operating right and to the administering authority and any comments received from the holder of such operating right and the administering authority within thirty days of the date of service of the notice, shall be duly considered by him before issuing any such directions.
 - (3) General directions applicable to a mine shall be issued by the Regional Controller or the authorised officer of the Indian Bureau of Mines, as the case may be, with the previous approval of the Central Government in consultation with the administering authority.
- 57. Examination of mineral deposits and taking of samples.**— The authorised officer of the Indian Bureau of Mines may examine any mineral deposit in any area under composite licence or production lease and take samples therefrom at any time for the purposes of these rules.
- 58. Prohibition of deployment in certain cases.**— If any mine or part thereof, which in the opinion of the Chief Controller of Mines or the Controller of Mines or the Regional Controller poses a grave and immediate threat to the conservation of minerals or to marine environment or to the sustainable development of the mine, he may, by an order in writing to the holder of an operating right, require him to take such measures as may be specified in the order and may prohibit, until the requirements as specified in the order are complied with to his satisfaction, the deployment of any person other than those required for compliance with the requirement of the order.

CHAPTER X**APPEAL AND PENALTY**

- 59. Appeal.**— Any person aggrieved by any order made by any officer in exercise of the powers conferred under these rules may, within three months of the date of communication of the order to him prefer an appeal to the Central Government in accordance with the provisions of Chapter XI of the Offshore Areas Operating Right Rules, 2024:

Provided that any such appeal may be entertained after the said period of three months if the appellant satisfies the Central Government that he had sufficient cause for not preferring the appeal within time.

- 60. Penalty.**— (1) Without prejudice to anything contained in the Act, any contravention of rules 6, 7, sub-rule (1) of rule 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, sub-rule (1) of rule 18, 19, 20, 24, 25, 27, 31 to 46, 48, 50, 51, 52, 56, 58, 62, 63, 67 and 74 shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to five years or with fine of fifty lakhs rupees, which may extend to one crore rupees, or with both, and in the case of a continuing contravention, with additional fine which may extend to five lakh rupees for every day during which such contravention continues after conviction for the first such contravention.
- (2) Without prejudice to anything contained in the Act, any contravention of rules sub-rule (2) of rule 18, 21, 22, 23, 28, 29, 49 and 53 shall be punishable with fine for an amount as specified in the Third Schedule.
- (3) Any offence punishable under these rules may either before or after the institution of the prosecution, be compounded by the person authorised under section 30 of the Act to make a complaint to the court with respect to that offence, on payment to that person, for credit to the Government, of such sum specified in this regard by the Controller General or the Director, Atomic Minerals Directorate for Exploration and Research, in respect of minerals having grade equal to or greater than the threshold value in respect of atomic minerals, as the case may be:

Provided that in case of an offence punishable with fine only, such sum shall not exceed the maximum amount of fine which may be imposed for that offence:

Provided further that where an offence is compounded under these rules, no proceeding or further proceeding, as the case may be, shall be made against the offender in respect of the offence so compounded, and the offender, if in custody, shall be released forthwith.

CHAPTER XI**MISCELLANEOUS**

- 61. Suspension of operations.**— (1) The administering authority may, if it considers that adequate reasons have been furnished, authorise for periods not on any occasion exceeding six months, suspension of operations relating to composite licence or production lease.
- (2) The administering authority may, if it authorises suspension as aforesaid, impose such conditions as it may think fit for protection of exploration operations or production operations or for protection of mineral resources or for any other purpose whatsoever, the licensee or the lessee shall comply with such conditions as if, they are incorporated in the composite licence or the production lease:

Provided that administering authority may revoke suspension of operations relating to composite licence or production lease under sub-rule (1) if it is satisfied that the reasons for such suspension cease to exist or the licensee or lessee, as the case may be, has satisfied such conditions as may be stipulated by the administering authority.

- 62. Preservation of cores, etc.**— (1) Every holder of an operating right and every agency authorised under the proviso to sub-section (1) of section 5 shall preserve and keep intact, until submission of the final geological report, all cores and specimens of different types of sediments, rocks, minerals and encrustations, obtained during drilling operations and shall arrange for them to be laid out in a serial order with identification marks, showing the progressive depth at which they are obtained.
- (2) The administering authority or the authorised officer of the Indian Bureau of Mines, as the case may be, may, by an order in writing, require the holder of the operating right or the agency authorised under the proviso to sub-section (1) of section 5 to preserve the cores or specimens of sediments, rocks, minerals and encrustations, obtained from specific boreholes or drilling in a specific manner or for any specific period or relax the provisions of this rule to such an extent as they may deem fit.
- (3) No cores or samples generated and preserved as per sub-rules (1) and (2) shall be destroyed without the prior permission in writing from the Chief Controller of Mines or the administering authority, as the case may be.
- (4) The Geological Survey of India shall be the nodal agency for archiving drill cores at the National Core Repository and at the Regional Drill Core Repositories with suitable indexing and cataloguing.
- (5) The Regional Drill Core Repositories shall function as satellites of the National Core Repository.
- (6) The holder of an operating right or any other agency authorised under the proviso to sub-section (1) of section 5 shall adhere to the procedure for preservation and submission of cores as provided in the manual prepared by the Geological Survey of India from time to time and shall preserve the identified borehole cores to be collected by the Geological Survey of India, after completion of all the required studies at the time of submission of the final geological report.
- 63. Maintenance of local office and designation of nodal officer.**— (1) The holder of the operating right shall have a local office in the onshore coastal area near to its lease area or licence area, as the case may be, to maintain record of all documents, filings, reports, data, returns and any other information required to be submitted or maintained by such holder of operating rights under the Act and the rules.
- (2) The holder of the operating right shall designate any person under its employment as a nodal officer to be in charge of such local office.
- 64. Facilities for undertaking research or training.**— Every holder of a composite licence or production lease shall provide all facilities for onboard training of Government staff or institutions and shall permit researchers or students of mining, geological and mineral processing institutions approved by the Central Government or the State Government to conduct research or acquire practical training of the mines and plants operated by them and provide all necessary facilities required for such training.
- 65. Submission of records or reports regarding research in geology or mining or marine science.**— (1) Any person, institution or agency carrying on exploration operations or production operations related to any research in geology or mining or marine science or mineral beneficiation, shall inform the administering authority, Controller General or the Director, Atomic Minerals Directorate for Exploration and Research, as the case may be, within a period of thirty days of commencement of such research related operations, indicating briefly the aspects proposed to be covered under such research together with the name and address of the person, institution, or agency carrying out such research work and the expected duration of the research related operations.

- (2) On completion of the said research work, a report describing the observations, analysis and conclusions reached as a result of the said research work shall be submitted to the Director General, Geological Survey of India for geology and marine science related research and to the administering authority, Chief Controller of Mines or the Director, Atomic Minerals Directorate for Exploration and Research, as the case may be, for mining research within thirty days of its completion.
 - (3) The authorities referred to in sub-rule (2) shall keep the information provided in the receipt confidential, and if required, the concerned authorities may utilise the said information for general studies, planning or policy making purpose.
 - (4) The provisions of sub-rules (1) and (2) shall also apply mutatis mutandis to any agency of the Central Government or State Government carrying out the research work.
- 66. Territorial jurisdiction of Controller of Mines and Regional Controller.**— The Controller General may by a notification in the Official Gazette, specify the limits of the territorial jurisdiction of the Controller of Mines and the Regional Controller for purposes of these rules.
- 67. Obligation to supply other information.**— The holder of an operating right shall furnish such information regarding his exploration operations or production operations or any matter connected therewith as the authorised officer of the Indian Bureau of Mines may require by an order in writing and the information shall be furnished within such time as may be specified in the such order.
- 68. Provisions of these rules to be applicable to authorised agencies.**— The agencies authorised under the proviso to sub-section (1) of section 5 carrying out exploration operations without a composite licence shall be bound by all the provisions of these rules in the same manner as they are applicable to holders of composite licence.
- 69. Exercise of powers.**— (1) Any power granted under these rules to the Regional Controller may be exercised by the Controller of Mines.
- (2) The powers granted to the Controller of Mines can be exercised by Chief Controller of Mines and the powers granted to the Chief Controller of Mines can be exercised by the Controller General.
 - (3) Any power granted under these rules to an authorised officer of the Atomic Minerals Directorate for Exploration and Research may be exercised by the Director, Atomic Minerals Directorate for Exploration and Research.
- 70. Saving of Act 33 of 1962.**— Nothing in these rules shall affect the provisions of the Atomic Energy Act, 1962 (33 of 1962) and the rules made thereunder, in respect of minerals specified in Part B of the First Schedule to the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957).
- 71. Review of format, templates, returns and manuals.**— The Controller General or the Director, Atomic Minerals Directorate for Exploration and Research, as the case may be, may revise or update, at such interval as considered appropriate, after consultation with stakeholders, the formats of the exploration plan, production plan, final mine closure plan and the templates for returns and star rating of mines provided by it.
- 72. Day of completion of any requirement.**— When the day of completion of any requirement under these rules is falling due on a public holiday, the day of completion shall be deemed to be due on the next working day.

Explanation.—For the purposes of these rules, the expression “public holiday” includes Saturday, Sunday and any other day declared to be a public holiday by the Central Government.

CHAPTER XII

OFFSHORE MINING REGULATION SYSTEM

73. Offshore mining regulation web portal.— (1) The Indian Bureau of Mines, shall prepare an offshore mining regulation web portal, for implementation and compliance of the provisions of these rules.

(2) All aspects of regulatory functions being undertaken by the Indian Bureau of Mines or the administering authority or the authorised officer of the Atomic Minerals Directorate for Exploration and Research, as the case may be, for implementation and compliance of the provisions of these rules shall be recorded in standard process sheets or templates developed for these purposes, and the information in this regard shall be made available on the portal referred to in sub-rule(1):

Provided that access to the commercial information provided in the said web portal shall be so regulated that the information is accessible only by the holder of the operating right concerned, the Controller General, the Central Government, the administering authority, the authorised officer and the administrator of the web portal.

74. Electronic Monitoring System.— (1) The holder of an operating right shall deploy an electronic monitoring system, as specified by the Indian Bureau of Mines, which shall be capable of automatically recording all relevant data relating to exploration operations and production operations, as specified by the Indian Bureau of Mines, including but not limited to accurate tracking of vessels, monitoring of operations in offshore areas and recording of video feed for such operations.

(2) All such data collected under sub-rule (1) shall be furnished to the Indian Bureau of Mines in a manner as may be specified by the Indian Bureau of Mines.

THE FIRST SCHEDULE

FORM-A

(See rule 11)

(Notice of commencement of reconnaissance and exploration operations)

IMPORTANT INSTRUCTIONS FOR FILLING THE FORM

- i. This Form, duly filled in must reach the concerned authorities as prescribed within the rule, by online or Email:
 - (a) For commencement of exploration operations and reconnaissance operations, at least two months in advance about the commencement of exploration operations.
 - (b) For publishing on navigational charts and issue of NAVAREA warning for safety of mariners and local fishermen at sea, at least fifteen days before commencing reconnaissance operations and exploration operations.
- ii. This should also be sent to the Regional Controller in whose territorial jurisdiction the operating right falls as notified from time to time by the Controller General under rule 66 of the Offshore Areas Mineral Conservation and Development Rules, 2024.
- iii. The form should be digitally signed by the concerned person.

1.	Type of Operating Rights/Operation	Check which is applicable
	(a) Composite Licence	
	(b) Exploration Operation <i>(only applicable to agencies authorised under the</i>	

	<i>proviso to sub-section (1) of section 5)</i>	
	(c) Reconnaissance Operations <i>(only applicable to agencies authorised under the proviso to sub-section (1) of section 5)</i>	
2.	IBM Registration Number	
3.	Unique IBM Operating Right Number	
	(a) Composite Licence	
	(b) Exploration Operation/ Reconnaissance Operations number <i>(only applicable to agencies authorised under the proviso to sub-section (1) of section 5)</i>	
4.	Name of the mineral or minerals for which reconnaissance operations or exploration operations will be undertaken or for which composite licence has been granted	<i>(Information will be system generated. Linked with Entry 6 of Form 'F'.)</i>
5.	Name and address of the licensee or agencies authorised under the proviso to sub-section (1) of section 5	<i>(Information will be system generated. Linked with Entry 6 of Form 'F'.)</i>
6.	Particulars of Operating Right:	<i>(Information will be system generated. Linked with Entry 6 of Form 'F'.)</i>
7.	Location of the licence area/ exploration area/ reconnaissance area	<i>(Information will be system generated. Linked with Entry 6 of Form 'F'.)</i>
8.	Particulars of Geologist and Mining Engineer employed for the licence area/ exploration area/ reconnaissance area	
	(a) Name and address	
	(b) E-mail address	
	(c) Phone Number and Mobile Number	
	(d) Qualification	
	(e) Date of Appointment	
9.	Particulars of vessel to be deployed	
	(a) Name of vessel:	
	(b) Dimensions:	
	(c) Draft of the vessel:	
	(d) Call sign:	
	(e) Country of registration:	
	(f) Year of registration:	
	(g) Whether all certificates are valid; if so, provide particulars of the certificates with date of validity:	
	(h) Whether all required clearances have been obtained for the vessel and personnel:	
	(i) Particulars of crew onboard:	
	(j) List of scientific equipment and machinery onboard:	
	(k) Details of technical people onboard to operate scientific equipment:	
	(l) Period for which the vessel will be deployed	

10.	Other details	
	(a) period of deployment of vessels, platform, installation or any other infrastructure in the licence area for undertaking such operations; and	
	(b) geographical coordinates of licence area where such operations are to be carried out.	
11.	Date of commencement of exploration operations/ reconnaissance operations	

Place: Date:	<i>Signature</i> Name in full: Designation: Owner/Geologist/Mining Engineer
-----------------	---

FORM-B

[See rules 13(1), 13(3), 13(4)]

(Progress Update Report of the Exploration Operations carried out for the quarter/ year.....)**IMPORTANT INSTRUCTIONS FOR FILLING THE FORM**

- i. This Form, duly filled in must reach the concerned authorities as prescribed within the rule, by online or Email:
 - (1) For holder of composite licence:
 - (a) within thirty days after the close of quarter in case of quarterly progress update report;
 - (b) within sixty days after the close of the year in case of yearly progress update report;
 - (c) within the period of thirty days from the date of abandonment of exploration operations.
 - (2) For agencies authorised under the proviso to sub-section (1) of section 5:
 - (a) within sixty days after expiration of every twelve months from the date of commencement of reconnaissance operations or exploration operations in case of yearly progress update report;
 - (b) within the period of thirty days from the date of abandonment of reconnaissance operations or exploration operations.
- ii. This should also be sent to Regional Controller in whose territorial jurisdiction the operating right falls as notified from time to time by the Controller General under rule 66 of the Offshore Areas Mineral Conservation and Development Rules, 2024.
- iii. The form should be digitally signed by the concerned person.

1.	Type of Operating Rights/Operation	Check which is applicable
	(a) Composite Licence	
	(b) Exploration Operation <i>(only applicable to agencies authorised under the proviso to sub-section (1) of section 5)</i>	

	(c) Reconnaissance Operations (only applicable to agencies authorised under the proviso to sub-section (1) of section 5)	
2.	IBM Registration Number	
3.	Unique IBM Operating Right Number	
	(a) Composite Licence	
	(b) Exploration Operation/ Reconnaissance Operations number (only applicable to agencies authorised under the proviso to sub-section (1) of section 5)	
4.	Name of the mineral or minerals for which reconnaissance operations or exploration operations will be undertaken or for which composite licence has been granted	(Information will be system generated. Linked with Entry 6 of Form 'F'.)
5.	Name and address of the licensee or agencies authorised under the proviso to sub-section (1) of section 5	(Information will be system generated. Linked with Entry 6 of Form 'F'.)
6.	Particulars of Operating Right:	(Information will be system generated. Linked with Entry 6 of Form 'F'.)
7.	Location of the licence area/ exploration area/ reconnaissance area	(Information will be system generated. Linked with Entry 6 of Form 'F'.)
8.	Status of reconnaissance/exploration operations (Please tick-mark the boxes whichever is applicable)	
	(a) In Progress	Mention start date and end date
	(b) Completed	
	(c) Abandoned	
9.	If reconnaissance/exploration operation is completed or abandoned, date of such completion or abandonment	
10.	Total offshore area covered by reconnaissance/exploration work (in latitude and longitude and in number of standard blocks) as on date	
11.	Reconnaissance/ Exploration work done (A brief description of the work involved along with particulars of the vessels, implements, platform, installations, engines, machines, instruments and any other infrastructure used would be given against each of the following items)	
	(a) Regional Survey	
	(b) Detailed survey	
	Latitude and longitude, height and depth of submerged installations, structure (shape and colour), including photographs, details & characteristics of lighted objects, details of top marks/radar transmitter installed, if any	
12.	Seabed Mapping including area covered and scale of presentation	
	(a) Seabed Mapping	

	(i) Bathymetry	
	(ii) Sub-bottom profiling	
	(iii) Multibeam bathymetry	
	(iv) Side-scan sonar survey	
	(v) Any other	
	(b) Geophysical survey	
	(i) Seismic survey	
	(ii) Any other	
	(c) Geotechnical investigations	
	(d) Marine environmental studies	
	(e) Geochemical	
	(f) Geological sub-sampling: Number, area of influence, interval meterage and sampling	
	(g) Nature and structure of the ore body	
	(h) Analysis of the ores or minerals	
13.	Completion of reconnaissance/ exploration work during the year	
14.	(a) Seabed samples	
	(i) Number of grab samples	
	(b) Seabed Core Sampling	
	(i) Number of Gravity / Vibro cores	
	(ii) Length (metres) Average: Maximum: Minimum:	

14.	(c) Drilling	During the quarter	Till Date
	(i) Number of boreholes completed		
	(ii) Meterage drilled (metres)		

14.	(d) Particulars of drilling machines			
	Type	Make	Capacity	Number of drills

14.	(e) Exploratory mining, if any	During the quarter	Till Date
	(i) Number of dredgers		
	(ii) Total area dredged (sq. kms)		
	(iii) Quantity of ore produced with grade		

14.	(f) Number of samples analysed	During the quarter	Till Date
	(i) Number of samples analysed		
	(ii) Number of main constituent (please specify) (Chemical)		

	(iii) Number of complete analysis (Chemical/Atomic Absorption Spectroscopy)		
	(iv) Number of sedimentological studies		
	(v) Number of Petrography/ Petrological studies/ Mineralogical studies		
	(vi) Number of geotechnical properties		

15.	Number of personnel employed in the licence area/ exploration area/ reconnaissance area:					
		Indian national		Foreign National		Total
		Male	Female	Male	Female	
	Company personnel					
	Contract personnel					
	Total					

16.	If abandoned	
	(a) Date of abandonment	
	(b) Reasons for abandonment	

Note: Please enclose a yearly geological report in accordance with format as specified in Offshore Areas (Existence of Mineral Resources) Rules, 2024 describing the reconnaissance operations or exploration operations undertaken.

Place: Date:	<i>Signature</i> Name in full: Designation: Owner/Geologist/Mining Engineer
-----------------	---

FORM-C
(See rules 23 and 29)

(Notice of intimation of commencement of production operations of mine / reopening of mine)

IMPORTANT INSTRUCTIONS FOR FILLING THE FORM

- i. This Form, duly filled in must reach the concerned authorities as prescribed within the rule, by online or Email:
 - (a) For commencement of production operations of mine, at least two months in advance of the commencement of production operations of mine; or
 - (b) For publishing on navigational charts and issue of NAVAREA warning for safety of mariners and local fishermen at sea, at least fifteen days before commencing production operations.
 - (c) For intimation of reopening of a mine, at least thirty days prior to reopening of mine.
- ii. This should also be sent to the Regional Controller in whose territorial jurisdiction the operating right falls as notified from time to time by the Controller General under rule 66 of the Offshore Areas Mineral Conservation and Development Rules, 2024.
- iii. The form should be digitally signed by the concerned person.

1.	IBM Registration Number	
2.	Production Lease Code	
3.	Mine Code	
4.	Name of mine	
5.	Name and address of the lessee/owner	<i>(Information will be system generated. Linked with Entry 4 of Form 'F'.)</i>
6.	Date of commencement of production operations of mine / reopening of mine	
7.	In case of reopening, date of discontinuation	
8.	Particulars of the Production Lease (PL)	<i>(Information will be system generated. Linked with Entry 5 of Form 'F')</i>
9.	Location of the lease area	<i>(Information will be system generated. Linked with Entry 5 of Form 'F')</i>
10.	Name and address of previous owner if any and the date of abandonment of Mine	
	(a) Name	
	(b) Address	
	(c) E-mail	
	(d) Mobile no.	
	(e) Date of abandonment	
11.	Name and address of Agent of Mine	
	(a) Name	
	(b) Address	
	(c) E-mail	
	(d) Mobile no.	

12.	Particulars of Mining Engineer employed in the mine	<i>(Information will be system generated. Linked with Entry 8 and 9 of Form 'I'.)</i>
13.	Particulars of Geologist employed in the mine	<i>(Information will be system generated. Linked with Entry 8 and 9 of Form 'I'.)</i>
14.	Particulars of Manager employed in the mine	<i>(Information will be system generated. Linked with Entry 8 and 9 of Form 'I'.)</i>
15.	Particulars of vessel to be deployed	
	(a) Name of vessel:	
	(b) Dimensions:	
	(c) Draft of the vessel:	
	(d) Call sign:	
	(e) Country of registration:	
	(f) Year of registration:	
	(g) Whether all certificates are valid; if so, provide particulars of the certificates with date of validity:	
	(h) Whether all required clearances have been obtained for the vessel:	
	(i) Particulars of crew onboard:	
	(j) List of scientific equipment and machinery onboard:	
	(k) Details of technical people onboard to operate scientific equipment:	
	(l) Period for which the vessel will be deployed:	
16.	Other details	
	(a) period of deployment of vessels, platform, installation or any other infrastructure in the lease area for undertaking such operations; and	
	(b) geographical coordinates of lease area where such operations are to be carried out.	
17.	Letter No. and date through which the production plan was approved by the Indian Bureau of Mines	

Place: Date:	<i>Signature</i> Name in full: Designation: Owner/Geologist/Mining Engineer
-----------------	---

FORM-D
[See rule 24(2)]

(Notice of intention of abandonment of mine or part of the mine)

IMPORTANT INSTRUCTIONS FOR FILLING THE FORM

- i. This Form, duly filled in must reach the concerned authorities as prescribed within the rule, within ninety days before the intended date of abandonment, by online or Email.
- ii. This should also be sent to the Regional Controller in whose territorial jurisdiction the lease area falls as notified from time to time by the Controller General under rule 66 of the Offshore Areas Mineral Conservation and Development Rules, 2024.
- iii. The form should be digitally signed by the concerned person.

1.	IBM Registration Number	
2.	Production Lease Code	
3.	Mine Code	
4.	Name of mine	
5.	Name and address of the lessee/owner	<i>(Information will be system generated. Linked with Entry 4 of Form 'F'.)</i>
6.	Particulars of the Production Lease (PL)	<i>(Information will be system generated. Linked with Entry 5 of Form 'F')</i>
7.	Location of the Production Lease	<i>(Information will be system generated. Linked with Entry 5 of Form 'F')</i>
8.	Letter No. and date through which the Final Mine Closure plan was approved by the Indian Bureau of Mines	
9.	Date of abandonment	
10.	Reasons for abandonment:	<i>[Please tick whichever is applicable]</i>
	(a) Lack of demand	
	(b) Exhaustion of ore/mineral	
	(c) Un-economic operations	
	(d) Other (Please specify)	
11.	Upto date Total Resources of Mineral(s) in lease area (in tonne) as per UNFC	
	(a) Mineral Reserve	
	(i) Proved Reserve (111)	
	(ii) Probable Reserve (121 and 122)	
	(b) Remaining Resources	
	(i) Feasibility Mineral Resources (211)	
	(ii) Pre-Feasibility Mineral Resources (221 and 222)	
	(iii) Measured Mineral Resources (331)	
	(iv) Indicated Mineral Resources (332)	

	(v) Inferred Mineral Resources (333)	
	(vi) Reconnaissance Mineral Resources (334)	
	(c) Total Resources (a + b) (tonnes)	
12.	Number of personnel employed in the mine	
	Indian national	Foreign National
	Male	Female
	Male	Female
	Company personnel	
	Contract personnel	
	Total	

Note: Please enclose maps, sections and profiles on a scale as specified in rule 30 setting forth accurately the work done in the mine up to the time of submission of the notice including the measures envisaged for the protection of the abandoned mine or part thereof, the approaches thereto and the environment.

Place: Date:	<i>Signature</i> Name in full: Designation: Owner/Geologist/Mining Engineer
-----------------	---

FORM-E

[See rule 28(1) and 28(2)]

(Notice of temporary discontinuance of mine)**IMPORTANT INSTRUCTIONS FOR FILLING THE FORM**

- i. This Form, duly filled in must reach the concerned authorities as prescribed within the rule, within one hundred and twenty days of temporary discontinuance of work in the mine, by online or Email. If the discontinuance is due to natural calamity beyond the control of the lessee or Government Orders, this notice shall be sent within fifteen days of such occurrence, by online or E-mail.
- ii. This should also be sent to the Regional Controller in whose territorial jurisdiction the lease area falls as notified from time to time by the Controller General under rule 66 of the Offshore Areas Mineral Conservation and Development Rules, 2024.
- iii. The form should be digitally signed by the concerned person.

1.	IBM Registration Number	
2.	Production Lease Code	
3.	Mine Code	
4.	Name of mine	
5.	Name and address of the lessee/owner	<i>(Information will be system generated. Linked with Entry 4 of Form 'F'.)</i>
6.	Particulars of the Production Lease (PL)	<i>(Information will be system generated. Linked with Entry 5 of Form 'F')</i>
7.	Location of the Production Lease	<i>(Information will be system generated. Linked with Entry 5 of Form 'F')</i>
8.	Date of temporary discontinuance	
9.	Reasons for temporary discontinuance	<i>[Please tick whichever is applicable]</i>
	(a) Lack of demand	
	(b) Non-availability of labour	
	(c) Rains/ Cyclone	
	(d) Natural Calamity	
	(e) Transport bottleneck	
	(f) Strike/Lockout	
	(g) Operations becoming un-economic	
	(h) Other reasons (specify)	
10.	Probable date of re-opening of the mine	

Place: Date:	Signature Name in full: Designation: Owner/Geologist/Mining Engineer
-----------------	--

FORM-F
[See rule 48(1)]

**(Application for registration under rule 48 for undertaking
exploration operations or production operations)**

IMPORTANT INSTRUCTIONS FOR FILLING THE FORM

- i. If there is any change after registration in any of the fields, the form may be updated accordingly and informed to the Controller General.
- ii. The form should be digitally signed by the concerned signing authority.

1. Type of applicant: (Please tick mark below)

- The Government, or a Government company, or a Corporation
- Holder of operating right
- Agencies authorised under the proviso to sub-section (1) of section 5

2. Category of applicant: (Please tick mark below)

- Individual
- Association of individuals
- Firm
- Company registered under Companies Act

3. Type of business/activity: (Please tick mark options given below, multiple options permitted)

- Reconnaissance Operations
- Exploration Operations
- Production Operations

4. Details of the applicant:

(Please tick mark: Government Company [] or Others [])

(a) In case of individual applicant (includes owner, agent, mining engineer or manager of every mine):

(i)	Name	Shri / Smt. (First name) / (Middle name) / (Last name)
(ii)	Position in mine (please tick mark the option)	<input type="radio"/> Owner <input type="radio"/> Agent <input type="radio"/> Mining engineer <input type="radio"/> Manager <input type="radio"/> Geologist
(iii)	Address	(Door number/ building number/ plot number)
	Block	(street number / block number)
	Taluka	
	District	
	State / U.T	
	Pin code	
	E-mail	
(iv)	Telephone	Office : Fax : Residence : Mobile :
(v)	PAN number	

(vi)	AADHAR number	
(vii)	Passport number	

(b) In case of association of individuals:

(i)	Name of Association, or name of the Signing authority of association	
(ii)	Address	(Door number/ building number/ plot number)
	Block	(street number / block number)
	Taluka	
	District	
	State / U.T	
	Pin code	
	E-mail	
(iii)	Telephone	Office : Fax : Residence : Mobile :

(iv)	Details of Associates	Name	PAN number	Aadhar Number	Citizenship	Passport number

(v)	Details of nominated owner under section 76 of the Mines Act, 1952	Name	
		Designation	
		Address	
		Phone no	Office: Residence: Mobile: E mail:
		PAN no.	
		Passport no.	

(c) In case of a Firm:

(i)	Name of Firm	
(ii)	Address	(Door number/ building number/ plot number)
	Block	(street number / block number)
	Taluka	
	District	
	State / U.T	
	Pin code	
	E-mail	
(iii)	Telephone	Office : Fax : Residence : Mobile :

(iv)	Details of partners in the Firm	Name of partner	PAN number	Aadhar Number	Citizenship	Passport number	
	Firm Type (Tick)	Registered/Unregistered					
(v)	Registration number of Firm (as registered under Indian Partnership Act, 1932)						
	PAN No.	TIN No.		TAN No.			
(vi)	Name of the State where registered						
(vii)	Date of registration	(dd/mm/yyyy)					
(viii)	Details of nominated owner under section 76 of the Mines Act, 1952	Name					
		Designation					
		Address					
		Phone number	Office: Residence: Mobile: Email:				
		PAN No.					
		Passport No.					

(d) In case of a company:

(i)	Name of Company					
(ii)	Registered Address					
	State / U.T					
	Pin code					
	E-mail					
(iii)	Telephone	Office : Fax : Mobile :				
(iv)	Details of Directors in the Company	Name	PAN number	Aadhar Number	Citizenship	Passport number
(v)	Registration number of Company (as registered under Companies Act, 2013)					
		TAN No.			TIN No.	

6. Please give details of composite licence held at the time of applying for registration, if any, or update the information due to any changes after registration, by the Individual/ Association of Individuals / Firms or Company.

Location of licence area									Area held under composite licence (in latitude and longitude and in number of standard blocks)	Name of Minerals	Date of grant	Date of execution of Exploration Licence Deed of Composite Licence
Unique Number assigned by IBM	NHO Chart No	Area in sq. kms.	Boundary coordinates of the block (in Decimal degree)	Coast/Sea	Offshore Region	Nearest Coastal Location	Water depth (m)	Nearest Harbour/Port				

7. If engaged in production or manufacturing through a mineral based industry, please give details of mineral consumption or update the information due to any changes after registration.

Sr.No.	Location(s) of plant where mineral is used						Name of the plant	Mineral consumed	Average consumption per year	Remarks
	Village	Taluka	District	State	Latitude (ddmmss)	Longitude (ddmmss)				

VERIFICATION

I, ----- S/o / D/o / W/o ----- age ----- occupation----- resident of -----
 ----- village/town/city post office ----- police station -----taluka-----
 district----- state -----certify that the information furnished above is complete and
 correct in all respects.

Place:

Signature:

Date:

Name in full:

**Not to be filled by the applicant
 (For internal use of the Indian Bureau of Mines)**

Registration Number assigned by IBM:

FORM-G

[See rule 48(3)(a)]

For the month of __ 20 __

MONTHLY RETURN

[To be used for all minerals]

To

- (i) The Regional Controller
Indian Bureau of Mines
_____Region, PIN:

(Please address to Regional Controller in whose territorial jurisdiction the mine falls as notified from time to time by the Controller General under rule 66 of the Offshore Areas Mineral Conservation and Development Rules, 2024).

- (ii) administering authority and
(iii) Authorised officer of the Indian Bureau of Mines

PART – I**(General and Labour)**

(information to be filled one-time while updating the profile)

1. Details of the Mine	
(a) Registration number allotted by Indian Bureau of Mines (to give registration number of the Lessee/ Owner)	
(b) Mine Code (allotted by Indian Bureau of Mines)	
(c) Name of the Mineral	
(d) Name of Mine	
(e) Name(s) of other mineral(s), if any, produced from the same mine	
(f) Mode of grant (Auction/ reservation):	
(g) Auction Premium (%)	
(h) Location of the Mine	
(a) NHO Chart No.	
(b) Area in sq. km.	
(c) Number of standard blocks included in the mineral block	
(d) Boundary coordinates of the block (in Decimal degree)	
(e) Coast/ Sea	
(f) Offshore Region	
(g) Nearest Coastal Location	
(h) Water depth (m)	
(i) Nearest Harbour/ Port	

2. Name and address of Lessee/ Owner (along with fax no. and e-mail):

(a) Name of Lessee/Owner	
(b) Address	
(c) District	
(d) State	

(e) PIN Code	
(f) Fax no:	
(g) E-mail:	
(h) Phone No:	
(i) Mobile:	

3. Details of Rent/ Royalty/Auction Premium/ Fixed Rent/ Contribution towards Offshore Areas Mineral Trust / Contribution towards International Seabed Authority paid in the month	
(i) Rent paid (₹)	
(ii) Royalty paid (₹)	
(iii) Auction Premium (₹)	
(iv) Fixed Rent paid (₹)	
(v) Payment made to the Offshore Areas Mineral Trust (₹)	
(vi) Payment made to the International Seabed Authority (₹)	
(vii) Any other payment (₹) (as specified)	

4. Details on working of mine:		
(i) Number of days the mine worked:		
(ii) Reasons for work stoppage in the mine during the month (due to strike, lockout, heavy rain, cyclone, natural calamity, non-availability of labour, transport bottleneck, lack of demand, uneconomic operations, etc.) and the number of days of work stoppage for each reason separately.	Reasons	No. of days

5. Average Daily Employment and Total Salary/Wages paid #:

At the lease area	Direct		Contract		Total Salary/Wages (₹)	
	Male	Female	Male	Female	Direct	Contract
Engaged in production operations						
Engaged in supporting function						
Total						

To include all employees exclusive to the mine and attached workshop or mineral processing plant at the offshore mine site.

PART-II (PRODUCTION, DISPATCHES AND STOCKS)

(To be submitted separately for each mineral)

(Unit of Quantity in Tonnes)

(PART II-A)

Applicable for all minerals such as construction grade silica sand, non-construction grade calcareous sand, calcareous mud or lime mud, phosphatic sediments, except polymetallic nodules, gold and silver

(Point A1, A2 and A3 to be filled up)

A1. Name of mineral produced:

(Construction grade silica sand, non-construction grade calcareous sand, lime mud, phosphatic sediments)

A2. Production, Dispatches and Stocks (Tonnes):

Average Grades of mineral	Opening stock at mine-head	Production	Dispatches from mine-head	Closing stock at mine-head

A3. Sales/ Dispatches effected for Domestic Purposes and for Exports:

Average Grade of Mineral	Nature of Dispatches	IBM registration number ##	Consignee Name as per IBM registration	Country of dispatch	Quantity in tonnes	Sale value in Rs
A	B	C	D	E	F	G
Average Grade of Mineral	Domestic					
	Own Consumption					
	Export Purpose					
	Total				Auto Sum	

Average grade of mineral	Nature of Dispatches	H. Deduction beyond lease area as per sub-rule (6) of rule 48 (Rs/ tonne)						
		i) Cost of transportation	ii) Loading and unloading charges	iii) Railway freight, if applicable	iv) Port handling charges/ export duty	v) Charges for sampling and analysis	vi) Rent for plot at stocking yard	vii) Other charges (specify clearly)
A	B	H(i)	H(ii)	H(iii)	H(iv)	H(v)	H(vi)	H(vii)
Average Grade of Mineral	Domestic							
	Own Consumption							
	Export Purpose							
	Total							

Average grade of mineral	Nature of Dispatches	Total Deduction beyond lease area H (i + ii + iii + iv + v + vi + vii)	Total Deduction	Net sale value	Related party sale / not at Arm's length sale (Yes/No)
A	B	H	I=F*H	J=G-I	K
		Rs/tonne	Rs.	Rs.	
Average Grade of Mineral	Domestic				
	Own Consumption				
	Export Purpose				
	Total			Auto Sum	

To indicate separately if more than one buyer.

NOTE:- Mine owners are required to substantiate domestic sale value/ FOB value for each grade of ore quoted above with copy of invoices (not to be submitted with the return; to be produced whenever required).

A4. Ex-mine price of the ore produced (₹ per unit)

Nature of Dispatches (Data from table A3)	Total dispatches Quantity (Non-related parties sale only) from column - F (tonnes)	Net Sale value of dispatches (non-related parties sale only) from column - J (Rs)	Ex-mine Price (Rs/ tonne)
	A	B	C = B/A
Domestic/Export Sale			

(PART II-B)

Applicable for polymetallic nodules, gold and silver

(Point B1, B2, B3, B4, B5 and B6 to be filled up)

(To be submitted separately for each mineral)
(Unit of Quantity in Tonnes)

B1. Name of mineral produced:

B2. Production and Stocks of ROM ore:

Average grade of Mineral Ore	Opening stocks at mine-head (in Tonne)	Production (in Tonne)	Dispatches from mine-head (in Tonne)	Closing stocks at mine-head (in Tonne)

Note:

(#) Please give ex-plant sale value.

(@) Please give category-wise break-up of metals and other products sold.

B6. Sales/ Dispatches effected for Domestic Purposes and for Exports:

Grade/ Concentrate	Nature of Dispatches	IBM registration number ##	Consignee Name as per IBM registration	Country of dispatch	Quantity in tonnes	Sale value in Rs
A	B	C	D	E	F	G
Grade/ Concentrate	Domestic					
	Own Consumption					
	Export Purpose					
Total					Auto Sum	

Grade/ Concentrate	Nature of Dispatches	H. Deduction beyond lease area as per sub-rule (6) of rule 48 (Rs/ tonne)						
		i) Cost of transport ation	ii) Loading and unloadin g charges	iii) Railway freight, if applicabl e	iv) Port handling charges/ export duty	v) Charges for sampling and analysis	vi) Rent for plot at stocking yard	vii) Other charges (specify clearly)
A	B	H(i)	H(ii)	H(iii)	H(iv)	H(v)	H(vi)	H(vii)
Grade/ Concentrate	Domestic							
	Own Consumpti on							
	Export Purpose							
Total								

Grade/ Concentrate	Nature of Dispatches	Total Deduction beyond lease area H (i + ii + iii + iv + v + vi + vii)	Total Deduction	Net sale value	Related party sale / not at Arm's length sale (Yes/No)
A	B	H	I=F*H	J=G-I	K
Grade/ Concentrate	Domestic				
	Own Consumption				
	Export Purpose				
	Grand Total			Auto Sum	

To indicate separately if more than one buyer.

NOTE:- Mine owners are required to substantiate domestic sale value/ FOB value for each grade of ore/concentrate quoted above with copy of invoices (not to be submitted with the return; to be produced whenever required).

B7. Ex-mine price of the ore produced (₹ per unit)

Nature of Dispatches (Data from table-B6)	Total dispatches Quantity (Non related party sales only) from column - F (tonnes)	Net Sale value of dispatches (Non related party sales only) from column - J (Rs)	Ex-mine Price (Rs/ tonne)
	A	B	C = B/A
Domestic/ Export Sale			

6. Give reasons for increase/decrease in production/nil production, if any, during the month compared to the previous month.

(a)	
(b)	
(c)	

7. Give reasons for increase/decrease in grade wise ex-mine price, if any, during the month compared to the previous month.

(a)	
(b)	
(c)	

8. Remarks/ Comments, if any:

I certify that the information furnished above is correct and complete in all respects.

Place: Date:	<i>Signature</i> Name in full: Designation: Owner/Geologist/Mining Engineer
-----------------	---

FORM-H

[See rule 48(3)(b)]

For the financial year 1st April, 20____ to 31st March, 20____**ANNUAL RETURN**

[To be used for all minerals]

To

(i) The Regional Controller
 Indian Bureau of Mines
 _____ Region, PIN:

(Please address to Regional Controller in whose territorial jurisdiction the mine falls as notified from time to time by the Controller General under rule 66 of the Offshore Areas Mineral Conservation and Development Rules, 2024.)

(ii) administering authority and
 (iii) Authorised officer of the Indian Bureau of Mines

PART – I (General)

1. Details of Mine:	
(a) Registration number allotted by Indian Bureau of Mines (to give registration number of the Lessee/Owner)	
(b) Mine Code (allotted by Indian Bureau of Mines)	
(c) Name of the Mineral	
(d) Name of Mine	
(e) Name(s) of other mineral(s), if any, produced from the same mine	
(f) Mode of grant (Auction/ reservation):	
(g) Auction Premium (%)	
2. Location of the Mine:	
(a) NHO Chart No.	
(b) Area in sq. km.	
(c) Number of standard blocks included in the mineral block	
(d) Boundary coordinates of the block (in Decimal degree)	
(e) Coast/ Sea	
(f) Offshore Region	
(g) Nearest Coastal Location	
(h) Water depth (m)	
(i) Nearest Harbour/ Port	
3. Name and address of Lessee/ Owner (along with fax no. and e-mail):	
(a) Name of Lessee/Owner	
(b) Address	
(c) District	
(d) State	
(e) PIN Code	
(f) Fax no:	
(g) E-mail:	
(h) Phone No:	
(i) Mobile:	
4. Registered Office of the Lessee:	
5. Director in charge:	
6. Agent:	

7. Manager:	
8. Mining Engineer in charge:	
9. Geologist in charge:	
10. Transferor (previous owner), if any, and date of transfer:	
11. Particulars of lease area	
(a) Lease number allotted by the Indian Bureau of Mines.....	
(b) Area under lease (in latitude and longitude and in number of standard blocks):	
(i) Prohibited/Protected area	
(ii) Non Prohibited/Protected area	
(iii) Total	
(c) Date of execution of production lease deed	
(d) Date of registration of executed production lease deed	
(e) Date of expiry of lease	
12. Lease area utilisation as at the end of year (in latitude and longitude and in number of standard blocks):	
(a) Already exploited and abandoned	
(b) Covered under current Workings	
(c) Rehabilitated	
(d) Used for waste disposal	
(e) Occupied by any vessel, platform, installation or any other infrastructure	
(f) Used for any other purpose (specify)	
(g) Work done under progressive mine closure plan during the year	
13. Ownership of the mine: (Public Sector/Private Sector/Joint Sector)	

PART - II (Employment and Wages)

1. Number of supervisory staff employed at the mine		
Description		
(i) Mining Engineer		
(ii) Geologist		
(iii) Surveyor		
(iv) Other administrative and technical supervisory staff		
Total:		
2. (a) Number of days the mine worked:		
(b) No. of shifts per day:		
(c) Indicate reasons for work stoppage in the mine during the year (due to strike, lockout, heavy rain, cyclone, natural calamity, non-availability of labour, transport bottleneck, lack of demand, uneconomic operations etc.) and the number of days of work stoppage for each of the factors separately.	Reasons	No. of days

3. Employment and salary/wages paid #:

Classification (At the lease area)	Total number of man days worked during the year			No. of days worked during the year	Average daily number of persons employed			Total Wages /Salary for the year (₹)
	Direct	Contract	Total		Male	Female	Total	
(1)	2(A)	2(B)	2(C)	(3)	4(A)	4(B)	4(C)	(5)
Engaged in production operations								
Engaged in supporting function								
Total	auto	auto	auto		auto	auto	auto	auto

To include all employees exclusive to the mine and attached workshop or mineral processing plant at the offshore mine site.

PART - III (Consumption of Materials)

1. Quantity and cost of material consumed during the year			
Description	Unit	Quantity	Value (₹)
(i) Fuel			
(a) Coal	Tonnes		
(b) Diesel Oil	Ltrs.		
(c) Petrol	Ltrs.		
(d) Gas	Cu. m		
(ii) Electricity			
(a) Consumed	kWh		
(b) Generated	kWh		
(iii) Spares and stores			
2. Royalty, Auction Premium, Rents, Contribution towards Offshore Areas Mineral Trust and Contribution towards International Seabed Authority (₹):			
X		Paid for current year	Paid towards past arrears
(a) Royalty			
(b) Auction Premium			
(b) Fixed rent			
(c) Rent			
(d) Payment made to the Offshore Areas Mineral Trust			
(e) Payment made to the International Seabed Authority			
(f) Any other payment (₹) (as specified)			
3. Other expenses (₹):			
(i) Overheads			
(ii) Maintenance			
(iii) Money value of other benefits paid to workmen			
(iv) Payment made to professional agencies			

PART-IV (General Geology)

(Items 2 and 3 to be submitted separately for each mineral)

1. Exploration

1(i). Exploration activities during the year:

		At the beginning of the year	During the year	Cumulative	Grid spacing/ Dimension
Exploration	Grab sampling (no.)				
	Core sampling (no.)				
	Bathymetry (line km)				
	Sub-bottom profiling (line km)				
	Multibeam bathymetry (area in sq.km)				
	Seismic survey (line km)				
	Environment Impact Assessment (parameters)				
	Any other (Remotely operated vehicle, Under water video etc)				
Drilling	No of boreholes				
	Meterage				
Expenditure on exploration (₹)					X

1(ii). Any other exploration activity during the year:

2. Reserves and Resources estimated (in tonnes):

Classification	Code	At the beginning of the year 1.4.20__ as per latest approved production plan	Assessed during the year	Depletion of reserves during the year	Balance resources as on 31.3.20__
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3+4-5)
A. Mineral Reserve					
1. Proved Mineral Reserve	111				
2. Probable mineral Reserve	121				
	122				
3. Total Reserves					
B. Remaining Resources					
1. Feasibility mineral Resource	211				

2. Prefeasibility mineral resource	221				
	222				
3. Measured mineral resource	331				
4. Indicated mineral resource	332				
5. Inferred mineral resource	333				
6. Reconnaissance mineral resource	334				
7. Total remaining Resources					
Total (A+B)					

3. Type of dredging vessel:

1. Number of dredging vessels deployed		
Description	No. days deployed	Quantity dredged (Tonnes)
Vessel I (Name, country, Call sign)		
(i) Type of dredger		
(ii) Designed capacity / day		
(iii) Actual production /day		
Vessel II (Name, country, Call sign)		
(i) Type of dredger		
(ii) Designed capacity / day		
(iii) Actual production /day		
Vessel III (Name, country, Call sign)		
(i) Type of dredger		
(ii) Designed capacity / day		
(iii) Actual production /day		
Total:		

4 (i) Details of mineral processing plant, if any: Give a brief description of the process capacity of the equipment deployed and its availability. (*Submit Flow Sheet and Material Balance of the Plant separately*).

(ii) Furnish following information:

Item	Tonnage	Average Grade
Feed:		
Concentrates/processed products:	(mention name)	
By-products/Co-products:	(mention name)	
Tailings:		

PART-V (PRODUCTION, DISPATCHES AND STOCKS)

(To be submitted separately for each mineral)

(Unit of Quantity in Tonnes)

(Part V-A)

Applicable for all minerals such as construction grade silica sand, non-construction grade calcareous sand, calcareous mud or lime mud, phosphatic sediments, except polymetallic nodules, gold and silver
(*Point A1, A2 and A3 to be filled up*)

A1. Name of mineral produced:

(*Mineral - Construction Grade Silica Sand, non-construction grade calcareous sand, lime mud, phosphatic sediments*)

A2. Production, Dispatches and Stocks: [in tonnes]

Average Grades of mineral	Opening stock at mine-head	Production	Dispatches from mine-head	Closing stock at mine-head

A3. Sales/ Dispatches effected for Domestic Purposes and for Exports:

Average Grade of Mineral	Nature of Dispatches	IBM registration number ##	Consignee Name as per IBM registration	Country of dispatch	Quantity in tonnes	Sale value in Rs
A	B	C	D	E	F	G
Average Grade of Mineral	Domestic					
	Own Consumption					
	Export Purpose					
	Total				Auto Sum	

Average grade of mineral	Nature of Dispatches	H. Deduction beyond lease area as per sub-rule (6) of rule 48 (Rs/ tonne)						
		i) Cost of transportation	ii) Loading and unloading charges	iii) Railway freight, if applicable	iv) Port handling charges/ export duty	v) Charges for sampling and analysis	vi) Rent for plot at stocking yard	vii) Other charges (specify clearly)
A	B	H(i)	H(ii)	H(iii)	H(iv)	H(v)	H(vi)	H(vii)
Average grade of mineral	Domestic							
	Own Consumption							
	Export Purpose							
	Total							

Average grade of mineral	Nature of Dispatches	Total Deduction beyond lease area H (i + ii + iii + iv + v + vi + vii) Rs/tonne	Total Deduction Rs.	Net sale value Rs.	Related party sale / not at Arm's length sale (Yes/No)
A	B	H	I=F*H	J=G-I	K
Average grade of mineral	Domestic				
	Own Consumption				
	Export Purpose				
	Total			Auto Sum	

To indicate separately if more than one buyer.

NOTE:- Mine owners are required to substantiate domestic sale value/ FOB value for each grade of ore quoted above with copy of invoices (not to be submitted with the return; to be produced whenever required).

A4. Ex-mine price of the ore produced (₹ per unit)

Nature of Dispatches (Data from table A3)	Total dispatches Quantity (Non-related parties sale only) from column - F (tonnes)	Net Sale value of dispatches (non-related parties sale only) from column - J (Rs)	Ex-mine Price (Rs/ tonne)
	A	B	C = B/A
Domestic/Export Sale			

(Part V-B)**Applicable for polymetallic nodules, gold and silver***(Point B1, B2, B3, B4, B5 and B6 to be filled up)**(To be submitted separately for each mineral)**(Unit of Quantity in Tonnes)***B1. Name of mineral produced:****B2. Production and Stocks of ROM ore:**

Average grade of Mineral Ore	Opening stocks at mine-head (in Tonne)	Production (in Tonne)	Dispatches from mine-head (in Tonne)	Closing stocks at mine-head (in Tonne)

B3. Recoveries at Concentrator/Mill/Plant:

Opening stocks of the Ore at concentrator/plant		Ore received from the mine		Ore treated	
Quantity (in Tonne)	Metal content/ grade	Quantity (in Tonne)	Metal content/ grade	Quantity (in Tonne)	Metal content/ grade
Concentrates * Obtained		Tailings		Closing stocks of concentrates at the concentrator/plant	
Quantity (in Tonne)	Metal content/ grade	Quantity (in Tonne)	Metal content/ grade	Quantity (in Tonne)	Metal content/ grade

**In case of any leaching method adopted, give quantity recovered and grade contained separately.*

B4. Recovery at the Smelter/Mill/Plant:

Opening Stocks of the concentrates at the smelter /plant		Concentrates received from concentrator/plant		Concentrates received from other sources (specify)		Concentrates sold (if any)	
Quantity (in Tonne)	Metal content/ grade	Quantity (in Tonne)	Metal content/ grade	Quantity (in Tonne)	Metal content/ grade	Quantity (in Tonne)	Metal content/ grade

Concentrates treated		Closing stocks of concentrate at the Smelter/Plant		Metals (*) recovered (specify)			Other by-products, if any, recovered		
Quantity (in Tonne)	Metal content/ grade	Quantity (in Tonne)	Metal content/ grade	Quantity (in Tonne)	Grade	Value (₹)	Quantity (in Tonne)	Grade	Value (₹)

(*) Please give category-wise break-up viz. blister, fire refined copper, cathodes, electrolytic copper wire bars, lead ingots, zinc cathodes, zinc dross, gold, tungsten etc.

B5. Sales during the year:

Metal/ Product	Opening stocks of Metals/Products		Place of sale	Metals/Products sold(@)			Closing stocks of Metals/Products	
	Quantity	Grade		Quantity	Grade	Value(#) (₹)	Quantity	Grade

Note:

(#) Please give ex-plant sale value.

(@) Please give category-wise break-up of metals and other products sold.

B6. Sales/ Dispatches effected for Domestic Purposes and for Exports:

Grade/ Concentrate	Nature of Dispatches	IBM registration number ##	Consignee Name as per IBM registration	Country of dispatch	Quantity in tonnes	Sale value in Rs
A	B	C	D	E	F	G
Average Grade/ Concentrate	Domestic					
	Own Consumption					
	Export Purpose					
Total					Auto Sum	

Grade/ Concentrate	Nature of Dispatches	H. Deduction beyond lease area as per sub-rule (6) of rule 48 (Rs/ tonne)						
		i) Cost of transporta tion	ii) Loading and unloading charges	iii) Railway freight, if applicabl e	iv) Port handling charges/ export duty	v) Charges for sampling and analysis	vi) Rent for plot at stocking yard	vii) Other charges (specify clearly)
A	B	H(i)	H(ii)	H(iii)	H(iv)	H(v)	H(vi)	H(vii)
Average Grade/ Concentrate	Domestic							
	Own Consumpti on							
	Export Purpose							
Total								

Grade/ Concentrate	Nature of Dispatches	Total Deduction beyond lease area H (i + ii + iii + iv + v + vi + vii)	Total Deduction	Net sale value	Related party sale / not at Arm's length sale (Yes/No)
A	B	H	I=F*H	J=G-I	K
Average Grade/ Concentrate	Domestic				
	Own Consumption				
	Export Purpose				
	Grand Total			Auto Sum	

To indicate separately if more than one buyer.

NOTE:- Mine owners are required to substantiate domestic sale value/ FOB value for each grade of ore/concentrate quoted above with copy of invoices (not to be submitted with the return; to be produced whenever required).

B7. Ex-mine price of the ore produced (₹ per unit)

Nature of Dispatches (Data from table-B6)	Total dispatches Quantity (Non related party sales only) from column - F (tonnes)	Net Sale value of dispatches (Non related party sales only) from column - J (Rs)	Ex-mine Price (Rs/ tonne)
	A	B	C = B/A
Domestic/ Export Sale			

7. Give reasons for increase/decrease in production/nil production, if any, during the year compared to the previous year.

(a)	
(b)	
(c)	

8. Give reasons for increase/decrease in grade wise ex-mine price, if any, during the year compared to the previous year.

(a)	
(b)	
(c)	
8. Remarks/ Comments, if any:	

PART-VI: COST OF PRODUCTION

Cost of production per tonne of ore/mineral produced

Sl.No.	Item	Cost per tonne (₹)
(i)	Direct Cost	
	(a) Exploration	
	(b) Production	
	(c) Beneficiation	
(ii)	Over-head cost	
(iii)	Depreciation	
(iv)	Interest	
(v)	Royalty	
(vii)	Payments made to the Offshore Areas Mineral Trust	
(viii)	Payments made to the International Seabed Authority (if applicable)	
(ix)	Taxes	
(x)	Fixed Rent	
(xi)	Others (specify)	
	Total	

Note: Information given under Part VI will be kept confidential. The Government, however, will be free to utilize the information for general studies without revealing the identity of the firm.

VERIFICATION

I certify that the information furnished above is correct and complete in all respects.

Place: Date:	Signature Name in full: Designation: Owner/Geologist/Mining Engineer
-----------------	--

11.	In case of resignation/termination of employment of Agent/ Mining Engineer/ Geologist/ Manager, please indicate
------------	--

Name	Designation	Date of resignation/termination of employment

[In case the vacancy so created has been filled in, please furnish the particulars of the same in columns 9(a)]

12.	In case of change of address of the Licensee/ Lessee/ Agent/ Mining Engineer/Geologist /Manager, please indicate
------------	---

Name	Designation	Present Address	Date of change of address

In case of any appointment, acceptance of the appointee to be provided:

I certify that the information furnished above is correct and complete in all respects.

Place: Date:	<i>Signature</i> Name in full: Designation: Owner/Geologist/Mining Engineer
-----------------	---

THE SECOND SCHEDULE

[see rule 48(5)]

AMOUNT TO BE PAID IN CASE OF VIOLATION UNDER RULE 48

Item (1)	Amount (in Rs.) (2)	Explanation (3)
Non-submission or incomplete/ wrong/ false information in monthly returns in Form-G; by the due date	Rs 10,000/- per day after due date of submission of return as specified in the Rule till rectification of violation	In case of referred back returns by Indian Bureau of Mines for incorporating necessary corrections, to be undertaken by the lease holder, and if corrected within the allotted time limit and accepted thereafter by the Indian Bureau of Mines, no amount will be payable for the intervening period for such corrections.
Non-submission or incomplete/ wrong/ false information in annual returns in Form-H; by the due date	Rs 10,000/- per day after due date of submission of return as specified in the Rule till rectification of violation	Failure to rectify in such cases shall attract the payment as specified.

THE THIRD SCHEDULE

[see rule 60(2)]

Rules whose contravention shall be punishable with fine

Rule No.	Marginal heading of the Rule	Amount of Fine (in Rs.)
(1)	(2)	(3)
Sub-rule (2) of rule 18	Modification and review of production plan	2,000/- per day, subject to maximum 5,00,000/-
21	Exploration operations and production operations	5,00,000/-
22	Machinery and plant	5,00,000/-
23	Notice for commencement of production operations of mine	5,00,000/-
28	Notice of temporary discontinuance of work in mines and obligations of lessees	5,00,000/-
29	Intimation of reopening of a mine	5,00,000/-
49	Notice of certain appointments	2,000/- per day, subject to maximum 1,00,000/-
53	Employment of geologists and mining engineers	5,00,000/-

[F. No. M.VI-1/9/2024-Mines VI]

DINESH MAHUR, Jt. Secy.